विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

वार्षिक रिपोर्ट

1972-73

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-अधिनियम 1956 की धारा 18 के
अनुपालन में भारत सरकार को प्रस्तुत

नई दिल्ली

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
नई दिल्ली
(भारत)

नोट

रिपोर्ट में आँकड़े पूर्णांक में दिए गये हैं

1 लाख = 1,00,000

1 करोड़ = 1,00,00,000 = यानी 10 मिलियन

नवम्बर, 1974

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रकाशित तथा पैरामाउन्ट पब्लिशिंग हाऊस, 47, शंकर मार्किट, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

वार्षिक रिपोर्ट

1972-73

NIEPA DC
D06253

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-अधिनियम 1956 की धारा 18 के अनुपालन में भारत सरकार को प्रस्तुत

नई दिल्ली

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

नई दिल्ली

(भारत)

318.006
VIS-72-5

VIS-V

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B,SriAurbindo Marg,NewDelhi-110016
DOC. No. D-6253
Date 9/7/91

नोट

रिपोर्ट में आंकड़े पूर्णांक में दिए गये हैं

1 लाख = 1,00,000

1 करोड़ = 1,00,00,000 = यानी 10 मिलियन

National Staff College for Educational Planning and Administration
LIBRARY
New Delhi
Date.......

नवम्बर, 1974

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रकाशित तथा पैरामाउन्ट पब्लिशिंग हाऊस, 47, शंकर मार्किट, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

विषय-सूची

		पृष्ठ
भाग I	विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग के सदस्य और संशोधित विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग-अधिनियम	1
भाग II	उच्चतर शिक्षा-संस्थाएं और उनमें छात्रों की भरती :	4
भाग III	विश्वविद्यालयों का विकास	7
भाग IV	कालेजों का विकास	18
भाग V	छात्र	23
भाग VI	संकाय-विकास	29
भाग VII	विनिमय और सहयोग के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	34
भाग VIII	आयोग द्वारा प्रायोजित योजनायें	37
भाग IX	उभरती हुई समस्याएं और नये परिप्रेक्ष्य	48

परिशिष्ट

I	भारतीय विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्थाएं : 1972-73	54
II	पाठ्यक्रमों के अनुसार कालेजों का वितरण : 1968-69 से 1972-73 तक	59
III	छात्रों की भरती में वृद्धि : 1960-61 से 1972-73 तक	60
IV	छात्रों की भरती—स्तरवार : 1970-71 से 1972-73 तक	61
V	स्तरवार भरती : विश्वविद्यालयों और संबद्ध कालेजों में : 1972-73	62
VI	छात्रों की भरती : संकायवार : 1970-71 से 1972-73 तक	63
VII	विश्वविद्यालय-विभागों/विश्वविद्यालय-कालेजों में अध्यापकों की संख्या और उसका वितरण : 1968-69 से 1972-73 तक	64
VIII	संबद्ध कालेजों में अध्यापकों का पदनामवार वितरण : 1968-69 से 1972-73 तक	65
IX	विश्वविद्यालयों को दी गई सहायता का स्वरूप : 1972	66
X	कालेजों को दी गई सहायता का स्वरूप : 1972	73
XI	विश्वविद्यालयों को दिये गये योजनागत तथा योजनेतर अनुदान 1969-70 से 1972-73 तक	82
XII	अंगभूत/संबद्ध कालेजों को अनुदान : 1972-73	89

चित्र

		पृष्ठ
चित्र 1	विश्वविद्यालयों में छात्रों की भरती : 1962-63 से 1972-73 तक	92
चित्र 2	संकायवार छात्रों की भरती : 1970-71 से 1972-73 तक	93
चित्र 3	विभिन्न स्तरों पर छात्रों की भरती : 1970-71 से 1972-73 तक	94
चित्र 4	स्नातकोत्तर छात्रों की भरती : 1962-63 से 1972-73 तक	95
चित्र 5	अनुसंधान में छात्रों की भरती : 1962-63 से 1972-73 तक	96
चित्र 6	अध्यापकों का पदनामों के अनुसार वितरण : 1972-73	97
चित्र 7	अध्यापकों का संकायवार वितरण : 1972-73	98

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

वार्षिक रिपोर्ट

अप्रैल 1972 से मार्च 1973 तक

विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग-अधिनियम, 1956 (1956 के लिए) की धारा 8 के अनुसार हम संसद के दोनों सदनों के सामने रखे जाने के लिए विश्वविद्यालय-अनुदान आयोग की वर्ष 1972 से 1973 तक के काम की रिपोर्ट भारत सरकार की सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं।

भाग

आयोग के सदस्य और संशोधित वि० अनु० आ० अधिनियम

1 अप्रैल, 1972 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निम्नलिखित सदस्य थे :

1. डा० डी० एस० कोठारी, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।
2. डा० जे० एन० भान, कुलपति, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू।
3. डा० जार्ज जैकब, कुलपति, केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेंद्रम।
4. डा० सरूपसिंह, कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
5. प्रोफेसर तापस मजुमदार, ए-12, सर्वोदय एन्क्लेव, महरौली रोड, नई दिल्ली।
6. श्रीमती इंदुमती चिमनलाल, 'बोरसली', खानपुर, अहमदाबाद-1
7. श्री एम० आर० यार्डी, सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली।

*8. श्री टी० पी० सिंह, सचिव, शिक्षा तथा समाज-कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 के तीसरे) की धारा 5 की उपधारा (1) के आधीन प्रदत्त अधिकारों का उपभोग करते हुए, केन्द्र-सरकार

*इन्होंने नवम्बर, 1972 में इस्तीफ़ा दे दिया।

की 15 जनवरी, 1973 की अधिसूचना के अनुसार, आयोग का निम्नलिखित रूप में पुनर्गठन किया गया :

1.	डा० जार्ज जैकब, कुलपति, केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेंद्रम ।	अध्यक्ष
2.	प्रोफेसर सतीशचंद्र, डीन, स्कूल आफ सोशल साइंसिज़, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ।	उपाध्यक्ष
3.	श्री आई० डी० एन० साही, सचिव, शिक्षा तथा समाज-कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली ।	सदस्य
*4.	श्री एम० आर० यार्डी, सचिव, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली ।	,,
**5.	प्रोफेसर आर० एस० शर्मा, इतिहास विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना ।	,,
***6.	प्रोफेसर रईस अहमद, अध्यक्ष, विज्ञान-संकाय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ ।	,,
7.	प्रोफेसर एस० गोपाल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ।	,,
†8.	प्रोफेसर एम० शांतप्पा, भौतिकीय रसायन विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास ।	,,
‡9.	डा० के० सी० नायक, कुलपति, कृषि-विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर ।	,,
10.	प्रोफेसर बी० एम० उडगांवकर, टाटा इंस्टीट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च, बम्बई ।	,,
11.	डा० अमरजीत सिंह, निदेशक, सेंट्रल इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, पिलानी ।	,,
12.	श्री० के० टी० चांडी, अध्यक्ष, केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम, लि० त्रिवेंद्रम ।	,,

---

*अब ये इस्तीफा दे चुके हैं । वित्त मन्त्रालय के सचिव श्री एच० एन० रे ने 26 अप्रैल 1974 से श्री यार्डी के स्थान पर आयोग के सदस्य रूप में कार्य-भार सम्भाला और फिर 12 जून 1974 से इसी मन्त्रालय के सचिव डा० अजीत मजुमदार ने आयोग के सदस्य के रूप में उनका स्थान ग्रहण किया ।

** अब ये दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के इतिहास-विभाग में हैं ।

***अब ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण-परिषद् (एन० सी० ई० आर० टी०) के निदेशक हैं ।

†अब ये केंद्रीय चमड़ा-अनुसंधान-संस्थान, आड्यार, मद्रास के निदेशक हैं ।

‡अब ये इस्तीफा दे चुके हैं । प्रोफेसर जे० बी० चीतम्बर, प्रिंसीपल कृषि-अनुसंधान संस्थान नैनी, इलाहाबाद ने 3 जनवरी 1974 से डा० नायक के स्थान पर आयोग के सदस्य रूप में कार्यभार सम्भाला ।

संशोधित विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग अधिनियम

संशोधित विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग 17 जून, 1972 को लागू हो गया। उक्त अधिनियम में निम्नलिखित परिवर्तन-परिवर्द्धन किये गये हैं :

(i) आयोग का गठन

आयोग में अब एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होंगे। इन दस सदस्यों में से दो केन्द्र-सरकार के अधिकारियों में से होंगे; कम-से-कम चार सदस्य ऐसे चुने जायेंगे जो अपनी नियुक्त के समय किसी विश्वविद्यालय के अध्यापक हों और शेष सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों में से चुने जायेंगे : (क) जिन्हें कृषि, वाणिज्य, वनविज्ञान अथवा उद्योग का ज्ञान अथवा अनुभव हो; (ख) जो इंजीनियरी, चिकित्सा अथवा किसी भी अन्य विद्वत्तापूर्ण व्यवसाय के सदस्य हों, और (ग) जो किसी विश्वविद्यालय के कुलपति हों अथवा लब्ध प्रतिष्ठ शिक्षाविद् हों।

(ii) आयोग की शक्तियां और कार्य

और बातों के साथ-साथ आयोग को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह राज्य-विश्वविद्यालयों की किन्हीं निर्दिष्ट गतिविधियों के लिए अथवा किसी अन्य सामान्य या निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उनके वास्ते अनुदान तय करे और बांटे और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-अधिनियम की धारा 3 के अधीन जिन संस्थाओं को विश्वविद्यालय माना गया है, उन्हें खास-खास मामलों में अनुरक्षण-अनुदान दे।

अधिनियम में एक नई धारा 12 (ए) जोड़ी गई है जो इस प्रकार हैं : "केंद्र-सरकार, आयोग अथवा केंद्र-सरकार से पैसा पाने वाली कोई भी संस्था किसी ऐसे विश्वविद्यालय को—जो विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1972 के लागू होने के बाद स्थापित हुआ हो— तब तक कोई अनुदान न देगी जब तक कि आयोग कुछ निर्दिष्ट मामलों में अपनी तसल्ली करके उक्त विश्वविद्यालय को अनुदान पाने के योग्य घोषित न करदे।

(iii) शक्तियों का प्रत्यायोजन

आयोग को यह अधिकार दिया गया है कि वह विनियम बनाकर आयोग के द्वारा अथवा अयोग में होने वाले काम-काज के सामान्य निरीक्षण और निदेशन की शक्ति अपने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अपने किसी भी अधिकारी को सौंप दे। इसमें आयोग का कार्यालय चलाने और उसके आंतरिक प्रशासन के सिलसिले में होने वाले खर्चे की शक्तियां भी शामिल हैं।

भाग II

उच्चतर शिक्षा-संस्थाएं और उनमें छात्रों की भरती

संख्या-वृद्धि

1952-53 में 30 विश्वविद्यालयों तथा 797 कालेजों में छात्रों की संख्या 5,12,853 थी और इसके मुकाबले 1972-73 में 90 विश्वविद्यालयों, 9 विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्थाओं और 4,153 कालेजों में छात्रों की संख्या 35,44,000 के लगभग हो गई। 1952-53 से 1972-73 तक के दो दशकों में जो संख्या-वृद्धि हुई है उसका संकेत नीचे की तालिका में मिल जायेगा।

वर्ष	विश्वविद्यालयों की संख्या	कालेजों* की संख्या	छात्रों की सं०**
1952-53	30	797	5,12,853
1962-63	54+5 विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्थाएं	1,938	12,72,666
1967-68	70+10 विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्थाएं	2,899	22,18,972
1972-73	90+9 विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्थाएं	4,153	35,44,000

परिशिष्ट I और II में विश्वविद्यालयों की कालक्रमानुसार सूची तथा उनके छात्रों की संख्या का विवरण और 1967-68 से 1972-73 के बीच पाठ्यक्रमानुसार कालेजों की संख्या का ब्यौरा दिया गया है। समीक्षाधीन वर्ष में निम्नलिखित चार नये विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई: (1) मिथिला (दरभंगा), (2) कोंकण कृषि विद्यापीट (दापोली, जिला रत्नगिरी), (3) मराठवाड़ा कृषि-विद्यापीठ (परभनी), और (4) गुजरात कृषि-विश्वविद्यालय।

* इसमें उत्तर प्रदेश के बोर्ड आफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन के इंटरमीडिएट कालेजों को शामिल नहीं किया गया।

** इसमें उत्तर प्रदेश के बोर्ड आफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन के अधीन इंटरमीडिएट कक्षाओं में छात्रों की भरती की संख्याएं भी शामिल हैं।

1972-73 में ही 262 नये कालेजों की स्थापना हुई और इनमें से अधिकतर कालेजों में कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों ही से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों की व्यवस्था थी।

1961-62 से 1969-70 तक के वर्षों में विश्वविद्यालय-स्तरीय भरती की संख्या में मोटे तौर पर लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई परन्तु 1970-71 में एकाएक गिरावट आई और वृद्धि की दर घटकर 7.5 प्रतिशत रह गई। 1971-72 में वह फिर बढ़कर 8.7 प्रतिशत हो गई और 1972-73 में उससे कुछ ही कम 8.6 प्रतिशत रही। 1962-63 से लेकर 1972-73 तक हर साल पिछले साल की अपेक्षा जितनी वृद्धि हुई और छात्रों की संख्या में प्रतिशत जो वृद्धि हुई उनका ब्यौरा परिशिष्ट III में दिया गया है। भरती की वृद्धि-दर कम हो जाने का एक कारण तो यह हो सकता है कि हाल ही में कुछ विश्वविद्यालयों ने कुछ और श्रेणियों के छात्रों को अपनी परीक्षाएं प्राईवेट उम्मीदवारों के रूप में देने की अनुमति प्रदान करने का फैसला किया है। कुछ हद तक, एक और कारण यह भी हो सकता है कि अनेक छात्र विश्वविद्यालयों के पत्राचार-पाठ्क्रमों की ओर जाने लगे हैं। इन प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जा रहा है और योजना की अवधि के अन्त तक इनकी व्यापक समीक्षा संभव हो सकेगी।

एक और शुभ प्रवृत्ति उभर रही है और वह यह कि स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या में आनुपातिक वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक हुई है। 1972-73 में स्नातकोत्तर और शोध-छात्रों की भरती में 1971-72 के मुकाबले क्रमश: 10 और 11.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि स्नातक से नीचे के स्तर पर केवल 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। परन्तु अगर स्नातकोत्तर और शोध-स्तर की भरती को संपूर्ण स्थिति के अंग के रूप में देखा जाये तो दोनों मिलाकर 1972-73 की विश्वविद्यालय की कुल भरती का 6 प्रतिशत से अधिक नहीं बैठते (इस सिलसिले में परिशिष्ट IV द्रष्टव्य है जिनमें छात्रों की स्तरवार भरती का ब्यौरा दिया गया है)।

संस्थाओं और छात्रों की संख्या के आधार पर देखें तो देश में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में कालेजों को प्रमुख स्थान प्राप्त हैं। कालेजों में छात्रों की संख्या 1970-71 में 87.6 प्रतिशत थी, 1971-72 में यह बढ़कर 88.3 और 1972-73 में 88.6 प्रतिशत हो गई (परिशिष्ट V)। अध्यापक भी 83 प्रतिशत से अधिक कालेजों में हैं।

1972-73 में छात्रों की कुल भरती का 87.9 प्रतिशत भाग कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों में गया और व्यवसाय-संकायों में—जिनमें विधि और शिक्षा भी सम्मिलित हैं—कुल 12.1 प्रतिशत भाग (परिशिष्ट VI)। वास्तविक वृद्धि का एक अच्छा-खासा भाग वाणिज्य और विधि संकायों में जाता रहा है। 1971-72 में कुल छात्र-संख्या के 12.1 प्रतिशत की भरती वाणिज्य-संकाय में हुई थी और 2.6 प्रतिशत की विधि-संकाय में; 1972-73 में यह अनुपात बढ़कर क्रमश: 12.8 प्रतिशत और 2.8 प्रतिशत हो गया।

विभिन्न संकायों में छात्रों के वितरण का स्वरूप अब भी असंतोषजनक हुआ है। लगभग 90 प्रतिशत छात्र शैक्षिक अथवा कलाओं पर आधृत पाठ्यक्रमों में जाते हैं (कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि, शिक्षा आदि) और शेष छात्र व्यवसाय-संकायों में बंट जाते हैं। मौजूदा योजना के शुरू के चार वर्षों में इन्जीनियरी और प्रौद्योगिकी (टेक्नोलाजी) में, आयुर्विज्ञाय तथा कृषि में छात्रों का प्रतिशत अनुपात निरन्तर घटता रहा—और इसका मतलब यह नहीं कि पहले कभी वह ज्यादा था। दूसरी ओर, विधि और वाणिज्य-संकायों में अधिकाधिक छात्र जा रहे हैं। 1972-73 में इन संकायों में छात्र-संख्या में क्रमश: 18 और 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसके मुकाबले कला-संकायों में कुल 11 प्रतिशत और विज्ञान एवं आयुर्विज्ञान-पाठ्यक्रमों में 5 प्रतिशत से भी कम की वृद्धि हुई।

1972-73 में विश्वविद्यालय-विभागों में अध्यापकों की संख्या में लगभग 1,000 की और संबद्ध कालेजों में लगभग 10,000 की वृद्धि हुई। विश्वविद्यालय-विभागों तथा अनुरक्षित एवं सम्बद्ध कालेजों में अध्यापकों के वितरण का ब्यौरा परिशिष्ट VII और VIII में दिया गया है।

1952-53 तथा 1972-73 के बीच अध्यापक-छात्र-अनुपात का विवरण इस प्रकार है* :

वर्ष	भरती	अध्यापक	अध्यापक-छात्र-अनुपात
1952-53	4,39,305	25,533	1 : 17.2
1962-63	10,82,666	66,370	1 ; 16.3
1967-68	19,18,972	1,03,180	1 : 18.6
1972-73	30,94,000	1,49,900	1 : 20.6

दो दशक पहले विश्वविद्यालय-स्तरीय संस्थाओं में 25,000 से कुछ अधिक अध्यापक थे परन्तु 1972-73 में इनकी संख्या बढ़ते-बढ़ते 1,50,000 हो गई परन्तु इस वृद्धि के परिणामस्वरूप अध्यापक-छात्र-अनुपात में कोई वृद्धि नहीं हुई। 1971-72 में अध्यापक छात्र-अनुपात वाणिज्य में 1 : 46.8 था, विधि में 1 : 40.5, कलाओं में 1 : 23.8, विज्ञान में 1 : 18.7 और व्यवसाय-संकायों में 1 : 5 से लेकर 1 : 10 के बीच।

* इसमें उत्तर प्रदेश के बोर्ड आफ़ हाई स्कूल एण्ड इन्टरमीडिएट एजुकेशन के अंतर्गत इन्टरमीडिएट कक्षाओं की भरती की संख्या भी शामिल है।

भाग III

विश्वविद्यालयों का विकास

आयोग द्वारा 1972-73 में दिये गये अनुदान

आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भिक दौर में सहायता का जो स्वरूप स्वीकार कर लिया था, उसी के अनुरूप 1972-73 में विश्वविद्यालयों और कालेजों को विकास-अनुदान दिये गये। परिशिष्ट IX और X में जो विवरण दिया गया है उसमें सहायता के इस स्वरूप का स्पष्टीकरण हो जाता है। आमतौर से, विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों को अध्यापन तथा अनुसंधान के लिए शत-प्रतिशत आधार पर अनुदान दिये गये और अन्य कार्यक्रमों के लिए आधे-आधे के आधार पर।

विश्वविद्यालयों और कालेजों को सहायता देने में आयोग का परिप्रेक्ष्य क्यों रहता है—यह समझने के लिए मौजूदा योजना के पहले चार वर्षों में आयोग के धनराशि-व्यय के स्वरूप का संक्षिप्त विश्लेषण कर लेना समीचीन होगा। यह विश्लेषण यहां प्रस्तुत किया जा रहा है :

(1) योजनेतर और योजनागत व्यय

विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग के 1969-70 से 1972-73 तक के व्यय का विवरण इस प्रकार हैं :

योजनेतर

(आंकड़े लाख रुपयों में हैं)

	व्यय 1969-70 धनराशि	1970-71 धनराशि	1971-72 धनराशि	1972-73 धनराशि
1	2	3	4	5
1. प्रशासनिक व्यय	31.53	38.85	38.32	41.56
2. केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को एकमुश्त अनुदान	631.25	679.48	720.80	751.03
3. दिल्ली विश्वविद्यालय के अंगभूत और संबद्ध कालेजों को अनुरक्षण-अनुदान	243.00	232.06	239.57	247.85
4. केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को उन योजनाओं के लिए अनुदान जो एकमुश्त अनुदान की परिधि में नहीं आतीं	—	32.16	38.09	49.18
कुल जोड़	905.78	982.55	1,036.78	1,089.62

योजनागत

(आंकड़े लाख रुपयों में हैं)

	व्यय			
	1969-70 धनराशि	1970-71 धनराशि	1971-72 धनराशि	1972-73 धनराशि
1. केंद्रीय और राज्य-विश्व-विद्यालयों को मानविकी और सामाजिक विज्ञानों के लिए अनुदान	171.74	209.63	254.10	304.72
2. केंद्रीय और राज्य-विश्व-विद्यालयों को विज्ञान के लिए अनुदान	360.56	345.42	404.09	674.82
3. केंद्रीय और राज्य-विश्व-विद्यालयों को इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के लिए अनुदान	268.14	186.36	190.77	199.54
4. अंगभूत और संबद्ध कालेजों के लिए अनुदान	354.93	740.36	900.15	859.09
5. केंद्रीय और राज्य विश्व-विद्यालयों को विविध योजनाओं के लिए अनुदान	334.68	422.63	646.46	776.95
6. आयोग द्वारा गोष्ठियों तथा सम्मेलनों पर विविध व्यय	4.59	248.94*	9.51	12.85
7. भारत सरकार तथा अन्य स्रोतों से निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्राप्त अनुदानों में से व्यय	60.04	25.87	18.44	46.21
जोड़	1,554.68	2,179.21	2,423.52	2,874.18
योजनेतर तथा योजनागत कुल जोड़	2,460.46	3,161.76	3,460.30	3,963.80

*यू० एस० डालर योजना तथा रूबल उधार योजना, यूनिस्को कूपन आदि के अंतर्गत खरीदे गये उपस्करों का खर्च भी इसमें सम्मिलित है।

(II) केंद्रीय विश्वविद्यालयों को योजनेतर अनुदान

समीक्षाधीन वर्ष में पांचों केंद्रीय विश्वविद्यालयों को 751.03 लाख रु० के अनुरक्षण-अनुदान प्राप्त हुए जो नीचे लिखे मुताबिक इसी प्रयोजन के लिये नियत थे :

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	225.00 लाख रु०
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	290.00 लाख रु०
दिल्ली विश्वविद्यालय	149.57 लाख रु०
विश्व भारती	68.60 लाख रु०
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	17.86 लाख रु०
	751.03 लाख रु०

(III) योजनागत परियोजनाओं के लिए अनुदान

1972-73 में आयोग विज्ञानों, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों और इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के विकास के लिये विश्वविद्यालयों को अनुदान देता रहा। चतुर्थ योजना निरीक्षण-समितियों की सिफारिशों को आयोग ने जिस रूप में स्वीकार किया, ये अनुदान उन्हीं के अनुसार दिये गए। विविध योजनाओं की सहायता का स्वरूप तथा दायित्व बांटने का आधार वही बना रहा। स्वीकृत योजनाओं पर जैसे-जैसे खर्चा होता गया, वैसे-वैसे विश्वविद्यालयों को आयोग से अनुदान मिलते रहे।

(IV) विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्थाओं को अनुदानों की अदायगी

वर्तमान योजना के पिछले चार वर्षों में विश्वविद्यालयों को और विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्थाओं को जो विकास-अनुदान दिये गये उनका लेखा-जोखा नीचे की सारणी में दिया गया है :

(आंकड़े लाख रुपयों में हैं)

प्रयोजन	1969-70 धनराशि	1970-71 धनराशि	1971-72 धनराशि	1972-73 धनराशि
1. वैज्ञानिक विषय	360.56	345.42	404.10	674.82
2. मानविकी और सामाजिक विज्ञान	171.74	209.63	254.10	304.72
3. इन्जीनियरी और प्रौद्योगिकी	268.14	186.36	190.77	199.54
4. विविध योजनाएं*	334.68	422.63	646.46	776.95
जोड़	1,135.12	1,164.04	1,495.43	1,956.03

*इसमें अध्यापकों और छात्रों के लिये आवास की व्यवस्था, पुस्तकालय के लिये पुस्तकों, छात्रों के लिये सुख-सुविधाएं, छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति आदि की योजनाएं भी शामिल हैं।

(V) केंद्रीय विश्वविद्यालयों को योजनागत परियोजनाओं के लिए अनुदान

1972-73 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों को मानविकी-विषयों, विज्ञानों, इन्जीनियरी और प्रौद्योगिकी तथा कुछ अन्य विविध योजनाओं के लिये 621.18 लाख रुपए के जो अनुदान दिये गये, उनका विवरण नीचे की तालिका में दिया गया है :

(आंकड़े लाख रुपयों में हैं)

मद	अलीगढ़	बनारस	दिल्ली	जवाहर लाल नेहरू	विश्व भारती	कुल
1. मानविकी और सामाजिक विज्ञान	14.35	14.66	29.31	3.64	1.85	63.81
2. विज्ञान	37.62	12.81	37.34	—	2.48	90.25
3. इन्जीनियरी और प्रौद्योगिकी	18.57	53.68	0.63	—	—	72.88
4. विविध योजनाएं	55.11	129.70	43.08	157.45	8.90	394.24
कुल :	125.65	210.85	110.36	161.09	13.23	621.18

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में विविध योजनाओं पर (ऊपर मद 4 में) जो 394.24 लाख रुपया खर्च किया गया है उसमें ये सब भी शामिल हैं :

(i) 44.32 लाख रुपया अनुरक्षण के लिए 1972-73 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को दिया गया ।

(ii) 10,62,534 रु० परिसर-विकास की परियोजनाओं के लिये केंद्रीय विश्वविद्यालयों को दिया गया ।

(iii) 40,53,450 रु० अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से सम्बद्ध मेडिकल कालेजों के लिये दिये गये; 20,04,566 रु० इन कालेजों से सम्बद्ध अस्पतालों के भवनों और उपकरणों के लिये दिये गये और 55,80,000 रु० इन अस्पतालों के रख-रखाव के लिये ।

(iv) 12 लाख रु० दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित नये मेडिकल कालेज को दिये गये ।

(v) 5,72,000 रु० छात्रों की सुख-सुविधाएं बढ़ाने के लिये बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को दिये गये और 97,500 रु० इसी काम के लिये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को ।

(vi) 1.56 करोड़ रु० विकास के लिये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को दिया गया ।

(vii) 2,44,000 रु० दो सांध्यकालीन विधि-केन्द्र चलाने के लिये दिल्ली विश्वविद्यालय को दिया गया।

(viii 1,20,000 रु० दक्षिण दिल्ली स्नातकोत्तर केन्द्र के लिये दिल्ली विश्वविद्यालय को दिया गया।

1972-73 में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को योजनागत तथा योजनेतर के अन्तर्गत दी गई कुल अनुदान राशि 1,372.21 लाख रु० थी। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को दी गई 49.18 लाख रु० की अन्तर्म सहायता इसमें सम्मिलित नहीं है।

(VI) 1969-70 से 1972-73 तक विश्वविद्यालयों द्वारा प्राप्त अनुदान

चौथी योजना के प्रथम चार वर्षों में समस्त स्वीकृत योजनाओं के लिये विश्वविद्यालयों को जो अनुदान दिये गये उनका वार्षिक विवरण परिशिष्ट XI में दिया गया है।

(VII) विज्ञानों के विकास के लिए अनुदान

1972-73 में आयोग ने विज्ञान-शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास के लिये विश्वविद्यालय को 674.82 लाख रुपया दिया। चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों में इस प्रयोजन के लिये विश्वविद्यालयों को जो सहायता दी गई उसका सार नीचे की तालिका में दिया गया है :

(आंकड़े लाख रुपयों में दिये गये हैं)

खर्च की मद	1969-70 धनराशि	%	1970-71 धनराशि	%	1971-72 धनराशि	%	1972-73 धनराशि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. अध्यापक वर्ग	55.73	15	68.90	20	102.11	25	104.40	15
2. उपकरण	99.65	28	78.09	23	83.83	21	346.29*	51
3. पुस्तकें और पत्र-पत्रिकायें	74.25	21	59.53	17	40.17	10	34.28	5
4. भवन-निर्माण	85.50	24	88.86	26	116.91	29	107.43	16
5. उच्च अध्ययन केंद्र	44.85	12	48.44	14	56.18	14	59.49	9
6. चुने हुए विभागों को विशेष सहायता	—	—	—	—	—	—	18.56	3
7. अन्य योजनाएं	0.58	—	1.60	—	4.90	1	4.37	1
जोड़ :	360.56	100	345.42	100	404.10	100	674.82	100

* इसमें 227.46 लाख रु० की वह राशि भी शामिल है जो डालर-ऋण-योजना के अन्तर्गत उपकरणों के लिये दी गई।

विश्वविद्यालयों में विज्ञान-शिक्षा के विभिन्न अवयवों पर पिछले चार वर्षों में जो विकास-व्यय हुआ है उसका अनुपात हर साल थोड़ा-बहुत घटता-बढ़ता रहा है। उदाहरण के लिए, अध्यापक-वर्ग पर व्यय का अनुपात 15 से 25 प्रतिशत तक घटा-बढ़ा है, उपकरण पर 21 से 51 प्रतिशत तक और भवन-निर्माण पर 16 से 24 प्रतिशत तक। किन्तु इस घटा-बढ़ी को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाना चाहिये क्योंकि आयोग ने चौथी योजना के आरंभ में जिन कार्यक्रमों की स्वीकृति दे दी थी, उन पर अमल करने की दिशा में जितनी-जितनी प्रगति होती गई उतनी-उतनी धनराशि विश्वविद्यालयों को दी जाती रही। इसके अतिरिक्त, 1972-73 में उपकरण पर होने वाले भारी व्यय का कारण यह है कि डालर-ऋण-योजना के अन्तर्गत उपकरण के लिये 227.46 लाख की जो राशि दी गई वह भी उसमें शामिल है। इन आंकड़ों से आमतौर पर जो तसवीर उभरती है उसकी खास बात यह है कि प्रस्तुत योजना के पहले चार वर्षों में विज्ञान-कार्यक्रमों में अध्यापक-वर्ग, उपकरणों, पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं तथा भवन-निर्माण पर जो खर्चा हुआ उसमें प्रायः एकरूपता रही।

समीक्षाधीन वर्ष में विश्वविद्यालयों में विज्ञान-शिक्षा का जो विकास हुआ वह उन्हीं कार्यक्रमों के सिलसिले में हुआ जो चतुर्थ योजना-निरीक्षण-समितियों द्वारा आंकी गई आवश्यकताओं के आधार पर विश्वविद्यालयों ने शुरु किये थे।

इस वर्ष आयोग ने विविध विश्वविद्यालयों में नये विभाग और नये पाठ्यक्रम शुरु करने के निम्नलिखित सुझाव स्वीकार किये :

आन्ध्र विश्वविद्यालय	—	मानव अनुवंशिकी विभाग
भारतीय विज्ञान-संस्थान, बंगलौर	—	सैद्धांतिक अध्ययन-केंद्र
गुजरात विश्वविद्यालय	—	अन्तरिक्ष विज्ञान-डिप्लोमा-पाठ्यक्रम
रुड़की विश्वविद्यालय	—	टेलीविज़न - प्रौद्योगिकी - डिप्लोमा पाठ्यक्रम

1969 में विश्वविद्यालयों की कम्प्यूटर-संबंधी आवश्यकताओं की जांच करने के लिये आयोग ने एक विशेषज्ञ-समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने यह सिफारिश की कि बम्बई, दिल्ली, बंगलौर, अहमदाबाद, मद्रास, कलकत्ता, कानपुर और शायद हैदराबाद में प्रादेशिक कंप्यूटर-केन्द्र स्थापित किये जा सकते हैं। समिति ने यह भी सिफारिश की कि लगभग दस सोच-विचार कर चुने गये विश्वविद्यालयों में कम्प्यूटर की साधारण सुविधाओं का प्रबन्ध भी किया जाना चाहिये ताकि देश में कंप्यूटर-सुविधाओं का एक जाल-सा बुन जाये। अलीगढ़, आन्ध्र, कलकत्ता और उत्कल विश्वविद्यालयों तथा भारतीय विज्ञान-संस्थान, बंगलौर के लिये अमरीकी डालर-ऋण-योजना के अन्तर्गत पांच कंप्यूटर प्राप्त हुए थे। आयोग ने इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इन्डिया लि०, हैदराबाद द्वारा तैयार किये

गये टी० डी० सी० कंप्यूटर खरीदने के लिये जोधपुर, कर्नाटक, कुरूक्षेत्र तथा उसमानिया विश्वविद्यालयों को अनुदान देना स्वीकार कर लिया हैं। गुजरात विश्वविद्यालत को एक आई० बी० एम० 1620 मशीन भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद से स्थानांतरित होकर मिल गई है। इसी प्रकार दिल्ली विश्वविद्यालय की एक 1620 मशीन सरदार पटेल विश्वविद्यालय को हस्तांतरित कर दी गई है। रुड़की, जोधपुर, बनारस तथा बड़ौदा विश्वविद्यालयों के बड़े कंप्यूटरों के प्रस्तावों पर भारत-सरकार के इलेक्ट्रानिक्स विभाग में विचार हो रहा है। आयोग चाहता है कि विश्वविद्यालय मौजूदा कंप्यूटर-सुविधाओं का अधिक-से-अधिक उपयोग करें और इस दिशा में हर तरह प्रोत्साहन देना चाहता है। इनमें से कुछ को तो इस सिलसिले में सहायता दी भी जा चुकी है और इसी दृष्टि से आवर्ती अनुदानों की भी स्वीकृति दी गई है कि ये मशीनें निरंतर चलाई जाती रहें। विश्वविद्यालयों में कंप्यूटर-सुविधाओं के विकास के लिये आयोग ने 1972-73 के अन्त तक लगभग 90 लाख रु० के अनुदानों की स्वीकृति दी।

1970-71 में आयोग ने विश्वविद्यालयों और कालेजों में बांटने के लिये यूनेस्को से सहयोग करने वाले भारतीय राष्ट्रीय कमीशन से एकमुश्त यूनेस्को-कूपन खरीदने का फैसला किया था। दुर्लभ मुद्रा-क्षेत्रों से छोटे परन्तु महत्वपूर्ण उपकरण, फालतू पुर्जे तथा विरल रसायन मंगाने के लिये विश्वविद्यालय और कालेज ये कूपन खरीद सकते हैं। इन कूपनों से सामान खरीदने पर न तो आयात-नियंत्रण के प्रतिबन्ध लागू होंगे, न विदेश-मुद्रा के विनियम। 1972-73 में विश्वविद्यालयों और कालेजों में बांटने के लिये आयोग ने लगभग 58,171 डालर मूल्य के कूपन खरीदे।

यह देखा गया है कि कभी-कभी विश्वविद्यालयों में बहुत मंहगे और परिष्कृत उपकरण बेकार पड़े रहते हैं और उसका मुख्य कारण यह होता है कि मामूली-से नुकसान ठीक करने की भी तकनीकी जानकारी किसी को नहीं होती। आयोग ने एक विशेषज्ञ-समिति नियुक्त की कि वह इस बात की जांच करे कि यह कठिनाई किस हद तक फैली हुई है और इस सिलसिले में उपाय भी सुझाये कि महंगे उपकरण के उपयोग की जांच-पड़ताल का भी तरीका अख्तियार किया जाना चाहिये तथा इसके लिये मौके पर रख-रखाव की सुविधाएं देने के लिये क्या साधन अपनाये जाने चाहिये। इस समिति की रिपोर्ट अभी आनी है। प्रयोगशाला और निर्माणशाला-तकनिशियनों को प्रशिक्षण देने के लिये विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा ताकि वे विश्वविद्यालयों में महंगे उपकरण के रख-रखाव और मरम्मत का काम सम्भाल सकें।

विदेशी मुद्रा आयात-लाइसेंस

पहले की तरह इस साल भी विदेशों से वैज्ञानिक उपकरण, पुस्तकें तथा पत्र-पत्रिकाएं जुटाने में आयोग विश्वविद्यालयों और कालेजों की सहायता करता रहा। विश्व-

विद्यालयों और कालेजों की आयात-आवश्यकताएं पूरी करने के लिये भारत सरकार ने 1972-73 में आयोग को जो विदेशी मुद्रा दी, उसका लेखा-जोखा इस प्रकार है :

(आंकड़े लाख रुपये में हैं)

	मुफ्त	उधार	रुपयों में
1972-73	24.14	39.41	5.76

विदेशी मुद्रा के इस नियतन से विश्वविद्यालयों और कालेजों की सिर्फ फालतू पुर्जों, सहायक उपकरणों तथा बदलाव की आवश्यकतायें ही पूरी हो सकीं। देश में प्राप्य प्रमुख उपकरणों के स्तर पर विश्वविद्यालय अब भी विदेशी मुद्रा की कठिनाई अनुभव कर रहे हैं।

(viii) मानविकी-विषयों तथा सामाजिक विज्ञानों के विकास के लिये अनुदान

1969-70 से 1972-73 तक के चार वर्षों में मानविकी-विषयों और सामाजिक विज्ञानों के विकास के लिये विश्वविद्यालयों को जो अनुदान दिये गये, उनका लेखा-जोखा इस प्रकार है :

खर्चे की मदें	1969-70		1970-71		1971-72		1972-73	
	धनराशि	प्रतिशत अनुपात	धनराशि	प्रतिशत अनुपात	धनराशि	प्रति० अनु०	धनराशि	प्रति० अनु०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. अध्यापक वर्ग	44.70	26	77.29	37	113.71	45	117.36	39
2. उपकरण	5.59	3	5.07	2	6.09	2	8.04	3
3. पुस्तकें और पत्र-पत्रिकायें	62.21	36	54.67	26	39.01	15	76.89	25
4. भवन-निर्माण	30.47	18	36.19	18	60.33	24	52.35	17
5. उच्चतर अध्ययन-केन्द्र	24.56	14	23.89	11	28.87	11	28.97	9
6. चुने हुए विभागों को विशेष सहायता	—	—	—	—	—	—	2.04	1
7. क्षेत्रीय अध्ययन कार्यक्रम	4.21	3	3.49	2	2.37	1	8.80	3
8. अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम	—	—	9.03	4	3.72	2	10.27	3
जोड़	171.74	100	209.63	100	254.10	100	304.72	100

1972-73 में योजना के अन्तर्गत कुल व्यय 2,874.18 लाख रु० का हुआ जिसमें से 304.72 लाख रु० यानी 10.6 प्रतिशत वर्ष भर में मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों के विकास के लिये दिया गया अध्ययन तथा अनुसंधान के इन क्षेत्रों के विकास पर जो धनराशि व्यय हुई उसका एक अच्छा-खासा हिस्सा पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं में तथा विश्वविद्यालयों में शैक्षिक वर्ग पर खर्च हो गया। अध्यापक-प्रशिक्षण के विकास का कार्यक्रम इस अवधि में देर से शुरू हुआ और समीक्षाधीन वर्ष में उसमें गति आई।

आयोग हर विश्वविद्यालय में मानविकी-विषयों तथा सामाजिक विज्ञान के विभागों के विकास के लिये पहले जो योजनायें और कार्यक्रम स्वीकार कर चुका है उन्हीं के अनुसार उनके विकास का स्वरूप ढलता रहा।

चौथी योजना की अवधि में आयोग ने डा० पी० बी० गजेन्द्रगडकर की अध्यक्षता में विधि-शिक्षा के बारे में एक स्थायी सलाहकार-समिति नियुक्त की। इस समिति के लिये विधि-शिक्षा और अनुसंधान का एक व्यापक सर्वेक्षण तैयार किया गया जिसमें देश में विधि-शिक्षा के सब पहलुओं की एक स्थिति-रिपोर्ट भी शामिल थी। इस विषय में समिति ने जो विचार व्यक्त किये और जो सिफारिशें दीं वे मार्गदर्शन के लिये सभी विश्वविद्यालयों में प्रचारित कर दी गईं।

फरवरी, 1972 में पूना विश्वविद्यालय ने आयोग की सहायता से विधि-शिक्षा पर एक गोष्ठी का आयोजन किया ताकि इस रिपोर्ट के निष्कर्षों और निहितार्थों पर और देश में विधि-शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के उपायों और साधनों पर भी विचार किया जा सके। देश में विधि-शिक्षा के विकास की दृष्टि से इस गोष्ठी की सिफारिशों का बड़ा दूर व्यापी महत्व है।

इसी समिति की सिफारिशों पर आयोग ने विधि-कालेजों के पूर्णकालिक अध्यापकों के वेतनमान इस प्रकार संशोधित करने का महत्वपूर्ण क़दम उठाया :

	रुपये
वरिष्ठ प्राध्यापक रीडर	700-40-1100
प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान)	400-30-640-40-800
प्राध्यापक (कनिष्ठ वेतनमान)	300-25-600
अनुशिक्षक (ट्यूटर)	250-50-400

1971-72 में आयोग ने विश्वविद्यालय-विभागों तथा संबद्ध कालेजों में विधि-पुस्तकालयों को समुन्नत करने का फैसला किया और इस संदर्भ में विश्वविद्यालय-विभागों के लिए 10,000 से 50,000 रु० तक की तथा संबद्ध कालेजों के लिए 10,000 से 20,000 रु०

तक की स्वीकृति दी 35 विश्वविद्यालयों और 62 कालेजों में इस सिलसिले में क्रमश: 12.5 लाख रु० तथा 7.80 लाख रु० के खर्च की स्वीकृति दी गई थी। इसमें से 1972-73 के अंत तक क्रमश: 9.86 लाख और 6.11 लाख रु० की धनराशियां दी जा चुकी थीं।

इस बात की ओर आयोग का ध्यान गया कि कुछ विश्वविद्यालयों के पास इतिहास की अनमोल स्रोत-सामग्री है परंतु उन्हें सहेज कर रखने का पर्याप्त प्रबंध उनके पास नहीं। इस स्थिति को देखते हुए आयोग पुरालेख-कक्ष स्थापित करने में विश्वविद्यालयों को सहायता देने के लिए तैयार हो गया और इस कार्य के लिए चौथी योजना के नियतन से अलग उसने पांच साल के लिए शत-प्रतिशत आधार पर अनुदान दिये। अलीगढ़, डिब्रूगढ़, मगध, पंजाबी, शिवाजी तथा श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के पुरालेख-कक्ष स्थापित करने के प्रस्ताव स्वीकार किये जा चुके हैं।

(ix) इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी-विकास के लिए अनुदान

वर्तमान योजना के पहले चार वर्षों में आयोग ने इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए विश्वविद्यालयों को जो सहायता दी उसका ब्यौरा इस प्रकार है :

(आंकड़े लाख रुपयों में दिये गये हैं)

खर्च की मदें	1969-70		1970-71		1971-72		1972-73	
	धनराशि	प्रति-शत अनु-पात	धनराशि	प्रति-शत अनु-पात	धनराशि	प्रति-शत अनु-पात	धनराशि	प्रति-शत अनु-पात
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. अध्यापक-वर्ग और रख-रखाव	50.03	19	51.27	28	51.07	27	51.50*	26
2. भवन-निर्माण	80.08	30	38.20	20	30.22	16	28.19**	14
3. पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएं	31.46	12	26.47	14	17.78	9	16.07	8
4. उपकरण	63.03	24	44.55	24	53.03	27	54.23	27
5. अध्येता-वृत्तियां	34.44	13	23.81	13	37.89	20	47.91	24
6. विविध योजना	9.09	2	2.06	1	0.78	1	1.64	1
जोड़ :	268.13	100	186.36	100	190.77	100	199.54	100

* इसमें वेतनमान-संशोधन के निमित्त दिये गये अनुदान भी शामिल हैं।

** इसमें छात्रावास तथा अध्यापकावास-निर्माण के लिए दिये गये 4.62 लाख रु० के अनुदान भी शामिल हैं।

आयोग द्वारा अनुमोदित इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी-परियोजनाओं में पिछले वर्षों में भवन-निर्माण की मद में तो व्यय धीरे-धीरे होता गया और उपकरण तथा अध्येता-वृत्तियों की मदों में बढ़ता गया है। विश्वविद्यालयों में इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी-सकायों में अध्यापकों की सहायता के लिए अनुदानों की राशि में भी शुरू के तीन वर्षों में तो वृद्धि हुई पर 1972-73 में स्वभावत: उसका समतुलन हो गया। पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं के अनुदान में भी कमी आई क्योंकि विश्वविद्यालयों को जो बुनियादी अनुदान दिये गये उनका एक बड़ा हिस्सा उन्होंने योजना के पहले दो वर्षों में ही ले लिया था।

देश में इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी-शिक्षा के उन्नयन के लिए जो विकास-योजनाएं अनुमोदित हो चुकी हैं, उन पर विश्वविद्यालय अमल करते ही रहे; इसके अलावा उन्होंने मौजूदा पाठ्यक्रमों में विविधता लाने की भी कोशिश की है तथा साथ ही इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, औषधनिर्माण-विज्ञान और व्यवसाय-प्रबंध में अध्यापन और अनुसंधान के नये तथा विशिष्ठी-वृत्त क्षेत्रों की भी स्थापना की है।

1972-73 में आयोग ने पुस्तक-बैंकों की योजना का विस्तार करके विश्वविद्यालयों के इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी-विभागों और संस्थानों को भी शामिल कर लिया और इस सिलसिले में 24 विश्वविद्यालयों के लिए 7,12,500 रु० के अनुदान स्वीकृत किये।

आयोग ने कुछ विश्वविद्यालयों को अपने यहां उद्योगों का पूरा ताना-बाना बुनने का प्रोत्साहन दिया है ताकि नौजवान इंजीनियरी स्नातकों को व्यावसायिक आधार पर काम करने वाली व्यवस्था में काम करने का अवसर देकर छोटे पैमाने के उद्यम शुरू करने का समुचित प्रशिक्षण दिया जा सके। इस सब से छात्र को न केवल एक औद्योगिक इकाई से संबंधित कार्यकलाप का प्रशिक्षण मिलेगा बल्कि उसे वे सब काम-काज स्वयं करने का अवसर मिलेगा ताकि जब वह अपना काम शुरू करे तो पूरे आत्मविश्वास के साथ आत्म-निर्भर रहकर करे। ऐसी औद्योगिक संसृष्टियों से विश्वविद्यालय उद्योगों के निकट आयेंगे और देश के औद्योगिक विकास में प्रशिक्षित जन-शक्ति का कहीं ज्यादा अच्छा और कारगर उपयोग हो सकेगा। आयोग ऐसी औद्योगिक संसृष्टियां स्थापित करने तथा आवश्यक आवर्ती और अनावर्ती सहायता देने के बारे में रुड़की विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रस्तावों पर विचार कर रहा है।

भाग—IV

कालेजों का विकास

(i) भौतिक सुविधाएं

आयोग ने वर्तमान योजना के आरंभ में पूर्व-स्नातक कालेजों के विकास में सहायता देने के कार्यक्रम का जो स्वरूप स्वीकार कर लिया था, समीक्षाधीन वर्ष में उसी के अनुरूप सहायता दी जाती रही। इस वर्ष प्रयोगशाला और पुस्तकालय-सुविधाओं के लिए, अंश-सूक्ष्मविश्लेषण-उपकरण के लिए कक्षाओं और व्याख्यान-कक्षों के लिए, निर्माणशालाओं, अनावासी छात्र केंद्रों, छात्रों तथा अध्यापकों के आवासों के लिए, ट्यूबवेल, अधिऊर्ध्व टंकियों, साइकिल शेडों तथा चाक-बोर्डों के लिए कालेजों को हमेशा की तरह साझे के आधार पर सहायता दी गई। सामान्यतः उपर्युक्त विकास-कार्यक्रमों के लिए किसी भी कालेज को 1966-67 से लेकर 1973-74 तक की अवधि में 3 लाख रु० से ज्यादा की सहायता नहीं दी जा सकती। परन्तु खास-खास मामलों में कालेजों को उसी साझे के आधार पर 1 लाख रु० तक का अनुदान और दिया जा सकता है। इस वर्ष कालेजों को किताबें खरीदने के लिए शत-प्रतिशत आधार पर 4,500 से लेकर 6,500 रु० तक के विशेष पुस्तक अनुदान दिये गये। आयोग स्नातक और स्नातकोत्तर बिज्ञान-पाठ्यक्रम चलाने वाले कालेजों को उपकरण खरीदने के लिए स्थापित स्तरों और मानदंडों के अनुसार शत-प्रतिशत आधार पर बुनियादी अनुदान इस वर्ष भी देता रहा। इस वर्ष जो परियोजनाएं स्वीकृत हुई और जो अनुदान दिये गये, उनका लेखा-जोखा इस प्रकार है :

परियोजना	परियोजनाओं की संख्या	अनुदान की राशि रु०
छात्रावास	60	71,83,000
पुस्तकालय और प्रयोगशाला-सुविधाएं	297	2,61,00,000
अध्यापकावास और अध्यापकों के क्वाटर	40	57,59,000
पुस्तकें	54	11,95,000
अनावासी छात्र-केन्द्र	68	18,22,000
चाक-बोर्ड	86	1,40,000
ट्यूबवेल और अधिकऊर्ध्व टंकियां	20	73,000
साइकिल शेड	30	1,60,000
शताब्दी-अनुदान	—	1,60,000
जोड :		4,25,92,000

जिन अन्य सुविधाओं के लिए कालेजों को आयोग का सहारा मिल सकता है उनमें कल्याण-योजनाएं—जैसे छात्र-सहायता-कोष, वाटरकूलर, पुस्तक-बैंक तथा विविध योजनाएं शामिल हैं।

(ii) शिक्षण का विकास

आयोग ने कालेज में शिक्षण के विकास को बहुत ऊंची प्राथमिकता दी है। ऊपर जिन सुविधाओं की चर्चा की गई है उनका उद्देश्य कालेजों में अध्ययन-अध्यापन की प्रक्रिया को समृद्ध बनाना है। परन्तु ऐसी अन्य योजनाएं भी है जिनका मंतव्य कालेजों में पढ़ने-पढ़ाने की प्रक्रिया को गति देना है। इस दृष्टि उल्लेखनीय योजनाएं ये हैं: पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं के लिए अनुदान, मानविकी विषयों, सामाजिक विज्ञानों तथा विज्ञानों में शोधवृत्तियां, कालेजों में अध्ययन तथा अनुसंधान, कार्य के लिए सेवानिवृत्त अध्यापकों की सेवाओं का उपयोग, अनुसंधान के लिए कालेज-अध्यापकों को वित्तीय सहायता, अरबी, फ़ारसी, पालि, प्राकृत में छात्रवृत्तियां, पार्वत्य क्षेत्रों के छात्रों को विशेष छात्रवृत्तियां, अध्यापकों को यात्रा-अनुदान, गोष्ठियां, परिचर्चाएं, वर्कशाप, सम्मेलन आदि।

1970-71 में कालेज-विज्ञान-उन्नयन-कार्यक्रम (कासिप) आरम्भ किया गया था ताकि जिन कालेजों में पूर्व-स्नातकों की संख्या बहुत है उनके विज्ञान शिक्षण में एक गुणात्मक उन्नयन हो और प्रयोग की तथा स्वत: नवोन्मेष की एक अनवरत प्रक्रिया शुरू हो जाये। इस कार्यक्रम पर दो स्तरों पर अमल हुआ: (1) चुने हुए कालेजों में, और (2) चुने हुए विश्वविद्यालय-विभागों में। इसका उद्देश्य यह है कि उस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी कालेजों में कुछ चुने हुए विषयों की पढ़ाई में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो जाये। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जो संस्थाएं चुनी गई हैं उन्हें यह अवसर मिला है कि वे अपने पाठ्यक्रम और परीक्षा-पद्धतियां बदलें और शिक्षण की ज्यादा अच्छी विधियाँ अपनायें, कक्षाओं में बैठकर दिए जाने वाले औपचारिक शिक्षण को कम करें तथा विज्ञान-शिक्षा को अधिक संगत एवं अर्थपूर्ण बनायें। कालेज अपने विशेष विषयों में अध्ययन-क्रम को यथावश्यक उन्नत और आधुनिक रूप देने के लिए विशेष परियोजनाएं बना सकते हैं और चुने हुए क्षेत्रों में यथोचित अल्पकालीन पाठ्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं ताकि संशोधित पाठ्यक्रमों में जो विषय शामिल किये गये हैं, उनका अध्यापन पहले से अधिक कारगर तरीके से किया जा सके। आवश्यक पाठ्य-सामग्री, प्रश्न-बैंक, और प्रयोगशाला-निर्दशिकाएं तैयार करने की ओर नये प्रयोगों को रूप देने की तथा निदर्शन एवं प्रयोगशाला के लिए आवश्यक उपकरण तैयार करने की भी कोशिश की गई है। कालेज-विज्ञान-उन्नयन-कार्यक्रम (कासिप) के अंतर्गत मदुरै विश्वविद्यालय के जीवविज्ञान-विभाग द्वारा आयोग की सहायता से एक वृत्तपत्र प्रकाशित किया जाता है। इसके माध्यम से विश्वविद्यालयों और कालेजों में कालेज-विज्ञान-कार्यक्रम से सम्बन्धित सूचनाओं का प्रसार होता है। अमरीकी नेशनल साईंस फाउण्डेशन ने भी इस कार्यक्रम को अपना सहयोग प्रदान किया है और थोड़ी-थोड़ी अवधियों

के लिए अपने सलाहकारों की सेवाएं इसके लिए प्रदान की हैं। इरादा यह है कि एक-दो साल में मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के विषयों में भी शिक्षण की समृद्धि के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया का आरम्भ किया जाएगा।

मार्च, 1973 तक आयोग ने 14 विश्वविद्यालयों तथा 104 कालेजों में विज्ञान-उन्नयन-कार्यक्रम लागू करने की परियोजनाओं का अनुमोदन कर दिया था। 1972-73 में आयोग ने इन पर अमल करने के लिए विश्वविद्यालय-विभागों तथा कालेजों को क्रमश: 10,25,000 रु० तथा 48,25,000 रु० के अनुदान दिये।

(iii) स्नातकोत्तर अध्ययन

आयोग ने इस बात में पूरी-पूरी दिलचस्पी ली है कि कालेजों में स्नातकोत्तर अध्ययन का सही दिशा में विकास हो। इस कार्यक्रम को कितनी प्राथमिकता दी गई है — यह इस बात से पता चलता है कि चौथी योजना की अवधि में इस कार्यक्रम के लिए कालेजों को दी जाने वाली सहायता में अच्छी-खासी वृद्धि कर दी गई। मानविकी और सामाजिक विज्ञान के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए किसी कालेज को 1.5 लाख रु० तक के अनुदान मिल सकते हैं तथा विज्ञान के विविध विषयों के स्नातकोत्तर विभागों के लिए आयोग कालेजों को इस प्रकार सहायता देता है : भौतिकी और रसायन के लिए डेढ़-डेढ़ लाख रु० तक, वनस्पति विज्ञान, जीवरसायन, गृहविज्ञान तथा भूविज्ञान प्रत्येक के लिए 75,000 से 1,00,000 रु० तक मानवविज्ञान, भूगोल तथा सांख्यिकी प्रत्येक के लिए 50,000 से 75,000 रु० तक। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कालेजों को नियत सीमा के भीतर साझे के आधार पर सहायता दी जाती है ताकि वे मौजूदा और नये पाठ्यक्रमों के लिए और अध्यापक रख सकें तथा पुस्तकालय और प्रयोगशाला की अधिक सुविधाओं की व्यवस्था कर सकें। वर्तमान योजना-अवधि के भीतर मानविकी और सामाजिक विज्ञानों में अपने स्नातकोत्तर अध्ययन के विकास के लिए 123 कालेजों को सहायता दी गई और समीक्षाधीन वर्ष में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 16 नये कालेजों को सहायता दी गई और इस काम के लिए 5 लाख रु० से अधिक के अनुदान की स्वीकृति दी गई। विज्ञानों में 1972-73 के अंत तक इस योजना के अंतर्गत 125 कालेजों के 280 विज्ञान विभागों के लिए सहायता प्रदान की गई। इनमें से 21 कालेजों के 41 स्नातकोत्तर-विभागों के लिए 1972-73 में सहायता दी गई। विज्ञान-विषयों की स्नातकोत्तर शिक्षा के विकास के निमित्त कालेजों को 19.78 लाख रु० के अनुदान दिये गये।

आयोग सम्बद्ध कालेजों में स्नातकोत्तर विभागों को सहायता देने के संपूर्ण प्रश्न पर पुनर्विचार कर रहा है। कुछ इस प्रकार के उदाहरण सामने आये हैं जिनमें आयोग द्वारा दी गई इस सहायता का उपयोग केवल संख्या-वृद्धि के लिए किया गया है और इस अंधाधुंध विस्तार के कारण स्नातकोत्तर शिक्षा की समृद्धि का मूल प्रयोजन प्राय: नष्ट हो गया है। इरादा यह है कि इस सारे मामले पर सोच-विचार के लिए एक विशेषज्ञ-समिति नियुक्त की जाये।

आयोग कालेजों के विकास को कितनी अधिक प्राथमिकता देता है—यह चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों में कालेजों को दी गई सहायता की बढ़ती हुई राशि से स्पष्ट है। 1969-70 में 354.93 लाख रु० की राशि सहायता के रूप में दी गई थी जबकि 1972-73 में 859.09 लाख रु० की सहायता दी गई। यह सहायता हर वर्ष बढ़ती ही जा रही है और आयोग ने कालेजों पर जितना धन व्यय किया है उसका अनुपात भी काफी बढ़ गया है। 1969-70 में आयोग ने अपने कुल बजट का 14.4 प्रतिशत कालेजों पर खर्च किया था, 1972-73 में यह अनुपात बढ़कर 21.7 प्रतिशत हो गया।

1972-73 में कालेजों को सहायता के रूप में 859.09 लाख रु० की जो धनराशि दी गई, उसका विवरण परिशिष्ट XII में दिया गया है।

(iv) दिल्ली के कालेज

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दिल्ली के कालेजों के लिए अनुरक्षण-अनुदान देने होते हैं और इस कार्य के लिए आयोग के योजनेतर बजट में धन की व्यवस्था रहती है। दिल्ली के कालेजों के बजट में जितना अनुमोदित घाटा होता है उसके 95% के आधार पर आयोग उन्हें अनुरक्षण-अनुदान देता है। यदि देश की सहायतार्थ अनुदान-संहिता को देखें तो दिल्ली के कालेजों के लिए जो सहायतार्थ अनुदान-संहिता आयोग ने अपनाई है, उसमें बहुत उदारता बरती गई है। दिल्ली के कालेजों में प्राध्यापकों के वेतन-मान वे ही हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के हैं। इनमें से 25% प्राध्यापकों को प्रवरण.कोटि (सेलेक्शन ग्रेड) में रखा जा सकता है जो 700-1,250 रु० है।

चूंकि दिल्ली के कालेजों में भरती की मांग निरन्तर बढ़ती जा रही है, इसलिए आयोग ने 'विस्तीर्ण कालेजों' की योजना अंगीकार कर ली है। इन कालेजों में प्रभावी छात्र-संख्या 1,500 होती है जबकि अन्य कालेजों में केवल 1,000 होती है। छात्रों की 1,000 से ऊपर की संख्या के लिए कालेजों को शत-प्रतिशत आधार पर अनुरक्षण-अनुदान दिया जाता है। स्वभूत प्रयोजनों के लिए ऐसे कालेजों को अनावर्ती अनुदान भी शत-प्रतिशत आधार पर दिया जाता है। 1972-73 में ऐसे कालेजों की सख्या 19 थी।

समीक्षाधीन वर्ष में स्नातकोत्तर (सांध्यकालीन) अध्ययन संस्थान (इंस्टीट्यूट आफ़ पोस्ट ग्रेजुएट (ईवनिंग स्टडीज़) को विश्वविद्यालय-विभागों के साथ मिला दिया गया। यह संस्थान विश्वविद्यालय द्वारा संचालित था और आयोग से इसे अनुरक्षण-अनुदान मिलता था। 1972-73 में तीन नये कालेज खोले गये। इनमें से दो तो दिल्ली प्रशासन की ओर से खोले गये हैं और तीसरा व्यावसायिक-अध्ययन-कालेज स्वयं दिल्ली विश्वविद्यालय ने खोला है।

1969-70 से 1972-73 तक दिल्ली के कालेजों को जो अनुक्षण-अनुदान दिये गये उनका ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	कालेजों की संख्या	रु०
1969-70	37	2,45,55,000
1970-71	40	227,16,973
1971-72	40	366,62,584
1972-73	43	4,30,18,760

अनुरक्षण-अनुदान के अतिरिक्त, आयोग दिल्ली के कालेजों की आवश्यकतानुरूप विकास-अनुदान भी देता है। देश में अन्यत्र तो कालेजों के लिये 3 लाख रु० की अधिकतम सीमा लागू हैं परन्तु दिल्ली के कालेजों के संदर्भ में ऐसी कोई सीमा नहीं है क्योंकि विकास-अनुदान के अतिरिक्त उन की स्थापना के लिये भी अनुदान दिये जाते हैं। पिछले चार वर्षों में दिल्ली के कालेजों को जो अनुदान दिए गए, उनका ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	कालेजों की संख्या	विकास अनुदान की राशि
1969-70	37	42,20,530
1970-71	40	42,43,670
1971-72	40	29,34,878
1972-73	43	48,55,253

दिल्ली के कालेजों को पिछले चार वर्षों में आयोग से औसतन एक लाख रु० सालाना का विकास-अनुदान मिलता रहा है।

भाग –V

छात्र

आयोग विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में जिन विकास-कार्यक्रमों का प्रवर्तन करता है उन सब के केन्द्र में छात्र और अध्यापक होते रहे हैं। इन सब कार्यक्रमों का छात्रों तथा अध्यापकों की खुशहाली पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव पड़ता है और साथ ही ये कार्यक्रम अध्ययन तथा अनुसंधान के लिये एक अनुकूल वातावरण तैयार करने में भी किसी-न-किसी रूप में योग देते हैं। छात्र-कल्याण के लिये तथा अध्ययन एवं अनुसंधान का स्तर ऊपर उठाने की समुचित सुविधाएं प्रदान करने के लिये जो धनराशि आयोग देता हैं वह बराबर बढ़ती जा रही है जो इस बात का द्योतक है कि आयोग-विकास के इस पहलू को बहुत प्राथमिकता देता है। नीचे छात्रों के निमित्त शुरु किये गए कुछ ऐसे प्रमुख कार्यक्रमों का उल्लेख किया जा रहा है जिन्हें आयोग का समर्थन प्राप्त है :

विश्वविद्यालयों के प्रबंध में छात्रों का सहभाग

पिछले वर्ष हमने विश्वविद्यालयों के प्रबंध पर विचार करने वाली समिति की मुख्य सिफारिशों की चर्चा की थी। इसमें और सवालों के अलावा विश्वविद्यालयों के प्रबंध में छात्रों के सहभाग के प्रश्न पर भी विचार किया गया था। इस समिति की सिफारिशें सभी विश्वविद्यालयों को भेजी गई थीं और हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि कई विश्वविद्यालयों ने छात्रों को प्रतिनिधित्व देने के लिए कदम उठाये हैं। केरल-विश्वविद्यालय की सीनेट और विद्या-परिषद् में छात्रों का प्रतिनिधित्व हैं। उत्तर प्रदेश राज्य-विश्वविद्यालय-अधिनियम, 1972 में राज्य के विश्वविद्यालयों के कोर्टों तथा सीनेटों में छात्रों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है। गुजरात-विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972 में यह व्यवस्था है कि विश्वविद्यालय के सीनेट में चार छात्रों का चुनाव होगा—दो पूर्व स्नातक स्तर से और दो स्नातकोत्तर स्तर से। अलीगढ़ विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 1972 में यह व्यवस्था है कि कोर्ट में छात्रों के प्रतिनिधि हों। साथ ही, उसके अन्तर्गत छात्र-परिषद् की भी व्यवस्था है जिसका मुख्य काम यह होगा कि शैक्षिक कार्य, अनुशासन, छात्र-कल्याण तथा खेल-कूद और छात्रों के पाठ्यक्रमेत्तर क्रियाकलाप से सम्बन्धित सब मामलों पर कार्य-परिषद् तथा विद्या-परिषद् को यथोचित सिफारिश करें। आशा है धीरे-धीरे सभी विश्वविद्यालयों में ऐसी व्यवस्था हो जायेगी कि विश्वविद्यालय के संचालन में छात्रों का समुचित प्रतिनिधित्व और सहभाग रहे।

छात्रवृत्तियां और अध्येतावृत्तियां

स्नातकोत्तर और शोध के स्तर पर छात्रों की संख्या हर साल बराबर बढ़ रही है। 1969-70 से लेकर 1972-73 तक, स्नातकोत्तर स्तर पर छात्रों की संख्या 1,46,804 से बढ़कर 1,98,464 हो गई और शोध के स्तर पर 12,474 से बढ़कर 16,720 तक। आयोग के पास छात्रवृत्तियां तथा अध्येता-वृत्तियाँ इतनी कम हैं कि वह होनहार और सुयोग विद्यार्थियों को बढ़ावा देने की और विशिष्ट छात्रों में अनुसंधान को गति और विविधता प्रदान करने की दृष्टि से विश्वविद्यालयों और कालेजों की जरूरतें पूरी करने के लिये बहुत कम हैं। साधनों और अन्य प्राथमिकताओं की अपर्याप्तता के कारण आयोग ऐसे सब सुयोग्य विद्यार्थियों को सुविधाएं नहीं दे पाया जिन्हें अपना अध्ययन जारी रखने के लिये आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है।

अध्येतावृत्तियां

उच्चतर अध्ययन-केन्द्रों में तथा विश्वविद्यालयों में स्वीकृति विकास-कार्यक्रमों के अधीन जो छात्रवृत्तियां और अध्येतावृत्तियां उपलब्ध है, उनके अलावा आयोग विभिन्न क्षेत्रों में उच्चतर अध्ययन तथा अनुसंधान के लिये प्रतिवर्ष निर्दिष्ट संख्या में अध्येतावृत्तियां देता है। ये अध्येतावृत्तिया दो तरह की हैं—बड़ी और छोटी। बड़ी शोध-वृत्ति 500 रु० प्रति माह की है और उसका उद्देश्य डाक्टर की उपाधि के बाद के अनुसंधान का उन्नयन करना है। छोटी अनुसंधान-वृत्ति 300 रु० माहवार की है और वह डाक्टरी उपाधि के निमित्त अध्ययन के लिये है। इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में 400 रु० प्रतिमाह की शोधवृत्तियां हैं जो इन क्षेत्रों के सुयोग्य स्नातकोत्तर छात्रों को मिल सकती हैं। हर अध्येतावृत्ति के संग 1,000 रु० का आनुषंगिक वार्षिक अनुदान मिल सकता है। 1972-73 में आयोग ने 49 बड़ी अध्येतावृत्तियाँ विज्ञान-विषयों में दीं, 21 मानविकी और सामाजिक विज्ञान-विषयों में तथा 73 इंजीनियरी और प्रौधोगिकी में दीं। इनके साथ ही उसने 38 छोटी अध्येतावृत्तियां मानविकी और सामाजिक विज्ञान-विषयों में दीं तथा 103 विज्ञान-विषयों में। इन कार्यक्रमों के लिये विश्वविद्यालयों और कालेजों को 21,36,297 रु० की धनराशि दी गई है। समीक्षाधीन वर्ष के अन्त में आयोग द्वारा दी गई छात्रवृत्तियों के सहारे मानविकी और सामाजिक विज्ञान-विषयों में 156 अध्येता, विज्ञान-विषयों में 193 अध्येता तथा इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में 66 अध्येता अपने शोधकार्य में संलग्न थे।

आयोग प्रतिवर्ष एक निश्चित संख्या में 300 रु० प्रतिमाह की छोटी शोधवृत्तियां विश्वविद्यालयों को देता हैं। 1972-73 में इस कार्यक्रम के लिये विश्वविद्यालयों और कालेजों के निमित्ति 83,85,000 रु० की धनराशि का नियतन किया गया और वर्ष में 53,62,823 रु० के अनुदान बांट दिये गए। आयोग ने अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, पालि तथा

प्राकृत के अध्ययन और अनुसंधान के उन्नयन पर विशेष ध्यान दिया है। इन क्षेत्रों में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए 1,800 रु० प्रति वर्ष की तथा आनर्स पाठ्यक्रमों के लिए 1,200 रु० प्रतिवर्ष की छात्रवृत्तियां स्थापित की गई है। इस वर्ष संस्कृत में 26 स्नातकोत्तर अध्येतावृत्तियां दी गई और अरबी-फारसी में 20 इन कार्यक्रमों को अमल में लाने के लिये 1,03,856 रु० की पूंजी दी गई। भारत के उत्तर पूर्वी सीमांत के पर्वत्य क्षेत्रों के छात्रों और देश के शेष भागों के छात्रों के बीच शैक्षिक संपर्क के मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से आयोग ने इन क्षेत्रों के सुयोग्य छात्रों के लिये छोटी शोधवृत्तियों और छात्रवृत्तियों की स्थापना की है। इस वर्ष आयोग ने स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये 22 छात्रवृत्तियां दीं और डाक्टरी उपाधि के निमित्त अनुसंधान के लिये दो छोटी अध्येतावृत्तियां प्रदान कीं। इस सबके लिए आयोग ने सम्बद्ध विश्वविद्यालयों और कालेजों को 60,681 रु० के अनुदान दिये।

छात्रावास

छात्रों के लिए आवास की आवश्यकता का संकेत इसी बात से मिल जाता है कि हर साल छात्रावास की सुविधाएं दुर्लभ होती जा रही हैं और विश्वविद्यालय-स्तर के छात्रों में औसतन 10 में से एक को छात्रावास में जगह मिल पाने की संभावनाएं होती हैं। अपनी स्थापना के समय से ही आयोग अधिक छात्रावासों की व्यवस्था करने में विश्वविद्यालयों और कालेजों की सहायता करता रहा है पर छात्रावासी छात्रों के अनुपात में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती क्योंकि विश्वविद्यालीय स्तर के छात्रों की संख्या हर वर्ष नियमित रूप से बढ़ती जा रही है।

आयोग राज्य-विश्वविद्यालयों को छात्रावासों के निर्माण के लिये साझेदारी के आधार पर सहायता प्रदान करता रहा। यह सहायता छात्रों के आवासों के लिये 50-50 प्रतिशत के आधार पर दी जाती है और छात्राओं के आवासों के लिये आयोग 75 प्रतिशत की सहायता देता हैं। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को इस काम के लिये शत-प्रतिशत सहायता दी जाती है। इस वर्ष अतिरिक्त छात्रावासों की व्यवस्था के लिए 40 विश्वविद्यालयों को सहायता दी गई और इस काम के लिए 33,55,000 रु० की धनराशि दी गई।

1971-72 में आयोग ने 745 छात्रों और 548 छात्राओं के निमित्त स्नातकोत्तर छात्रावास बनाने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना की निर्दिष्ट राशि से अलग 14 विश्वविद्यालयों को सहायता देना स्वीकार किया था। (इनमें केन्द्रीय विश्वविद्यालय भी शामिल हैं)। 1972-73 में आयोग ने 1,190 छात्रों और 250 छात्राओं के निमित्त छात्रावासों के निर्माण के लिए (एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय समेत) 16 अन्य विश्वविद्यालयों को सहायता देना स्वीकार किया। इसी संदर्भ में जिन सात विश्वविद्यालयों ने कार्यक्रम पर अमल शुरू कर दिया, उन्हें 21,45,000 रु० की धनराशि दी गई।

विभिन्न विश्वविद्यालयों के इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी विभागों को इस वर्ष अपने छात्रावासों में जगह बढ़ाने के लिए 3,07,000 रु० की सहायता दी गई।

आयोग ने मौजूदा छात्रावासों में सुधार करने और मरम्मत आदि के लिए 1969 में सहायता देना शुरू किया था। इस योजना के अंतर्गत 41 विश्वविद्यालयों को लाभ हुआ है।

छात्रावास बनाने के लिए कालेजों को सहायता देने की योजना जारी है। इस वर्ष ऐसी 60 परियोजनायें स्वीकार की गई और 71,83,000 रु० के अनुदान दिये गये।

छात्र-सुविधायें

1968-69 और 1970-72 के वर्षों में आयोग ने मौजूदा छात्रावासों, मनोरंजन, कैंटीन, सफाई तथा पानी ठंडा करने की सुविधायें बढ़ाने के लिए कालेजों को उनकी छात्र संख्या के अनुसार 5,000 रु० से लेकर 12,000 रु० तक के अनुदान दिये। 1972-73 में इस कार्यक्रम पर अमल करने के लिए कालेजों को कुल मिलाकर 12,00,363 रु० के अनुदान दिये गये। इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों को जो सहायता दी गई है उसका उल्लेख इस रिपोर्ट में पहले किया जा चुका है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में छात्र-सुविधायें बढ़ाने की योजनाओं की चर्चा भी पहले की जा चुकी है।

अनावासी-केन्द्रों तथा छात्रघरों की योजनायें मूलतः इसलिए शुरू की गई थीं कि फुर्सत के वक्त दिवा-छात्रों को पढ़ने-लिखने की सुविधायें मिल जायें। इन घरों में लगभग 100 छात्रों के लिए सुविधायें हैं, लगभग 5,000 पुस्तकों के लिए रैक रखने की इनमें जगह हैं और इसके अलावा एक कैफेटेरिया तथा एक सामूहिक भोजन-कक्ष है। विश्वविद्यालयों में छात्र-घर बनाने के लिए आयोग अपने हिस्से के तौर पर एक लाख रुपया और वास्तविक लागत में से जो भी कम हो उतनी रकम देता है। इन घरों को किताबें तथा फर्नीचर खरीदने के लिए 21,000 रु० का अनावर्ती अनुदान भी दिया जाता है। चूंकि यह योजना बहुत मूल्यवान और महत्वपूर्ण है, इसलिए आयोग विश्वविद्यालयों को पहले छात्र घर के लिए जो सहायता देता है, वह चौथी योजना के बिकास-विनिधान की राशि से अलग दी जाती है। इसके अलावा जो भी छात्रघर बनाये जायें वे विश्वविद्यालयों को योजना के अंतर्गत अपने लिए नियत की गई धनराशि में से बनवाने होते है। आयोग ने छात्रघर बनाने में अब तक 65 विश्वविद्यालयों को सहायता दी है। 1972-73 में उन्हें इसी सिलसिले में 3,85,000 रु० के अनुदान दिये गये। विश्वविद्यालय में छात्रघरों का जो स्वरूप है वही कालेजों के संदर्भ में अनावासी छात्र-केन्द्रों का है। 1972-73 में, कालेजों में ऐसी 86 परियोजनाएं स्वीकार की गई और इस काम के लिए उन्हें 1,82,000 रु० की रकमें दी गई।

आयोग जिन छात्र-केन्द्रों को सहायता देता है उनका उद्देश्य ऐसे भीड़-भरे नगरों में छात्रों की आवश्यकतायें पूरी करनी हैं जहां शांति के साथ पढ़ने-पढ़ाने की सुविधायें प्रायः

बहुत कम हैं। आयोग केन्द्रों को किताबों, स्टैंकों और फर्नीचर के लिए सहायता देता है और इनके लिए बिना किराये की जगहों का इंतजाम करने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय उठाते हैं। अब तक देश के विभिन्न भागों में 91 छात्र-कैन्द्र स्थापित किये जा चुके है और प्राप्त सूचनाओं से पता चलता है कि छात्रों ने इस कार्यक्रम का स्वागत किया है।

आयोग ने किताब-कोष के विकास के लिए कालेजों को सहायता देना स्वीकार किया है ताकि जरूरतमन्द छात्रों को लम्बे अरसे के लिए किताबें उधार मिल सकें। इस काम के लिए कालेजों को 15,000 रु० से लेकर 30,000 रु० तक के अनुदान मिल सकते हैं। अब तक लगभग 1300 कालेजों ने इस सहायता से लाभ उठाया है।

स्वास्थ्य केन्द्र

आयोग ने यह तय किया है कि हर विश्वविद्यालय को और उसके दो संबद्ध कालेजों को अपने छात्रों के लिए स्वास्थ्य-केन्द्र स्थापित करने में सहायता दी जाये। आयोग ने भवन-निर्माण और उपकरण के लिए स्वीकृत व्यय का या तो अधिक से अधिक 75 प्रतिशत सहायता के रूप में देगा या फिर अधिक से अधिक 1,50,000 रु० देगा। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए स्वीकृत व्यय का 50 प्रतिशत देगा जिसकी अधिकतम सीमा 30,000 रु० प्रतिवर्ष होगी। जहां तक कालेजों का प्रश्न है साझेदारी का आधार तो यही होगा पर अधिकतर सीमा कुछ कम होगी। इस वर्ष प्रस्तुत कार्यक्रम के अधीन 11 विश्वविद्यालयों और 17 कालेजों को सहायता प्रदान की गई।

खेल और शारीरिक शिक्षा

आयोग शारीरिक शिक्षा के लिए बराबर सहायता दिये जा रहा है। केन्द्र सरकार इसके लिए अलग से धन देती है। समीक्षाधीन वर्ष में, कार्यक्रम के पहले दौर के तौर पर जिमनाजियम बनाने के लिए 32 विश्वविद्यालयों और 85 कालेजों को सहायता देना तय किया गया। 33 विश्वविद्यालयों और 296 कालेजों में खेल के मैदान तैयार करने के प्रस्ताव स्वीकार किये जा चुके हैं और जैसे-जैसे योजना आगे बढ़ती जा रही है वैसे-वैसे आयोग सहायता देता जा रहा है।

आयोग ने प्रशिक्षित खेलकूद-अनुशिक्षक नियुक्त करने के लिए भी विश्वविद्यालयों और कालेजों को सहायता दी है ताकि विभिन्न खेल-कूदों आदि में विश्वविद्यालय के छात्रों को सही दिशा में और सक्षम मार्गदर्शन मिल सके। 32 विश्वविद्यालयों के लिए यह कार्यक्रम स्वीकृत किया गया था और समीक्षाधीन अवधि में उन्हें 2,01,565 रु० के अनुदान दिये गये।

छात्र-सहायता-कोष

छात्र-सहायता-कोष की योजना इसलिए शुरू की गई थी कि विश्वविद्यालयों और कालेजों में जरूरतमन्द छात्रों को पढ़ाई और परीक्षा की फीस देने के लिए, किताबें खरीदने के लिए और अपनी पढ़ाई से संबंधित अन्य खर्चे पूरे करने के लिए कुछ वित्तीय सहायता प्राप्त हो जाये—फिर चाहे वह कितनी भी कम क्यों न हो। विश्वविद्यालय अपने विभागों और संबद्ध कालेजों से जितना धन-संग्रह कर लेते हैं उतनी ही राशि आयोग अनुदान के रूप में दे देता है पर यह राशि वर्ष में 1,500 रु० से अधिक नहीं हो सकती। इसका उद्देश्य यह कि विश्वविद्यालय और कालेज इस कार्यक्रम में कारगर तौर पर हिस्सा ले सकें। छात्रों की संख्या के अनुसार कालेजों को 750 रु० से लेकर 5,000 रु० तक के अनुदान भी दिये जाते हैं। 1972-73 में आयोग ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत 50 विश्वविद्यालयों को 4,08,100 रु० के और 2,003 कालेजों को 42,73,000 रु० के अनुदान दिये।

रोज़गार-सूचना और परामर्श-ब्यूरो

रोज़गार-सूचना और परामर्श-ब्यूरो तथा जीविका-परामर्श-एकक स्थापित करने की योजना 1971-72 में इसलिए शुरू की गई थी कि छात्रों को अपनी संस्थाओं में अध्ययन-क्रम चुनने में तथा शिक्षा पूरी कर लेने के बाद अपनी जीविका चुनने में सहायता दी जा सके। आयोग विश्वविद्यालयों को 17,900 रु० प्रति वर्ष की और कालेजों को 1,200 रु० प्रति वर्ष की सहायता इस सिलसिले में देता है। 45 विश्वविद्यालयों और 18 कालेजों में यह योजना लागू है। 1972-73 में विश्वविद्यालयों और कालेजों को इस योजना के अंतर्गत 1,01,000 रु० की धनराशि अनुदान के रूप में दी गई।

भाग—VI

संकाय—विकास

यह एक बहुत ही घिसी-पिटी बात है कि पढ़ने-पढ़ाने की हर व्यवस्था की सफलता अध्यापक पर निर्भर होती है पर फिर भी आज देश में अध्यापन-अनुसंधान का जो स्तर है और हमारे आस-पास जिस रूप में ज्ञान का तेज़ी से विस्तार हो रहा है उसे देखते हुए अगर इस बात को फिर-फिर दोहराया जाये तो अनुचित न होगा। देश में उच्चतर शिक्षा का स्तर आगे चल कर क्या होगा—यह बहुत हद तक अध्यापकों की खुशहाली पर और उनके अध्यापन के स्तर पर निर्भर होगा। समर्थ अध्यापक सदा एक विद्यार्थी भी रहता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि अध्यापक नई संकल्पनाओं के संपर्क में रहें और अपने क्षेत्र-विशेष की गतिविधियों से अवगत रहें– तभी वे अपनी व्यवसायिक क्षमता बढ़ा सकेंगे। ग्रीष्म-संस्थानों, संगोष्ठियों, पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों, शैक्षिक सम्मेलनों, अध्येतावृत्तियों तथा बाहर के विद्वानों को आमंत्रित करने के कार्यक्रम का मंशा यही है कि अध्यापकों का अपने-अपने कार्य क्षेत्रों की नई गतिविधियों से परिचय हो जाये।

कालेज-अध्यापकों के लिए ग्रीष्मकालीन विज्ञान-संस्थान

1964-72 तक की अवधि में आयोग ने विज्ञान के विभिन्न विषयों में 413 ग्रीष्म-संस्थानों का आयोजन किया और इस कार्यक्रम से 14,706 अध्यापक-सहभागियों ने लाभ उठाया। कालेज-अध्यापकों के लिए ग्रीष्मकालीन विज्ञान-संस्थानों का आयोजन 1964 से होता चला आ रहा है। 1972-73 में राष्ट्रीय विज्ञान-शिक्षा-परिषद् के सहयोग से कालेज-अध्यापकों के लिए 57 ग्रीष्म-संस्थानों का आयोजन किया गया (15 गणित में, 11 भौतिकी में, 13 रसायन तथा 18 जीवविज्ञान में)। जीवविज्ञान, रसायन, भौतिकी और गणित के कालेज-अध्यापकों के लिए इनमें से एक-एक संस्थान फ़ील्ड सामग्री के प्रयोग के आधार पर आयोजित किया गया और इनमें ब्रिटिश कौंसिल का सहयोग और समर्थन प्राप्त हुआ। इन संस्थानों में भाग लेने वालों की संख्या 2,090 थी।

अंग्रेजी भाषा-शिक्षण का ग्रीष्म-संस्थान

समीक्षाधीन वर्ष में सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ इंगलिश एण्ड फ़ारेन लैंग्वेजिज, हैदराबाद तथा ब्रिटिश कौंसिल, नई दिल्ली के सहयोग से अंग्रेजी भाषा शिक्षण के 18 ग्रीष्म-संस्थानों का आयोजन किया गया जिनमें 872 कालेज-अध्यापकों ने भाग लिया। इन संस्थानों के लिए उक्त संस्थाओं ने कुछ विशेषज्ञों का प्रबन्ध किया। अब तक अंग्रेजी-भाषा शिक्षण के

कुल मिलाकर 85 ग्रीष्म-संस्थानों का आयोजन किया जा चुका है और इनमें 4,057 कालेज-अध्यापकों ने भाग लिया है।

अंग्रेजी भाषा शिक्षण के इन ग्रीष्म-संस्थानों में भाग लेने वालों में जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं उन्हें सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ इंगलिश एंड फारेन लैंग्वेजज़, हैदराबाद में और आगे प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आयोग 300 रु० प्रति माह की अध्येतावृत्तियां देता है। इसका मंतव्य यह है कि इनमें भाग लेने वालों को प्रेरणा मिले।

1973 की गर्मियों में कालेजों के अंग्रेज़ी-अध्यापकों के लिये देश के विभिन्न भागों में अंग्रेज़ी के 10 सामान्य स्तरीय ग्रीष्म-संस्थान और दो अरितल भारतीय उच्चतर एवं विशेषस्तरीय संस्थानों का आयोजन किया गया।

स्नातकोत्तर छात्रों के लिये ग्रीष्म-संस्थान

आयोग ने स्तानकोत्तर अध्ययन का स्तर ऊंचा उठाने में भी गहरी दिलचस्पी ली है और इस उद्देश्य से समय-समय पर विज्ञान के विभिन्न विषयों में इस स्तर के संस्थानों का आयोजन किया गया है।

1973 की गर्मियों में स्नातकोत्तर छात्रों के लिए चार संस्थानों का आयोजन किया गया। भारतीय विज्ञान-संस्थान, बंगलौर में (जीवविज्ञानों के लिये), उसमानिया विश्व-विद्यालय, हैदराबाद में (रसायन के लिए), बंगलौर विश्वविद्यालय में (गणित के लिये) तथा मदुरै विश्वविद्यालय में (भौतिकी के लिये)।

सामाजिक विज्ञान के विषयों में ग्रीष्म-संस्थान

विज्ञान में ग्रीष्म-संस्थानों के आयोजन के कार्यक्रम को धीरे-धीरे विस्तार देकर उसमें सामाजिक विज्ञानों को भी शामिल कर लिया गया है। आयोग की सहायता से ऐसे तीन संस्थानों का आयोजन 1971 में किया गया था और सात का 1972 में किया गया।

नये अवर कालेज-अध्यापकों के लिए अभिविन्यास-पाठ्यक्रम

नये और अवर अध्यापकों को अध्ययन-क्रम के आयोजन से, वर्ष भर के अध्यापन-कार्यक्रमों को विभिन्न भागों में बांटने के काम से, कक्षागत परीक्षणों और परीक्षाओं से, प्रश्न पत्र बनाने, छात्रों के काम के मूल्यांकन से, ट्यूटोरियल व्याख्यान आदि से अवगत कराने के उद्देश्य से सम्बन्ध कालेजों के ऐसे अध्यापकों के लिये समय-समय पर अभिविन्यास-पाठ्यक्रमों का आयोजन होता रहा है। 1972 में, ऐसे पाठयक्रमों का आयोजन करने के लिये 18 विश्वविद्यालयों को सहायता दी गई।

संगोष्ठियां, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और सम्मेलन

1972-73 में संगोष्ठियों, पुनश्चर्या-पाठ्यक्रमों, परिसंवादों तथा सम्मेलनों के बारे में 166 प्रस्ताव स्वीकार किए गए ताकि विश्वविद्यालयों और कालेजों के अध्यापक विचारों का आदान-प्रदान कर सकें और दूसरी संस्थाओं के अध्यापकों के अनुभव, अध्ययन और अनुसंधान से लाभ उठा सकें।

ग्रीष्म-संस्थानों तथा अन्य संबद्ध कार्यक्रमों में भाग लेने वालों से औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत करने से यह पता चला कि इनके आयोजन में और इन्हें दिशा देने की दृष्टि से अभी सुधार की गुंजाइश है। आयोग इस तरह के सारे क्रियाकलाप का व्यापक सर्वेक्षण करा रहा है और पूरी आशा है कि पांचवीं योजना के दौरान ये सब अधिक सार्थक और फलदायक हो सकेंगे।

अध्यापकों को अनुसंधान के लिए सहायता

(क) विश्वविद्यालयों को हरेक योजनावधि में उनके प्रकृत विकास के अंग के रूप में अनुसंधान-सहायता दी जाती है। पर पता यह चला कि निरीक्षण-समितियों के मुआयने के बाद विश्वविद्यालयों ने जो कई अनुसंधान-परियोजनाएं शुरू की थीं उनकी प्रगति धनाभाव के कारण रुक गई है। अतः आयोग ने तय किया कि हर विश्वविद्यालय को 50,000 से लेकर 1,00,000 रु० के बीच एक निश्चित धनराशि दे दी जाये जिससे वह अनुसंधान के लिए सीधी सहायता दे सके और ऐसी मदों के लिए खर्चा कर सके जो साधारणतः विश्वविद्यालयों की विकास-योजनाओं के दायरे में नहीं आतीं। 1972-73 में इस हिसाब में विश्वविद्यालयों को 6.87 लाख रु० की धनराशि दी गई। इस योजना के अधीन अब तक 10 अनुसंधान-परियोजनाएं स्वीकार की गई हैं।

(ख) पिछले लगभग 9 वर्ष से आयोग विश्वविद्यालयों और कालेजों में काम करने वाले व्यष्टि-अध्यापकों को अपने-अपने क्षेत्र-विशेष में अनुसंधान करने के लिए सहायता देता चला आ रहा है। यह सहायता ख़ास तौर से कालेज-अध्यापकों को और विश्वविद्यालयों में काम करने वाले अवर अध्यापकों को दी जाती रही है। यह सहायता क्षेत्रीय कार्य, परिकलन अथवा ऐसे उपकरण, औज़ार आदि, और रासायनिक पदार्थ तथा किताबें खरीदने के लिए दी जाती है जो उस परियोजना के लिए आवश्यक हों और उस समय अध्यापक जिस विश्वविद्यालय या कालेज में काम कर रहा हो उसमें सामान्यतः उपलब्ध न हों। इस योजना के अंतर्गत एक बार में अधिक से अधिक 5,000 रु० की सहायता मिल सकती है। 7,000 से अधिक अध्यापक इससे लाभ उठा चुके हैं। 1972-73 में, मानविकी और सामाजिक विज्ञान के विषयों में 557 अध्यापकों की तथा विज्ञान के विषयों में 1,338 अध्यापकों को उनकी वैयक्तिक अनुसंधान-परियोजनाओं के लिए अनुदानों की स्वीकृति दी गई और इस हिसाब में विश्वविद्यालयों और कालेजों को कुल मिलाकर 8,21,370 रु० के अनुदान दिए गए।

राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियां

लब्ध प्रतिष्ठ और यशस्वी अध्यापकों के लिए आयोग की इस योजना के अंतर्गत बीस राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियों की व्यवस्था है और इसका लक्ष्य यह है कि वे अपने रोज़मर्रा के काम-काज से मुक्त होकर अपना पूरा-पूरा समय और ध्यान अनुसंधान में और उसके निष्कर्षों को शब्द बद्ध करने में लगा सकें। इस कार्यक्रम के अधीन जो अध्यापक चुने जाते हैं उन्हें अपनी पूरी तनख्वाह और अन्य भत्तों के अलावा लिखा-पढ़ी के काम में सहायता, यात्रा-व्यय तथा आनुषंगिक व्यय के लिए 3,000 रु० प्रति वर्ष का अनुदान भी मिलता है। समीक्षाधीन वर्ष के अन्त में, इस योजना के अंतर्गत 14 चुने हुए अध्यापकों में से तीन अनुसंधान में लगे हुए थे।

राष्ट्रीय प्राध्यापक-पद

राष्ट्रीय प्राध्यापक नियुक्त करने की योजना 1970-71 में शुरू की गई थी और इसका मंतव्य यह था कि लब्ध प्रतिष्ठ अध्यापक तथा अनुसंधाता अपने-अपने क्षेत्र-विशेष में व्याख्यानमाला देने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालय-विभागों में जा सकें तथा मेज़बान विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक कार्यक्रमों में भाग ले सकें। आयोग चुने हुए अध्यापकों को यात्रा-व्यय तथा व्याख्यानों के प्रकाशन में सहायता के अलावा 1,000 रु० मानदेय के तौर पर और 250 रु० व्याख्यान-साधन इत्यादि तैयार करने के लिए देता है। समीक्षाधीन वर्ष में विज्ञान-विषयों 18 और मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों के 11 अध्यापकों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया।

राष्ट्रीय एसोशिएटशिप

अनुसंधान में लगे हुए अध्यापकों को यह सुविधा प्राप्त है कि वे कुछ समय के लिए जाकर ऐसी उच्चतर संस्थाओं में काम कर सकें जहां विज्ञानों, मानविकी-विषयों तथा सामाजिक विज्ञानों के अनुसंधान के लिए अपेक्षित विशेष सुविधाएं हैं। 1972-73 के अंत तक इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 68 अध्यापकों का चुनाव हो चुका था और इनमें 31 तो सचमुच अपना काम शुरू कर चुके थे। चुने हुए अध्यापकों को पांच साल के लिए राष्ट्रीय एसोशिएट के रूप में रखा जा रहा है और 5 वर्ष की इस अवधि में वे तीन बार अपने मेज़बान विश्वविद्यालय में जाकर अधिक से अधिक 12-12 हफ्ते तक टिक सकते हैं।

अध्यापकों का विनिमय

आयोग विश्वविद्यालयों और कालेजों को अध्यापकों के विनिमय के लिए प्रोत्साहन देता रहा है ताकि उन्हें आपसी संपर्क के और एक-दूसरे के विचारों को अधिक उर्वर बनाने के पूरे अवसर मिलते रहें। इस योजना के अंतर्गत मेज़बान-संस्था तो अभ्यागत अध्यापक के लिए रहने और खाने-पीने का इंतजाम करती है और आयोग उसकी यात्रा के लिए सहायता देता है। इस योजना से संबद्ध कालेजों को अन्य कालेजों के तथा विश्वविद्यालयों के लब्ध प्रतिष्ठ अध्यापकों को अपने अध्ययन-अनुसंधान में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने में सहायता मिली है।

सैबाटिकल छुट्टी

.971-72 में आयोग ने बम्बई विश्वविद्यालय के अंगभूत कालेजों के भौतिकी-अध्यापकों के लिए प्रयोग के तौर पर सैबाटिकल कार्यक्रम की योजना शुरू की ताकि कालेजों में विषय की पढ़ाई का स्तर ऊंचा उठ सके। इस कार्यक्रम के अधीन 1972-73 में विश्वविद्यालय के छह अध्यापकों को टाटा इंस्टिट्यूट आफ़ फ़ण्डामेंटल रिसर्च, बम्बई में काम करने का अवसर मिला। वहां इन अध्यापकों ने कुछ तो अपना अध्ययन और अनुसंधान किया और संस्थान के सामान्य कार्यकलाप तथा वातावरण से भी उन्हें लाभ हुआ। इसके अलावा ये अध्यापक पूर्वस्नातक छात्रों के लिए पाठ्यक्रम-विकास तथा प्रयोगों में लगे रहे। इन अध्यापकों को छुट्टी का वेतन आयोग की ओर से दिया गया। अगर इस प्रयोग का परिणाम उत्साहवर्धक हुआ तो इस कार्यक्रम को और अधिक कालेजों में तथा अन्य विषयों पर भी लागू किया जायेगा।

सेवानिवृत्त अध्यापक

सेवानिवृत्त अध्यापकों की इस योजना का मंशा इस बारे में विश्वविद्यालयों और कालेजों की मदद करना है कि अगर कोई विशिष्ट अध्यापक निवृत्त होने की आयु पार कर गए हैं पर शरीर से इतने स्वस्थ हैं कि अध्यापन और अनुसंधान-कार्य करते रह सकते हैं तो वे उनकी सेवाओं का लाभ उठाते रह सकें। इस योजना के अधीन अपना काम जारी रखने के लिए चुने हुए अध्यापकों को 6,000 रु० प्रति वर्ष मानदेय दिया जाता हैं और काम से सम्बन्धित अनुषंगिक व्यय के लिए भी 1,000 रु० का वार्षिक अनुदान दिया जाता है। 1972-73 के अन्त में, इस योजना के अधीन 216 अध्यापक काम कर रहे थे (128 मानविकी और सामाजिक विज्ञानों में तथा 88 विज्ञानों में)। इनमें से 64 का चुनाव 1972-73 में किया गया। इस योजना के अन्तर्गत इस समय जो 216 सेवानिवृत्त अध्यापक काम कर रहे हैं उनमें से 44 तो कालेजों में अध्यापन-कार्य में भाग लेते हैं और शेष विभिन्न विश्वविद्यालयों और कालेजों में अनुसंधान और अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। इस योजना के लिए 1972-73 में विश्वविद्यालयों और कालेजों को 15,33,260 रु० के अनुदान दिए गए। अब यह तय किया गया है कि इस योजना के अन्तर्गत और नए अनुदान देने से पहले इस योजना के अमली रूप के बारे में पुनर्विचार कर लिया जाए।

यात्रा-अनुदान

विश्वविद्यालयों और कालेजों के अध्यापकों को विदेशों में अंतराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए और भारत में अनुसंधान-केन्द्रों में अथवा शैक्षणिक-सम्मेलनों में आने-जाने के लिये यात्रा-अनुदान मिलते हैं। इस मद में तथा कुछ अन्य मदों में खर्चा करने के लिए हर विश्वविद्यालय को पूरी योजनावधि के लिए एक अनियत धनराशि दे दी जाती है। इस योजना के अधीन विभिन्न कार्यक्रमों पर अमल करने के लिए 1972-73 में 18,78,484 रु० की धनराशि दी गई।

भाग—VII

विनिमय और सहयोग के अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम

सांस्कृतिक विनिमय के कार्यक्रमों का मंतव्य भारत और अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देना है और इसके लिए भारत सरकार के शिक्षा तथा समाज कल्याण-मंत्रालय और अन्य देशों की सरकारों के बीच विशेष करार हुए हैं। जिन कार्यक्रमों का सम्बन्ध उच्चतर शिक्षा से होता है वे आम तौर से क्रियान्विति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंप दिए जाते हैं। ये कार्यक्रम आम तौर से भारत और देश-विशेष की सरकार के आपसी करार के अनुसार विद्वानों, अध्यापकों वैज्ञानिकों और अनुसंधाताओं के एक-दूसरे देश में आने-जाने से सम्बन्धित होते हैं। विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के वरिष्ठ अध्यापकों की यात्राएं सामान्यत: 3 हफ्ते से लेकर 12 हफ्ते तक की होती हैं। दूसरी सूरतों में प्रवास की अवधि तीन महीने से लेकर दो साल तक की हो सकती है। इस वक्त आयोग 11 देशों के साथ इस प्रकार के कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहा है। इन देशों के नाम ये हैं : बल्गारिया, चैकोस्लोवाकिया, फ्रांस, जर्मन फैडरल गणराज्य, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य, हंगरी, मंगोलिया, पोलैंड, रूमानिया, सोवियत रूस और यूगोस्लाविया। इनके अतिरिक्त अफ़गानिस्तान, आस्ट्रेलिया, यूनान, घाना, ईरान, टर्की, श्रीलंका, मिस्र और कुछ लेटिन अमरीकी देशों के साथ सांस्कृतिक विनिमय के कुछ तदर्थ कार्यक्रमों पर भी अमल किया जा रहा है। विभिन्न देशों की थोड़े और लम्बे अरसे की यात्राओं के लिए अध्यापकों का चुनाव आयोग एक स्थाई समिति की सिफ़ारिश पर करता है जो इसी काम के लिए बनाई गई है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत मेज़बान देश स्वागत-सत्कार का खर्चा उठाता है—जिसमें उस देश के भीतर कहीं आना-जाना भी शामिल होता है और प्रायोजक देश एक देश से दूसरे देश तक आने-जाने का 'इकनोमी क्लास' का हवाई जहाज का किराया देता है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हर वर्ष सामान्यत: 70-80 अध्यापक एक देश से दूसरे देश में आते-जाते हैं। 1972-73 में भारत के 65 और विदेशों के 50 अध्यापकों ने इसमें भाग लिया। इस योजना पर 3,12,138 रु० खर्च हुए।

भारत में शिक्षा-समाज ने सर्वत्र सांस्कृतिक विनिमय-कार्यक्रम का स्वागत किया है। इसमें भारतीय अध्यापक अपने-अपने विषय में नई से नई गतिविधि से अवगत हो सके हैं

17-B, Sri Aurobindo Marg New Delhi-110016
D.O.C. No....D-6253
35 ...9/7/91

और पूर्वी यूरोपीय देशों के विश्वविद्यालयों के साथ द्विपक्षीय विनिमय-कार्यक्रम बनाने में सफल हुए हैं। कुछ भारतीय विश्वविद्यालय विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ ऐसे क्षेत्रों में निरंतरा के आधार पर द्विपक्षीय विनिमय-कार्यक्रम बनाने की संभावन्रा की जांच कर रहे हैं जिनमें भारतीय विश्वविद्यालय दोनों पक्षों के लाभ के लिए सफलतापूर्वक कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं। मध्यपूर्व और लेटिन अमरीकी देशों के साथ संपर्क बढ़ाने के साथ-साथ आशा है इस कार्यक्रम का भी बहुत विस्तार होगा।

भारत-ब्रिटिश सहयोग।

भारत सरकार की स्वीकृति से इंटर-यूनिवर्सिटी कौंसिल फ़ार हायर एजुकेशन ओवरसोज़ के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल को भारत आने का निमंत्रण दिया गया। इस प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों में अन्तर-विश्वविद्यालय परिषद्, ब्रिटिश कौंसिल और वैदेशिक विकास-प्रशासन के प्रतिनिधि थे। इस प्रतिनिधिमंडल की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा भारतीय कुलपतियों और आयोग द्वारा आमंत्रित अध्यापकों के साथ विचार-विमर्श के लिए कई बैठकें हुईं। इनमें यह विचार किया गया कि भारतीय और ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में किन क्षेत्रों में आपसी सहयोग हो सकता है। सिफ़ारिश की गई कि सहयोग-कार्यक्रम भारत में उच्चतर अध्ययन-केन्द्रों के, नवयुवा वैज्ञानिकों के विनिमय के और ग्रीष्म-संस्थानों के संदर्भ में हो सकता है। यह भी महसूस किया गया कि मंत्रीकरण-वर्कशापों के क्षेत्र में भारत और ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों के चुने हुए विभागों में तथा विश्वविद्यालय-प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग लाभकारी होगा। इन कार्यक्रमों को व्यापक स्वीकृति देने की भारत सरकार से प्रार्थना की गई है। इस क्षेत्र की बाद की प्रगति का विवरण अगले वर्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

भारत-जापान सहयोग

अनुप्रयुक्त विज्ञानों तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जापान की प्रगति और भारतीय तथा जापानी वैज्ञानिकों के अपेक्षाकृत बहुत थोड़े संपर्क को देखते हुए यह निश्चित रूप से भारत के हित में है कि हम जापान की वैज्ञानिक शिक्षा तथा अनुसंधान की पद्धति से पूर्णत: अवगत हों। यह भी महसूस किया गया कि उद्योग तथा विश्व-व्यापार के क्षेत्र में जापान की अद्भुत प्रगति को देखते हुए, कम लागत के उत्पादन के बारे में जापान का अनुभव भारत के लिए बेहद मूल्यवान होगा। आयोग ने 1971 में भारत-जापान-सहयोग के सभी पक्षों पर विचार किया और सामान्यत: इस प्रस्ताव का स्वागत किया है। यह तय किया गया कि भारत-जापान-आर्थिक-शैक्षिक-सहयोग-समिति के सलाह-मशविरे से इस कार्यक्रम का ब्यौरा तैयार कर लिया जाए और एक विशेष-समिति इस मामले की जांच कर रही है।

भारत-सोवियत रूस-सहयोग

आयोग ने भारत और सोवियत रूस के 1966 के आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग-करार के अंतर्गत उसमानिया विश्वविद्यालय में एक भूभौतिकीय अन्वेषण-केन्द्र स्थापित करना स्वीकार किया है। इस केन्द्र का मास्को-भूवैज्ञानिक-पूर्वेक्षण-संस्थान तथा सुर्वसंघीय भूभौतिक-अन्वेषण-संस्थान, मास्को के साथ संपर्क स्थापित हो गया है। इसमें सोवियत रूस का उधार के तौर पर जो व्यय होगा वह मुख्य रूप से विशेषीकृत उपकरण के आयात पर, किताबों और पत्र-पत्रिकाओं पर, सोवियत विशेषज्ञों और तकनीशियनों पर तथा सोवियत रूस में भारतीय कर्मचारियों तथा छात्रों के प्रशिक्षण पर होगा। 1972-73 में केन्द्र की इमारतें बनवाने के लिये और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए उसमानिया विश्वविद्यालय को 12,30,000 रु० के अनुदान दिए गए। सोवियत सरकार ने 1972-73 में केन्द्र को जो उपकरण दिए गए उनकी लागत के तौर पर वित्त-विभाग को भी 1,22,240 रु० का धनराशि दी गई।

भाग VIII

आयोग द्वारा प्रायोजित योजनाएं

विश्वविद्यालय और कालेज आयोग की सहायता से जो भी विकास-कार्यक्रम अमल में आते हैं उसका मंतव्य यह होता है कि स्तर बने रहें और ऊपर उठें। पर कुछ कार्यक्रम ऐसे भी हैं जो हमारे विचार से उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में न केवल अध्यापन और अनुसंधान के सामान्य स्तर को ऊंचा उठायेंगे बल्कि एक ऐसी विश्वसनीय व्यवस्था को भी जन्म देंगे जो विकास और उत्कर्ष का स्वयं पोषण करती रहे। इनमें से कुछ कार्यक्रमों की चर्चा पहले की जा चुकी है। कुछ अन्य कार्यक्रमों का उल्लेख हम नीचे कर रहे हैं:

(i) पुस्तकालय विभाग

पुस्तकालय ज्ञान के संप्रसार और उन्नयन को गति देने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन माना जाने लगा है। सभी संस्थाओं के शैक्षिक कार्यक्रम का यह एक अभिन्न अंग होता हैं। ज्यों-ज्यों विश्वविद्यालयों और कालेजों में छात्रों की संख्या बढ़ी है, त्यों-त्यों पुस्तकालयों-सेवाओं को, किताबों, पत्र-पत्रिकाओं की तथा बैठकर पढ़ने की जगह की मांग भी बराबर बढ़ती गई है। इससे पता चलता है कि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पैसा लगाने की आवश्यकता है।

अपनी स्थापना के समय से ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों और कालेजों में पुस्तकालय-सुविधाओं के विकास-कार्य को बहुत अधिक प्राथमिकता देता चला आया है। 1972-73 के अंत तक पुस्तकालय-भवन बनाने और बढ़ाने के लिए 80 विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्थाओं को साझेदारी के आधार पर 3,80,09,326 रु० के अनुदान दिये जा चुके थे (इसमें पहले की योजनाओं के अंतर्गत दिये गये अनुदानों की राशि भी शामिल है। परंतु फिर भी आयोग की सहायता से बनाये गये ये पुस्तकालय-भवन देश में छात्रों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए—खास तौर से स्नातकोत्तर और शोध-छात्रों की विशेष आवश्यकतओं के संदर्भ में—अपर्याप्त सिद्ध हो रहे हैं।

पुस्तकालयों में किताबों की खरीद को भी आयोग ने हर योजना में बहुत अधिक प्राथमिकता दी है। 1972-73 के अंत तक इस मद में विश्वविद्यालयों को 9,67,59,245 रुपये के अनुदान तो दिये जा चुके थे और योजनावधि के शेष वर्षों में इस मद के अंतर्गत और धनराशि भी मिलेगी। 1966-67 से 1972-73 के बीच ही, आयोग ने पुस्तकालयों में पुस्तकों की खरीद के मद्दे विश्वविद्यालयों को 8,27,75,097 रु०

की अदायगी की स्वीकृति दी। इसमें से 5,79,25,687 रु० की धनराशि तो 1972-73 तक दी जा चुकी थी और शेष राशि इस योजना की अवधि समाप्त होने तक विश्वविद्यालयों को दे दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालयों के प्रौद्योगिकी-विभागों की 1966-67 से 1972-73 तक पुस्तकालयो में किताबें और पत्र-पत्रिकाएं खरीदने के लिए 1,01,61,465 रु० के अनुदान दिये गये। किताबें और पत्र-पत्रिकाएं खरीदने के लिए संबद्ध कालेजों को इस अवधि में 2,60,04,473 रुपये के अनुदान दिये गये।

शिक्षा-आयोग (1964-66) ने ठीक ही कहा है कि यह अंदाज़ लगाने का कोई सूत्र नहीं है कि किसी विश्वविद्यालय को अपने पुस्तकालय पर ठीक-ठीक कितनी धनराशि लगानी चाहिए। विश्वविद्यालय-शिक्षा-आयोग (1948-49) ने सुझाव दिया था कि विश्वविद्यालय-बजट का लगभग 6.5 प्रतिशत पुस्तकालय पर खर्च किया जाये तो यह मुनासिब होगा। शिक्षा-आयोग (1964-66) ने सिफ़ारिश की थी कि मानदंड यह होना चाहिए कि विश्वविद्यालय हर पंजीबद्ध छात्र पर लगभग 25 रु० और हर अध्यापक पर लगभग 30 रु० प्रतिवर्ष किताबों के लिए खर्च करे। इस हिसाब से देखें तो 1972-73 में विश्वविद्यालयों को किताबों और पत्र-पत्रिकाओं पर 1 करोड़ रुपये खर्च करना चाहिए था। आयोग 1955-56 से 1972-73 तक (यानी 17 वर्ष की अवधि में) विश्वविद्यालयों और कालेजों के लिए किताबों और पत्र-पत्रिकाओं पर कुल मिलाकर सिर्फ़ 13 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय कर सका जबकि शिक्षा-आयोग (1964-66) के हिसाब से 1972-73 में (यानी सिर्फ़ एक वर्ष में लगभग 32 लाख छात्रों और 1,50,000 अध्यापकों के ऊपर इस मद में लगभग 9 करोड़ रुपये खर्च होना चाहिए था। इन आंकड़ों से स्थिति की गंभीरता का अनुमान सहज ही लग जाता है। स्थिति यह है कि आयोग की विपुल सहायता के बावजूद इस मद में विश्वविद्यालयों और कालेजों का खर्च विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग (1948-49) और शिक्षा-आयोग (1964-66) दोनों के ही द्वारा निर्धारित मानदंड से कहीं कम रहा है। विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय की किताबों और पत्र-पत्रिकाओं के लिए जो खर्चा इस समय होता है उसका स्तर निश्चय ही उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं से भी कम है। संबद्ध कालेजों में तो हालत और भी बुरी है।

हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि विश्वविद्यालयों और कालेजों के पुस्तकालयों को पैसा मिल जाने भर से देश की शैक्षिक स्थिति में अपने आप सुधार नहीं हो जायेगा। पुस्तकों, छात्रों और अध्यापकों का ऐसी स्थितियों में सम्मेलन कराना होगा जिनसे अध्ययन, अनुसंधान तथा बौद्धिक साहसिकता और जिज्ञासा को प्रोत्साहन मिलें। पुस्तकालय-सेवा की आधारिक संरचना समुचित होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि वह सब स्तरों के अध्येताओं और सब श्रेणियों के अध्यापकों की ज़रूरतों को पूरी कर सके। विश्वविद्यालयों को अपने पुस्तकालयों के समेकित विकास के लिए सब पक्षों से देख-समझकर एक कल्पना प्रेरित योजना तैयार करनी होगी और सब विश्वविद्यालयों को केंद्रीय और विभागीय पुस्तकालयों में आपस में अधिक सहयोग तथा सामंजस्य की स्थापना करनी

होगा। आयोग ने पांचवीं योजना के संदर्भ में जो निरीक्षण-समितियां नियुक्त की हैं वे विश्वविद्यालयों के सलाह-मशविरे से निश्चय ही इन समस्याओं की जांच करेंगी।

(ii) **उच्चतर अध्ययन-केंद्र**

जिन विश्वविद्यालय-विभागों को उच्चतर अध्ययन-केंद्रों के रूप में मान्यता दी जा चुकी थी उन्हें आयोग बराबर सहायता देता रहा। इस समय 30 ऐसे केंद्र हैं—17 विज्ञान-विषयों में और 13 मानविकी और सामाजिक विज्ञानों में। इस वर्ष किसी नये केंद्र को मान्यता नहीं दी गई। इन केंद्रों के स्वीकृत कार्यक्रमों के लिए इन्हें 88.46 लाख रुपये के अनुदान दिये गये।

इस कार्यक्रम के अधीन जो सुविधाएं पैदा हो गई है उनसे संबद्ध विभागों को अपना अध्यापन और अनुसंधान-पक्ष पुष्ट करने में सहायता मिली है और इसका नतीजा यह हुआ है कि अपने-अपने विषयों में उत्कर्ष के बिंदु के रूप में इन्हें मान्यता भी मिली है। इन केंद्रों ने भारत के अन्य विश्वविद्यालयों तथा विदेशों से सुयोग्य छात्रों तथा लब्धप्रतिष्ठ संकाय-अनुसंधाताओं को आकर्षित किया हैं और वे अपने कार्यक्रमों और उद्देश्यों के अनुरूप थोड़ी या लंबी अवधि के लिए यहां आये हैं। पहले कुछ केंद्रों में ही अध्यापक-अधिवृत्ति-कार्यक्रम चल रहा था परंतु अब वह सब केंद्रों में चालू कर दिया गया है और कुछ उदाहरणों में बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अधिवृत्तियों की संख्या बढ़ा भी दी गई है। इस वर्ष आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राणिविज्ञान उच्चतर अध्ययन-केंद्र में, पूना विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र-केंद्र में तथा बड़ौदा तक के विश्वविद्यालय के शिक्षा-केंद्र में अध्यापक-अधिवृत्तियां देना स्वीकार किया।

इन केंद्रों में इस वर्ष नये गुणवत्ता-कार्यक्रमों का सूत्रपात किया गया। पिछले लगभग 50 वर्ष में भारतीय विश्वविद्यालयों में एम० एड० और पी-एच० डी० के जो शोध प्रबंध स्वीकृत हुए है उनकी एक विश्लेषणात्मक सूची तैयार करने के लिए बड़ौदा विश्वविद्यालय स्थित शिक्षाशास्त्र के उच्चतर अध्ययन-केंद्र को 10,000 रु० के अनुदान की स्वीकृति दी गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय-स्थित भौतिकी के उच्चतर अध्ययन-केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक भौतिकी-केंद्र, ट्रिएस्ट (इटली) के साथ सहयोग को सुविधा के निमित्त दो वर्ष लिए 15,000 रु० वार्षिक अनुदान की स्वीकृति दी गई है।

इस वर्ष उक्त केन्द्रों ने थोड़ी-थोड़ी अवधि के लिए भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों दोनों से यसस्वी विद्वानों और वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया। विदेशों के जो लोग यूनेस्को अथवा भारत-ब्रिटिश-सहयोग-कार्यक्रमों के अधीन इन केन्द्रों में काम करते हैं, ये विद्वान-वैज्ञानिक उनसे अलग और उनके अलावा बुलाए गये थे। केन्द्रों के वह अध्यापकों ने इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया और अपने अनुसंधानों के परिणाम इन सम्मेलनों में प्रस्तुत किए।

यह तो पहले ही बताया जा चुका है कि यूनेस्को की सलाह से यह तय किया जा चुका है कि उच्चतर अध्ययन-केन्द्रों में जो सुविधाएं पैदा हो रही हैं उनका उपयोग दक्षिण एशियाई क्षेत्र के अन्य देशों के वैज्ञानिकों और विद्वानों के प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए किया जा सकता है। इस समझौते के अनुसार मद्रास और दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति और रसायन विभागों के उच्चतर अध्ययन-केन्द्रों ने अल्पकालिक पाठ्यक्रमों का आयोजन किया। दिल्ली विश्वविद्यालय-स्थित उच्चतर अध्ययन-केन्द्र ने अन्तर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक भौतिकी-केन्द्र, ट्रिएस्ट (इटली) के सहयोग से ठोस अवस्था-भौतिकी पर एक अध्ययन-क्रम का आयोजन किया।

इन केन्द्रों को आयोग की ओर से 1964 से अच्छी खासी सहायता दी जा रही है। अब यह तय किया गया है कि विशेषज्ञ-समितियों की सहायता से इन केन्द्रों के काम और उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाए और विशेषज्ञों के मूल्यांकन के आधार पर ही भविष्य में अनुदान देने का फैसला किया जाए। इस प्रक्रिया पर अगले वर्ष अमल किया जाएगा।

(iii) चुने हुए विभागों को विशेष सहायता

विश्वविद्यालयों में चुने हुए विभागों को विशेष सहायता देने का कार्यक्रम गुणवत्ता-कार्यक्रम के साधक के रूप में प्रारंभ किया गया है जिससे उनके अध्यापन और अनुसंधान-कार्यक्रमों को बल मिल सकता है। इस विशेष सहायता का एक नतीजा यह भी होगा कि वे अपने विशेषीकरण-क्षेत्रों की पहचान कर सकें ताकि अंत में वे उन्हीं क्षेत्रों में उत्कर्ष की सिद्धि का प्रयत्न करें और उच्चतर अध्ययन-केन्द्रों के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकें। 1972-73 में इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिये ऐसे 26 विभागों को आमंत्रित किया गया (20 विज्ञान-विभागों को और 6 सामाजिक विज्ञान-विभागों को) आयोग ने पांच वर्ष के लिए इन विभागों को सहायता का वचन दिया है। इससे उन्हें अपनी सुविधाओं को आवश्यक-अनुकूलतम स्तर पर लाने में और अपने अध्यापन और अनुसंधान का स्तर ऊंचा उठाने में सहायता मिलेगी। इस कार्यक्रम के अधीन चुने गए विज्ञान-विभाग भी आर० एंड डी० मूल्य के अनुसंधाग में लगे हैं और आयोग की सहायता से इस कार्य को पर्याप्त बल मिलेगा। चुने हुए विभागों को विशेष सहायता के कार्यक्रम और इस रिपोर्ट में ही अन्यंत्र बताये गये कालेज-विज्ञान-उन्नयन-कार्यक्रम क्रमशः स्नातकोत्तर और पूर्व-स्नातक स्तरों पर गुणवत्ता-वृद्धि के लिए आधारों का काम कर सकते हैं।

(iv) प्रकाशन और शोध कार्य के लिए सहायता

दस वर्ष से भी अधिक हो गए, आयोग नियमित आधार पर विश्वविद्यालयों में शोधकार्य के प्रकाशन के लिए सहायता देता चला आ रहा है। हर योजनावधि के आरंभ में विश्वविद्यालयों को -- जिनमें विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्थाएं भी शामिल हैं— बता दिया जाता है कि उनके द्वारा स्वीकृत शोध प्रबधों और शोधकृतियों के प्रकाशन की

मद में कितनी धनराशि उनके लिए नियत की गई है। इस कार्यक्रम पर अमल करने के लिए कुछ दिशा निर्देश दे दिए गए हैं परन्तु विश्वविद्यालयों को यह छूट होती है कि उनके निमित्त जो धनराशि तय की गई है उसके भीतर वे कोई-से भी प्रकाशन चुन सकते हैं। 1966-67 से 1973-74 तक के लिए विश्वविद्यालयों को कुल मिलाकर 29.55 लाख रु० के नियतन किए गए हैं। 1972-73 में इस मद में विश्वविद्यालयों को 2,86,616 रु० अनुदान दिए गए।

विश्वविद्यालयों और कालेजों में प्रकाशित शोधकृतियों का कलेवर और विविधता हर वर्ष बढ़ती जा रही है और हो सकता है पांचवीं योजना में आयोग इस मद में विश्वविद्यालयों के लिए और अधिक धनराशि का नियतन कर सके परन्तु अब यह तय किया गया है कि इस योजना पर एक विशेषज्ञ-समिति पुनर्विचार करे और अगली योजना में इस कार्यक्रम को जारी रखने के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दे।

(v) क्षेत्रीय अध्ययन

पिछले एक दशक से आयोग विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय अध्ययन के विकास की ओर बहुत ध्यान दे रहा है। इसमें शक नहीं कि हमें और अधिक संख्या में ऐसे भारतीय विद्वानों की आवश्यकता है जो अपने पड़ौसी देशों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से भली भांति अवगत हों—खास तौर से उन देशों की जिनके साथ स्वतंत्रता के बाद से हमारे विशेष पारस्परिक संबंध बन गए हैं। इस कार्यक्रम को व्यावहारिक रूप देने के लिए सम्बद्ध सामाजिक विज्ञानों में एम० ए० की उपाधि के अपेक्षित पाठ्यक्रम के अंग के रूप में वैकल्पिक प्रश्न पत्रों का समावेश करने का प्रयत्न किया गया है। हमारी कोशिश रही है कि आधुनिक पद्धति से विदेशी भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया और इस आवश्यकता को क्षेत्रीय अध्ययन के कार्यक्रमों के अनिवार्य अंग के रूप में शामिल किया गया है। सामान्यतः आयोग इस पक्ष में नहीं कि इस कार्यक्रम को विश्वविद्यालयों के सामान्य शैक्षिक विषयों के ढांचे से बाहर रखकर विकसित किया जाये। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों की सलाह से यह मत स्वीकार किया गया है कि क्षेत्रीय अध्ययन-कार्यक्रम सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों में ही बद्धमूल होना चाहिये और उसका उद्देश्य अपने-अपने विषयों में ऊंची क़िस्म के विशेषज्ञ तैयार करना होना चाहिए। परन्तु इस मामले में आयोग की नीति बहुत लचीली रही है और जहां भी स्थिति का वैसा तकाज़ा रहा है वहां उसने संबद्ध विषयों के विशेषज्ञों से युक्त स्वतंत्र संस्थानिक व्यवस्था का भी समर्थन किया है। फ़िलहाल क्षेत्रीय अध्ययन का कार्य इस प्रकार हो रहा है : (क) ऐसी संस्थाओं में जो इसी प्रकार के कार्य में संलग्न हैं—जैसे स्कूल आफ़ इंटरनेशनल स्टडी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय; (ख) इसी प्रयोजन से संस्थापित केन्द्रों पर विभागों में; (ग) किसी विभाग के अन्तर्गत विशेष एककों में; और (घ) किसी क्षेत्र-विशेष से संबन्धित

विशेष समस्या पर काम करने वाले विद्वानों के द्वारा। आयोग यह मानता है कि प्रतिभा जहां भी हो, उसे पूरा प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (पश्चिमी एशिया), बम्बई विश्वविद्यालय (पूर्वी अफ्रीका और सोवियत रूस), दिल्ली विश्वविद्यालय (पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और समाजशास्त्रीय व्यवस्था तथ चीनी और जापानी अध्ययन), जादवपुर विश्वविद्यालय (पाकिस्तान और दक्षिण-पूर्वी एशिया), मद्रास विश्वविद्यालय (दक्षिण एशिया) राजस्थान विश्वविद्यालय (दक्षिण एशिया) तथा श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय (इंडोचीन) ने इस कार्यक्रम का उन्नयन किया है। आयोग ने पूना विश्वविद्यालय में लेटिन अमरीकी अध्ययन-केन्द्र के लिए भी स्वीकृति दे दी है। कर्मचारियों, पुस्तकालय को किताबों और पत्र-पत्रिकाओं, क्षेत्र-कार्य, उपकरण आदि के लिए आम तौर से जो सहायता दी जाती है वह तो इन्हें मिलेगी ही, उसके अलावा बड़ी और छोटी अधिवृत्तियों के लिए तथा यात्रा-अधिवृत्तियों के लिए भी सहायता दी जाएगी ताकि होनहार छात्र इनमें आयें और जिन अध्यापकों की दिलचस्पी हो उन्हें भी दूसरे विश्वविद्यालयों के सम्बद्ध केन्द्रों में जाने के लिए सहायता दी जा सके। ऊपर विश्वविद्यालयों के जिन क्षेत्रीय अध्ययन-कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है उनके लिए स्वीकृत व्यय 25 लाख रु० से अधिक का है। जैसे-जैसे खर्चा होता जाता है। विश्वविद्यालय आयोग से पैसा लेते जाते हैं।

1972-73 में सोवियत संघ की उपलब्धियों और दक्षिण एशिया की गतिविधियों पर संगोष्ठियां आयोजित करने के लिए आयोग ने क्रमशः बम्बई विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय को सहायता दी।

यह नया कार्यक्रम कैसे चल रहा है और इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है—इसकी बड़ी बारीकी से निगरानी की जा रही है। एक स्थायी विशेषज्ञ-समिति इस बात की जांच कर रही है कि भारत के आज के अंतर्राष्ट्रीय राजनय की अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को सुधार कर अधिक से अधिक उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है।

(vi) पत्राचार पाठ्यक्रम

पत्राचार पाठ्यक्रम एक ऐसी नई दिशा है जिसमें, विश्वविद्यालय-शिक्षा को विस्तार देकर उन लोगों के लिए फायदेमन्द बनाने की दृष्टि से जो अब तक उसका फायदा नहीं उठा सकते थे, विश्वविद्यालयों और कालेजों में जगहों की बढ़ती मांग को सीमित करने की दृष्टि से और स्तरों को सामान्यतः ऊंचा उठाने की दृष्टि से भी, असीम सम्भावनाएं हैं। सच तो यह है कि पत्राचार की इस शिक्षा-पद्धति के द्वारा यह संभव हुआ है कि जिन छात्रों में अनुशासन और मनोयोग है वे कुछ सम्बद्ध कालेजों से स्नातक बनकर निकलने वाले छात्रों से कहीं अधिक सुशिक्षित स्नातक होते हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय ने 1962-63 में बी० ए० (पास) स्तर के छात्रों के लिए पत्राचार-शिक्षा की एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की थी। इस समय 11 विश्वविद्यालयों में पत्राचार-पाठ्यक्रम चल रहे हैं— मुख्यतः बी०ए० स्तर पर। मैसूर, पंजाब, आंध्र, बंबई, मदुरै और पंजाबी विश्वविद्यालयों में प्री-यूनिवर्सिटी पाठ्यक्रम और इंटरमीडिएट आर्ट्स में पत्राचार-पाठ्यक्रम हैं; दिल्ली, मैसूर, श्री वेंकटेश्वर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, आंध्र, बंबई, पंजाबी, मेरठ और मदुरै विश्वविद्यालयों में पूर्व स्नातक-स्तर कला-विषयों में पत्राचार-पाठ्यक्रम चलते हैं; और दिल्ली, राजस्थान, मैसूर, श्री वेंकटेश्वर, आंध्र और बंबई विश्वविद्यालयों में वाणिज्य में भी पूर्वस्नातक पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। आयोग के पास विविध विश्वविद्यालयीय विषयों में यह शिक्षा-पद्धति अपनाने के बारे में अन्य विश्वविद्यालयों के भी कई प्रस्ताव आये हुए हैं और उनकी जांच-पड़ताल हो रही है। कुछ विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर भी पत्राचार-पाठ्यक्रम की सुविधाएं देने का बड़ा उत्साह है। स्नातकोत्तर स्तर तथा विज्ञान-पाठ्यक्रमों में भी पत्राचार-पद्धति शुरू करने के सवाल पर इस समय विशेषज्ञ समितियों द्वारा विचार किया जा रहा है।

पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए आयोग किसी विश्वविद्यालय को चार वर्ष तक पांच लाख रुपया या वास्तविक घाटे दोनों में से जो कम हो, उतनी धनराशि सहायता के तौर पर देता है। कुछ विश्वविद्यालय यह पाठ्यक्रम चलाने में काफी हद तक आत्म-निर्भरता प्राप्त करने में सफल हुए हैं।

पिछले दशक में अपनी क्रियान्विति के दौरान पत्राचार-पाठ्यक्रम-योजना के सम्मुख कुछ कठिनाइयां आई हैं। शिक्षा-आयोग (1964-66) ने सुझाव दिया था कि विश्वविद्यालय-स्तर छात्रों की जितनी भरती हो उसका एक तिहाई हिस्सा पत्राचार-पाठ्यक्रम-योजना के अंतर्गत आना चाहिए। पर ऐसा हुआ नहीं है। कभी-कभी बिना पूरी तैयारी किये ये पाठ्यक्रम शुरू कर दिये गये हैं और कुछ ऐसी शैक्षिक तथा संचालनगत समस्यायें हैं जिन्होंने हमें चिन्तित कर दिया है। इन समस्याओं पर विशेषज्ञ समितियों द्वारा विचार किया जा रहा है और अगली योजना के दौरान यह सम्भव हो सकेगा कि इस शिक्षा-पद्धति का स्तर भी ऊंचा उठे और अधिकाधिक छात्र तथा विषय इसकी परिधि में आते जायें।

(vii) **अध्यापक-शिक्षा**

चौथी योजना की अवधि में अध्यापक-शिक्षा के विकास के लिए धनराशि का कुछ विशेष नियतन किया गया था जिसके फलस्वरूप आयोग के लिए अध्यापक-शिक्षा के गुणात्मक उन्नयन के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाना सम्भव हुआ है। शिक्षा-आयोग (1964-66) ने सुझाव दिया था कि अगर अध्यापक-शिक्षा को विश्वविद्यालयों के शैक्षिक जीवन की मुख्य धारा से अलग-थलग न रहने दिया जाये, कालेजों और स्कूलों में निकटतर संबंध स्थापित किये जायें, प्रशिक्षण-कार्यक्रमों का स्तर ऊंचा उठाया जाये, प्रशिक्षण-सुविधायें बढ़ाई जायें और सब अध्यापकों के लिए अनवरत व्यावसायिक शिक्षा की समुचित

व्यवस्था की जाये तो अध्यापक-शिक्षा में नई स्फूर्ति का संचार हो सकता है। आयोग ने एक स्थायी सलाहकार समिति नियुक्त की है जो सलाह देगी कि शिक्षा-आयोग (1964-66) की कुछ सिफारिशों पर कार्यवाही शुरू करने के लिए क्या-क्या कदम उठाये जा सकते हैं।

अध्यापक-शिक्षा की स्थायी सलाहकार समिति की सिफारिश पर आयोग ने प्राय: उन सब विश्वविद्यालयों में मुआयना-समितियां भेजीं जिनमें अध्यापक शिक्षा-विभाग थे और जिन्होंने ऐसे कार्यक्रम शुरू करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई। 1969-70 से 1972-73 तक मुआयना समितियों ने 30 विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यलय मानी जाने वाली संस्थाओं के प्रस्तावों की जांच की। आयोग ने इन विश्वविद्यालयों में अध्यापक-शिक्षा के विकास के लिए आवश्यक शैक्षिक, व्यावसायिक और भौतिक सुविधायें बढ़ाने के वास्ते 12,07,94,500 रु० के अनुदान की स्वीकृति दी। यह रकम—इन विश्वविद्यालयों के लिए चौथी योजना में नियत की गई धनराशि से अलग थी और इससे भी बड़ी बात यह है कि सहायता की अवधि पांचवी योजना के अंत तक—यानी 1978-79 तक बढ़ा दी गई। इस सहायता के फलस्वरूप विश्वविद्यालय अध्यापकों और छात्रों दोनों ही के स्तर पर नई प्रतिभाओं का समावेश कर सकेंगे, पुस्तकालय-सुविधायें और बढ़ा सकेंगे और देश में अध्यापक-शिक्षा के वातावरण में सर्वतोमुखी सुधार ला सकेंगे। इस सहायता के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर अनुसंधान के विकास की विशिष्ट व्यवस्था की गई है ताकि अध्यापक-शिक्षा के सम्मुख राष्ट्र के स्कूलों की वास्तविक शैक्षिक कठिनाइयां अपने खुले रूप में आ सकें।

आयोग ने अध्यापक-शिक्षा को विश्वविद्यालयों के शैक्षिक जीवन की मुख्यधारा में ले आने की कोशिश की है। इसी उद्देश्य से, शैक्षिक विषयों के कुछ लब्धप्रतिष्ठ विभागों को देश की तत्कालिक और महत्वपूर्ण समस्याओं पर अनुसंधान करने के लिए सहायता दी गई है। इस संदर्भ में टाटा इंस्टिट्यूट आफ़ सोशल साइंसिज़, बंबई, अर्थशास्त्र-विभाग, बंबई विश्वविद्यालय तथा मनोविज्ञान विभाग, उत्कल विश्वविद्यालय का उल्लेख किया जा सकता है जिनमें अपने-अपने विषयों के निमित्त शिक्षा-एकक स्थापित किये गये है। अन्य सदृश शैक्षिक विषयों में—विशेष रूप से समाज-शास्त्र में—शिक्षा-एकक स्थापित करने के बारे में आयोग अन्य विश्वविद्यालयों के प्रस्तावों की जांच कर रहा है। ये एकक प्रशिक्षणाधीन अध्यापकों के लिए शीघ्र और पाठ्यसामग्री तैयार करेंगे और भारतीय स्थितियों की विशिष्ट समस्याओं का अन्वेषण भी करेंगे।

अध्यापक-शिक्षा के विकास पर विश्वविद्यालयों के साथ परामर्श करने की प्रक्रिया 1970-71 में शुरू हुई जब विश्वविद्यालयों के अध्यापक-शिक्षा-विभागों के सभी अध्यक्षों का एक सम्मेलन सरदार पटेल विश्वविद्यालय, गुजरात में आयोजित हुआ। इससे पहले कालेज-प्रिंसिपलों का एक सम्मेलन मैसूर में हुआ था जिसमें चौथी योजना के अंतर्गत अध्यापक-शिक्षा के विकास की प्राथमिकताओं पर विचार किया गया। इन सम्मेलनों में जो सलाह दी गई और विचार व्यक्त किये गये, उनका आयोग ने फायदा उठाया और ये आयोग द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रमों में परिलक्षित होते हैं।

विश्वविद्यालयों और कालेजों के अध्यापकों के व्यावसायिक उन्नयन तथा अभिविन्यास के लिए 1972-73 में कई विश्वविद्यालय-केन्द्रों और कुछ अध्यापक-कालेजों में कई ग्रीष्म-संस्थानों और पुनश्चर्या-पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया।

आयोग 1972-73 में भी अध्यापक-प्रशिक्षण-कालेजों को सहायता देता रहा। इस वर्ष के अंत तक 108 ऐसे कालेजों को कुल मिलाकर 69,71,000 रु० का अनुदान दिया गया। इसके अलावा, 1970-71 में आयोग ने बी०एड० पाठ्यक्रम चलाने वाले 150 अध्यापक-प्रशिक्षण-कालेजों को 7.5 लाख रु० और बी०एड० तथा एम०एड० दोनों पाठ्यक्रम चलाने वाले कालेजों को 24.75 लाख रु० उपकरण तथा दृश्य-श्रव्य-साधन खरीदने के लिए नियत किये थे। किताबें और पत्र-पत्रिकाएं खरीदने के लिए 229 कालेजों के वास्ते 24.75 लाख रु० की धनराशि का नियतन किया गया। 116 ऐसे कालेजों को किताबें और पत्र-पत्रिकायें खरीदने के लिए फिर सहायता दी गई जो इस मद में पहले दी गई सहायता को पूरा खर्च कर चुके थे।

(viii) प्रौढ़ शिक्षा

चौथी योजना में विश्वविद्यालयों और कालेजों में प्रौढ़ शिक्षा के उन्नयन के लिए धन का विशेष नियतन किया गया था। एक सलाहकार समिति ने 'प्रौढ़ शिक्षा में विश्वविद्यालय की भूमिका' पर एक विनिबंध तैयार किया और जनवरी, 1971 में विश्वविद्यालयों को प्रौढ़ शिक्षा-कार्यक्रम आरम्भ करने के बारे में दिशा निर्देश भेज दिये गये। इस पहल की जो प्रतिक्रिया हुई वह निश्चय ही उत्साहवर्धक थी—खास तौर से अगर यह बात ध्यान में रखी जाये कि विश्वविद्यालय-कार्यक्रमों के अभिन्न अंग के रूप में भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रौढ़ शिक्षा की जड़ें कोई गहरी न थीं। आयोग ने यह फैसला किया कि प्रौढ़ शिक्षा तथा अनुवर्ती शिक्षा-कार्यक्रमों के लिए हर विश्वविद्यालय को अनुकूल साझेदारी के आधार पर सहायता दे: यानी 75% आयोग दे और 25% विश्वविद्यालय दें। आयोग की 75% सहायता की सीमा 3 लाख रु० तय की गई। इस सबका उद्देश्य यह था कि विश्वविद्यालय प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करना शुरू करें। 13 विश्वविद्यालयों (जिनमें दो विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्थायें भी शामिल हैं) के प्रस्तावों की जांच-पड़ताल की जा चुकी है और हमें यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि कुछ विश्वविद्यालयों ने इस क्षेत्र में जबर्दस्त काम होने की सूचना दी है। उन्होंने अपने ज्ञान का प्रसार अपने इर्दगिर्द के समाज में किया है और कोशिश की है कि उनके अनुसंधान का फल उसको भी मिले। आशा है योजना के शेष वर्षों में इस कार्यक्रम के अंतर्गत और अधिक विश्वविद्यालय आ जायेंगे।

आयोग इस तथ्य के प्रति सचेत है कि आयोग प्रौढ़ शिक्षा-कार्यक्रमों के उन्नयन के लिए जो सहायता देता है उसके अनुरूप योजी सहायता देना राज्य-विश्वविद्यालयों के लिए सदा संभव नहीं होता। फिर, अभी इस क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की इतनी रूचि भी जाग्रत नहीं हुई है कि वे किसी विवशता का अनुभव कर उठें। चौथी योजना

के दौरान प्रौढ़ शिक्षा-कार्यक्रमों के क्रियान्वय का जो अनुभव रहा है उसके आधार पर उम्मीद है आयोग और विश्वविद्यालयों को इस काम में शामिल होने के लिए प्रेरित-प्रोत्साहित कर सकेगा—बशर्ते कि इस काम के लिए समुचित धनराशि उपलब्ध हो जाये ।

(ix) ग्रंथनिर्माण

विश्वविद्यालय-स्तर के छात्र इस समय जिस तरह की किताबें पढ़ते हैं, उससे आयोग बहुत चिंतित है । इसीलिए पिछले दस वर्ष में कई ऐसे कार्यक्रम चलाये गये हैं जिनका उद्देश्य यह है कि हमारे छात्रों को अच्छी और आधुनिक ढ़ंग की पाठ्य पुस्तकें तथा पाठ्य-सामग्री उपलब्ध हो ।

1960 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह से शिक्षा और समाज-कल्याण मंत्रालय ने एक कार्यक्रम शुरू किया था जिसका मंशा यह था कि ऐसी किताबों के सस्ते पुन: प्रकाशन किये जायें जो पहले अमरीका,/इंगलैंड और सोवियत रूस में छपी हों और भारत में विश्वविद्यालय-स्तर के छात्रों द्वारा प्रयोग में लाई जाती हों । इस समय इस प्रकार के तीन कार्यक्रमों पर अमल हो रहा हैं और इनका संचालन (क) संयुक्त भारत-अमरीकी बोर्ड, (ख) संयुक्त भारत-सोवियत बोर्ड, तथा (ग) इंगलिश लैंग्वेज बुक सोसाइटी सीरीज़ द्वारा किया जा रहा है । इनमें से किसी भी कार्यक्रम के अंतर्गत कौन-कौन सी किताबें पुन: प्रकाशित की जायें—इसका सुझाव संबद्ध विषयों के विशेषज्ञों द्वारा दिया जाता हैं । आयोग की प्रार्थना पर भारतीय विशेषज्ञ इनका मूल्यांकन इस दृष्टि से करते हैं कि भारतीय विश्वविद्यालय एवं कालेज-छात्रों के लिए उनकी कितनी उपयोगिता है । अंतत: संयुक्त भारत-अमरीकी बोर्ड जिन किताबों का चुनाव करता है, वे भारतीय प्रकाशन की लागत में उपदान देकर सस्ते संस्करणों में निकाली जाती हैं । जहां तक संयुक्त भारत-सोवियत बोर्ड द्वारा चुनी गई किताबों का सवाल है, ये किताबें छपती सोवियत रूस में हैं और बाद में भारत में ले आई जाती हैं । जहां तक इंगलिश लैंग्वेज बुक सोसाइटी सीरीज का सवाल है ये किताबें इंगलैंड में छपती हैं और इस कार्यक्रम के अंतर्गत किताबें छापने के सुझाव सिर्फ भारत से ही नहीं आते, कई अन्य देशों से भी आते हैं । इस कार्यक्रम के अधीन सस्ते संस्करणों को इंगलैंड के राजकोष-विभाग की ओर से तथा इंगलैंड में ओवरसीज़ डेवेलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से उपदान प्राप्त होता है ।

इस कार्यक्रम का सूत्रपात होने के नाम से भारत-सरकार ने हर योजना के अधीन जो किताबें पुन: प्रकाशन के लिए स्वीकृत कीं और 1971 के अंत तक जो किताबें वास्तव

में प्रकाशित हुई, उनका लेखा-जोखा इस प्रकार है :

	स्वीकृत	1971 के अंत तक प्रकाशित (अनुमानतः)
(क) संयुक्त भारत-अमरीकी पाठ्यपुस्तक-कार्यक्रम	1650	1150
(ख) संयुक्त भारत-सोवियत पाठ्यपुस्तक-कार्यक्रम	200	125
(ग) इंगलिश लैंग्वेज बुक-सोसाइटी सीरीज़	780	400

पिछले दो-तीन वर्षों में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से शिक्षा एवं समाज-कल्याण-मंत्रालय ने भी भारतीय लेखकों और भारतीय भाषाओं की पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देने के लिए कई अन्य कार्यक्रम शुरू किये हैं। स्वयं आयोग ने भी विश्वविद्यालय स्तर की किताबें छपवाने का एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसके अधीन लगभग दो सौ पुस्तकें तैयार हो रही हैं। आशा है चौथी योजना की अवधि में इसमें हर वर्ष 100 और किताबें बढ़ती जायेंगी।

(X) स्नातकोत्तर केंद्र

आयोग उपयुक्त स्थानों पर—जहां आसपास कई अच्छे कालेज बने हों—स्नातकोत्तर अध्ययन-केन्द्र बनाने और बढ़ाने के निमित्त विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करता रहा। इस कार्यक्रम से विश्वविद्यालयों को अपने नेतृत्व में, और आसपास के कालेजों को उसमें शामिल करके, स्नातकोत्तर शिक्षा की शुरूआत करने में सहायता मिली है। इस प्रकार उपलब्ध सुविधाओं का भरपूर उपयोग करना संभव हुआ है और इन केन्द्रों में कालांतर में समर्थ विश्वविद्यालयों के रूप में पुष्पित-पल्लवित होने की पूरी-पूरी संभावनाएं हैं। आयोग इस बात के लिए राज़ी हो गया है कि चौथी योजना की अवधि में इनमें से हरेक केन्द्र को 30 लाख रु० तक के अनुदान देगा। बाद में इस राशि में और भी बढ़ोतरी कर दी गई है। 1972-73 में रोहतक (पंजाब विश्वविद्यालय), तिरुचिरापल्ली और कोयंबटूर (मद्रास विश्वविद्यालय), गोआ (बंबई विश्वविद्यालय,) इंफाल (जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय,) अनंतपुर (श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय), गुंटूर (आंध्र विश्वविद्यालय), मंगलौर (मैसूर विश्वविद्यालय), वारंगल (उसमानिया विश्वविद्यालय) तथा गुलबर्गा (कर्नाटक विश्वविद्यालय) के स्नातकोत्तर-केंद्रों को 30,83,499 रु० के अनुदान दिये गये।

भाग IX

उभरती हुई समस्याएं और परिप्रेक्ष्य

हम आपकी इस स्थिति के प्रति निरंतर अधिकाधिक जागरूक होते जा रहे हैं जिसमें देश के शैक्षिक जीवन में विकास (अर्थात् वृद्धि और परिवर्तन) तथा उत्कर्ष की सिद्धि की आवश्यक संभावनाएं अनेक प्रकार की परिस्थितियों के कारण क्रमश: धूमिल पड़ती जा रही हैं और ये सभी की सभी परिस्थितियां ऐसी नहीं जिनका स्वरूप शैक्षिक हो। पिछले वर्षों में भारत में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रकार के तनाव और दवाव पैदा हो गये हैं। इस संदर्भ में विशेष रूप से निम्नलिखित तत्वों की चर्चा की जा सकती है :

विश्वविद्यालय, स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान

1. विश्वविद्यालय-स्तरीय पाठ्यक्रमों में छात्रों की संख्या जिस तेजी से बढ़ती जा रही है वह राष्ट्रीय अर्थव्यवथा की वृद्धि की दर से कहीं अधिक है। इसके फलस्वरूप उच्चतर शिक्षा में प्रतिव्यक्ति पूंजी निवेश हल्का पड़ गया है। और नतीजा यह हुआ है कि विभिन्न संस्थाओं में अधिकाधिक छात्रों को भरती करने की कोशिश में सुविधाओं के तार इतने खीचे जाते है कि लगता हैं वे अब टूटे, तब टूटे। विश्वविद्यालयों के जितने लोग दीक्षित होकर निकलते हैं उनकी संख्या कहीं अधिक और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जितने लोग खप सकते हैं उनकी संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम होती है और यह खाई निरंतर चौड़ी ही होती जा रही है। निम्नलिखितों में—विशेषतया से शिक्षित स्त्रियों में और विज्ञान तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उपाधियां लेकर विश्वविद्यालयों से निकलकर आने वालों में—बेरोज़गारी बढ़ती फैलती चली जा रही है और यह एक बड़े क्षोभ का विषय है।

2. उच्चतर शिक्षा के अधिकांश की न तो छात्रों की जरूरतों, योग्यताओं और अभिरूचियों के साथ कोई संगति होती है, न भारत की विकासमान अर्थव्यवस्था के साथ। यह बात शैक्षिक और व्यवसायिक दोनों ही प्रकार के पाठ्यक्रमों के संदर्भ में पूर्व स्नातक स्तर पर विशेष रूप से लागू होती है। विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के संकायों में जो पाठ्यक्रम चलते हैं उनका और राष्ट्र की आवश्यकताओं का कतई कोई मेल नहीं। इस विषमता को उजागर करने वाला एक तथ्य यही है कि गांवों और पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिए बीच के स्तर के व्यवसायी श्रमिक (उदाहरणार्थ, डाक्टर या इंजीनियर) उपलब्ध नहीं हैं।

3. उच्चतर शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था जो कुछ पैदा कर रही है उसमें बहुत कुछ बरबादी निहित है और एक सड़ांध-सी पैदा हो रही है। प्रथम उपाधि के स्तर पर असफल होने वाले छात्रों का अनुपात लगभग 50 प्रतिशत होता है। स्नातकोत्तर परीक्षाओं में कला और वाणिज्य में लगभग 70 प्रतिशत और विज्ञान-पाठ्यक्रमों में लगभग 40 प्रतिशत छात्र तीसरी श्रेणी में पास होते हैं। इस सबसे देश में विश्वविद्यालय-व्यवस्था के स्वस्थ होने के बारे में बड़ा गहरा संदेह पैदा हो उठता है।

4. यह इतने बड़े पैमाने पर जो बरबादी हो रही है और गतिरोध उत्पन्न हो गया है उसका कारण कुछ हद तक तो यह है कि उच्चतर शिक्षा की अधिकांश छात्रों की योग्यताओं और आवश्यकताओं तथा उनके परिवेश के संदर्भ में कोई संगति ही नहीं है और कुछ हद तक इसकी जिम्मेदारी देश में शिक्षा, ज्ञानार्जन तथा परीक्षा की प्रचलित पद्धति पर है।

5. कई कारणों से अच्छी तरह से पढ़ाने पर भी प्रायः यथोचित ध्यान नहीं दिया जाता। इसका एक कारण यह है कि अनुसंधान और प्रकाशन पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया जाता है और वे सदा ऊंचे स्तर के ही होते हों—ऐसी बात नहीं होती। विश्वविद्यालयों और कालेजों में संकायों का स्तर उठाने की कोशिशें सदा स्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं रहीं। संस्थाओं के दबाव का असर भी अच्छे अध्ययन पर प्रतिकूल पड़ा है। विश्वविद्यालयों और कालेजों के स्नातकोत्तर विषयों में सदा ऐसी सुविधायें उपलब्ध नहीं होतीं कि अध्ययन की आकृष्टता की रक्षा हो सके और नतीजा यह होता है कि जो छात्र कालांतर में स्नातकोत्तर कालेजों में अध्ययन के लिए जाते हैं वे उसी ढंग का निरर्थक अध्ययन करते रहते हैं। जैसा उनके अध्यापक करते थे। यह प्रक्रिया पिछले बीस वर्ष से चल रही है और अब वक्त आ गया है कि इस विषम चक्र को तोड़ा जाये।

6. पिछड़े हुए क्षेत्रों की और उन क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों और छात्रों को जो उच्चतर शिक्षा का उपयुक्त अवसर कभी नहीं मिला। उच्चतर शिक्षा की संस्थायें सदा शहरी क्षेत्रों में केन्द्रित हो जाती हैं और उनके लिए पिछड़े हुए तथा देहाती क्षेत्रों के छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना संभव नहीं होता।

7. हमारे विश्वविद्यालयों और कालेजों में लगभग 90 प्रतिशत छात्र कलाओं, विज्ञान, वाणिज्य और विधि पाठ्यक्रमों के छात्र होते है और बेरोजगारी की समस्या सबसे भीषण रूप में इन्हीं में पाई जाती है और इनमें से लगभग 90 प्रतिशत संबद्ध कालेजों में होते हैं। संबद्ध कालेज खास तौर से वे संबद्ध कालेज जिनमें छात्रों की संख्या कम होती है और जो पिछड़े हुए क्षेत्रों में बंटे होते हैं—अपने छात्रों के लिए अर्थपूर्ण पाठ्यक्रम की व्यवस्था नहीं कर पाते। पाठ्यक्रम के अर्थपूर्ण होने का मतलब यह है कि उसमें व्यापक शिक्षा के तत्वों का उत्पादक श्रम के साथ सम्मीश्रण हो और उनके साथ ऐसे कौशल का विकास हो जिससे बाजार में उसका कुछ मूल्य हो सके। देश में उच्चतर शिक्षा के एक बड़े भाग को इस बरबादी और सड़ांध से बचने के लिए जरूरी है कि पहले कालेजों में इस समस्या पर हमला बोला जाये। इस समय स्नातकोत्तर छात्रों में विज्ञान के अंतर्गत 45 प्रतिशत और

कला-विषयों के अंतर्गत 50 प्रतिशत संबद्ध कालेजों में दाखिला लेते हैं और यह संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही है। कालेजों में स्नातकोत्तर शिक्षा का जो स्तर होता है उसमें बहुत कसर रह जाती है और खास तौर से इसलिए और अधिक चिन्ता का विषय होता है कि संबद्ध कालेजों के ये छात्र ही अंततः वहां अध्यापक नियुक्त हो जाते है।

8. पिछले कई वर्षों से विश्वविद्यालयों और कालेजों में स्नातकोत्तर और शोध-छात्रों की संख्या पूर्व स्तानक-स्तरीय छात्रों की तुलना में 6 प्रतिशत रही है और यह अनुपात प्रायः ज्यों का त्यों चला आ रहा है। अब तत्काल इस बात की आवश्यकता है कि यह अनुपात बढ़े और इसके साथ ही विश्वविद्यालयों और कालेजों में स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान की स्तर भी ऊपर उठे।

9. शिक्षा-आयोग (1964-66) ने इस बात का संकेत किया था कि माननीय शिक्षा और अनुसंधान की एक "बड़ी कमजोरी यह है कि समग्र भारतीय अनुसंधान-कार्य में विश्वविद्यालयों की भूमिका अपेक्षाकृत बहुत छोटी होती है और स्वयं यह अनुसंधान-कार्य हमारी क्षमताओं और आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत ही कम है।" यह क्षति आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है।

10. संबंधन की पद्धति ने विश्वविद्यालयों और कालेजों के बीच जो कड़ी बनाई है वह कालेजों की संख्या बढ़ते जाने से और उनके बहुत दूर-दूर होने से बराबर कमजोर होती चली जा रही है। शिक्षा बढ़ी है तो आम तौर से बुरी भी ही गई है और विश्व-विद्यालय इस स्थिति में नहीं कि कालेजों को कारगर सलाह दें और दिशानिर्देशक कर सकें। स्वायत्तता मिल जाने पर शायद कुछ अपेक्षाकृत अच्छे कालेज संबंधन के अनावश्यक प्रतिबंधों से जरूर मुक्त हो जाते और तब शायद वे इस स्थिति में होते कि वे अपने पाठ्यक्रम को छात्रों और छात्र-समाज के अनुकूल सांचे में ढाल लेते। पर अनेक कारणों से कई विश्वविद्यालय और राज्य-सरकारें अनुभव कर रही हैं कि कालेजों को स्वायत्तता प्रदान करना उतना सहज नहीं है।

11. किसी भी अध्ययन-क्षेत्र में उत्कर्ष के लिए अपनी भाषा पर अधिकार होना एक आवश्यक शर्त है। आज यह बात अधिकाधिक महसूस की जा रही है कि जब तक छात्रों और अध्यापकों का शिक्षा के माध्यम पर पूर्ण अधिकार नहीं होगा तब तक हमारे विश्व-विद्यालयों और कालेजों में न तो स्तरों की रक्षा करना संभव होगा और न उन्हें ऊपर उठाना। विज्ञान और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में—और कभी-कभी सामाजिक विज्ञानों में भी—शिक्षा की प्रधान भाषा अंग्रेजी ही बनी हुई है। शिक्षा के माध्यमों के रूप में प्रादेशिक भाषाओं की प्रतिष्ठा के प्रयत्न रूक-रूक कर ही चलते रहे हैं और प्रायः सभी प्रादेशिक भाषाओं में अच्छी पाठ्य पुस्तकों की कमी है।

12. छात्र-समाज कभी-कभी कुछ ऐसी बातों को लेकर क्षुब्ध हो उठता है जिनका शैक्षिक मसलों से कोई भी लेना देना नहीं होता। अभाव, कमी और बेरोजगारी सबमें कितना

वातावरण में एक अशांति उत्पन्न कर दी है और इसी अशांति ने फैलकर शिक्षा-जगत को भी अपनी लपेट में ले लिया है। इस अशांति में कई अन्य कारणों से वृद्धि होती रहती है—जैसे, विश्वविद्यालयों और कालेजों में अच्छे समूहबद्ध जीवन का अभाव, विश्वविद्यालय-पाठ्यक्रमों का पुराना और असंगत होना और परीक्षा की वर्तमान पद्धति आदि।

13. आयोग के पास धन का अभाव रहा है जिसकी वजह से वह उच्चतर शिक्षा की ऐसी पद्धति के विकास में कोई बड़ी भूमिका नहीं निभा रहा जो हमारी जनता की प्रकृति और देश के विकास के अनुकूल होती। अगर समीक्षाधीन वर्ष में आयोग प्रति छात्र 500/- रु० खर्च करता तो 150 करोड़ रु० की रकम की जरूरत पड़ती। पर हालत यह है कि इस वर्ष आयोग के पास विकास के लिए कुल धन राशि केवल 29 करोड़ रु० की थी—यानी इसमें प्रति छात्र वर्ष में 100 रु० से अधिक का खर्चा करना संभव नहीं था पर यह बात भी हम समझते हैं कि सिर्फ अधिक धन की व्यवस्था हो जाना अपने आप में कोई उपचार नहीं है और उसमें वर्तमान स्थिति में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आ सकता।

14. इसमें संदेह नहीं कि आयोग से जो सहायता मिलती रही है उसकी वजह से विश्वविद्यालयों को पढ़ने-पढ़ाने का काम चलाते रहने में मदद मिली है और इसके साथ ही कभी-कभी ज्ञान के विस्फोट, लोक-तंत्रीय प्रेरणाओं और प्रत्याक्षाओं के क्रांतिकारी परिवर्तन में निहित चुनौतियों का सामना करने में भी सहारा मिला है। इस बात से जरूर आशा बंधती है कि ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वे अध्ययन और अनुसंधान की परम्परा को बनाये रख सके हैं और एक ओर अपर्याप्त सहायता के तथा दूसरी ओर सामाजिक परिवर्तन के दबावों को झेलकर भी निवित हैं। किन्तु अधिकांश में उनकी प्रतिक्रियाओं का निर्धाण उनके छोटे से इतिहास से, कभी-कभी मसलहत से और अकंसा उस सामाजिक परिवेश से होता रहा है जिसमें वे काम करते हैं। विश्वविद्यालवों को जितने साधन चाहिए, आयोग की सहायता में तो उसका एक बहुत मामूली अंश परिलक्षित होता है पर आज विश्वविद्यालय-व्यवस्था अपनी स्वायत्तता और नेतृत्व का सही उपयोग करे तो इन सीमित साधनों का भी कहीं अच्छा और अधिक रचनाप्रेरित उपयोग हो सकता है। धन जरूरी है—इसमें कोई शक नहीं, पर इससे भी ज्यादा महत्व इस बात का है कि छात्र और अध्यापक कैसे हैं, प्रवासन कैसा है और संस्था का ढांचा कैसा है क्योंकि इनको मिलाकर ही यह तय होता है कि संस्था की प्रवृति कैसी है। विश्वविद्यालय-व्यवस्था के विविध अंगों के सुखद पारस्परिक संबंध और राष्ट्रीय विकास में अपना सहयोग देने की विश्वविद्यालयों की क्षमता और तत्परता देखकर हमें यह उम्मीद बंधती हैं कि आयोग की सहायता से विश्वविद्यालय यह भरपूर प्रयत्न करेंगे कि उच्चतर शिक्षा राष्ट्रीय विकास के निमित एक निश्चित-शक्ति के रूप में उभरे।

कालेज और पूर्णस्नातक शिक्षा

विश्वविद्यालय-स्तर के 83 प्रतिशत अध्यापक और 89 प्रतिशत छात्र संबद्ध कालेज में होते हैं—इसलिए यह तो स्वतः स्पष्ट है कि कालेजों में उच्चतर शिक्षा का स्तर सुधारें

बिना देश में उच्चतर शिक्षा का व्यापक स्वरूप सुधर नहीं सकता। इस अनिवार्य आवश्यकता के प्रति हम पूरी तरह जागरूक हैं और इसीलिए एक के बाद दूसरी योजना में हम नाना कालेजों के विकास के लिए अधिकाधिक धन राशि का नियंत्रन करते चले आये हैं। कालेज-विकास के मुख्य कार्यक्रम कदाय में—यानी 3 लाख रु० वाली योजना के अंतर्गत—अभी केवल 50 प्रतिशत कालेज अधूरे हैं—हालांकि किताबों के लिए कुछ न कुछ सहायता उन सभी कालेजों को मिली है जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-अधिनियम की धारा 2(च) में आते हैं। आयोग के पास धन का अभाव है—इसलिए उसे मजबूरन यह पाबंदी लगानी पड़ी कि योजनावधि में एक कालेज को अधिक से अधिक 3 लाख रु० ही दिया जा सकता है और इसका नतीजा यह हुआ कि इससे अच्छे और बड़े कालेजों के विकास पर भी प्रतिबंध लग गया। इसके अलावा कई कारणों से उन कालेजों के विकास के लिए भी समुचित साधन मुहैया करना संभव नहीं हो सका जिनमें जीते रहने की क्षमता नहीं दीखती और जिन पर अधिक धन लगाकर कम प्रतिफल मिलने की संभावना होती है। अब तक आयोग की सहायता पाने की शर्त के रूप में छात्रों की संख्या का जो प्रतिबंध लगाया गया था, उससे लगता है न तो छोटे कालेजों को कोई खास फायदा हुआ है. न बड़े कालेजों को।

देश में उच्चतर शिक्षा की सुविधाओं का प्रसार एक-जैसा नहीं रहा। पूरे देश के संदभ में कालेजों में छात्रों का औसत अनुपात 5.5 प्रति हजार है पर दिल्ली में यह औसत बहुत अधिक है— 13.6 प्रति हजार और उड़ीसा में बेहद कम 2.2 प्रति हजार। भारत के हर जिले में औसतन 10 कालेज हैं परन्तु कई जिले ऐसे भी हैं जिनमें तीन से अधिक कालेज नहीं।

यों प्रतिकालेज औसत छात्र-संख्या 800 है पर लगभग आधे कालेज देश में ऐसे हैं जिनमें छात्रों की संख्या 500 से भी कम है। 25 प्रतिशत कालेजों में छात्रों की संख्या 500 और 1000 के बीच में, 20 प्रतिशत में 1000 और 2000 के बीच और कुल 5 प्रतिशत कालेज ऐसे हैं जिनमें छात्रों की संख्या 2000 या उससे ऊपर है। अगर कालेज के लिए छात्रों की अनुकूलतम संख्या 1500 मान ली जाये —जैसी की शिक्षा आयोग (1964-66) से सिफारिश की थी—तो देश में कुल मिलाकर ऐसे लगभग 15 प्रतिशत कालेज ही निकलेंगे। सामाजिक गतिमत्ता की आकांक्षा और राजनैतिक दबाव की व्यापकता के कारण अनेकों ऐसे नये कालेज खोले गये हैं जिनमें पूंजी अधिक लगती है और प्रतिफल कम मिलता है। यह तय करना सरकारी और शैक्षिक संस्थाओं का काम हैं कि नये कालेज कहां खुलें और उनका समुचित विकास कैसे हो। इससे पता चलता है कि एक ओर तो राज्य-सरकारों और दूसरी ओर केन्द्रीय अभिकरणों—जिनमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी शामिल है—के बीच यह तय करने के लिए पूर्ण सामंजस्य की आवश्यकता है कि देश में कौन-कौन सी है जहां उच्चतर शिक्षा का पनपना, बढ़ना और विकसित होना सबसे ज्यादा जरूरी है।

हम इस समय देश की सूमूची शिक्षा-व्यवस्था पर पुर्नविचार करने की प्रक्रिया में हैं और उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था में जो प्रमुख कमजोरियां और असंतुलन आ गये हैं उनमें से कुछ को आंकने की कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। हम विश्वविद्यालयों के साथ संवादों का एक सिलसिला शुरू करना चाहते हैं ताकि यह तय किया जास के कि अगली योजना में ऐसे क्या-क्या कदम उठाये जाने चाहिए जिससे उच्चतर शिक्षा कुछ अधिक समर्थक बन सके और अंततः परिवर्तन और विकास के उपयुक्त अध्ययन के रूप में ढल सके।

आर० के० छाबड़ा
सचिव

जार्ज जैकब
अध्यक्ष

सतीश चन्द्र
उपाध्यक्ष

आई० डी० एन० साही

अजीत मजुमदार

आर० एस० शर्मा

रईस अहमद

एस० गोपाल

एम० शांतप्पा

जे० बी० चीतम्बर

बी० एस० उडगांवकर

अमरजीत सिंह

के० टी० चांडी

परिशिष्ट-I

भारतीय विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्थाएं 1972-73

स्थापना वर्ष	क्रमांक	विश्वविद्यालय
1	2	3
1857	(1)	कलकत्ता विश्वविद्यालय
	(2)	बम्बई विश्वविद्यालय
	(3)	मद्रास विश्वविद्यालय
1887	(4)	इलाहाबाद विश्वविद्यालय
1916	(5)	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (वाराणसी)
	(6)	मैसूर विश्वविद्यालय
1917	(7)	पटना विश्वविद्यालय
1918	(8)	उसमानिया विश्वविद्यालय (हैदराबाद)
1921	(9)	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
	(10)	लखनऊ विश्वविद्यालय
1922	(11)	दिल्ली विश्वविद्यालय
1923	(12)	नागपुर विश्वविद्यालय
1926	(13)	आंध्र विश्वविद्यालय (वाल्टेयर)
1927	(14)	आगरा विश्वविद्यालय
1929	(15)	अन्नामलई विश्वविद्यालय (अन्नामलई नगर)
1937	(16)	केरल विश्वविद्यालय (त्रिवेन्द्रम)
1943	(17)	उत्कल विश्वविद्यालय (भुवनेश्वर)
1946	(18)	सागर विश्वविद्यालय
1947	(19)	राजस्थान विश्वविद्यालय (जयपुर)
	(20)	पंजाब विश्वविद्यालय (चण्डीगढ़)

परिशिष्ट-I (क्रमशः)

1	2	3
1948	(21)	गौहाटी विश्वविद्यालय
	(22)	कश्मीर विश्वविद्यालय (श्रीनगर)
1949	(23)	रुड़की विश्वविद्यालय
	(24)	पूना विश्वविद्यालय
	(25)	एम० एस० बड़ौदा विश्वविद्यालय
	(26)	कर्नाटक विश्वविद्यालय (धारवाड़)
1950	(27)	गुजरात विश्वविद्यालय (अहमदाबाद)
1951	(28)	एस०एन०डी०टी० महिला विश्वविद्यालय (बम्बई)
	(29)	विश्वभारती (शांतिनिकेतन)
1952	(30)	बिहार विश्वविद्यालय (मुजफ्फरपुर)
1954	(31)	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय (तिरुपति)
1955	(32)	सरदार पटेल विश्वविद्यालय (वल्लभ विद्यानगर)
	(33)	जादवपुर विश्वविद्यालय (कलकत्ता)
1956	(34)	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय (कुरुक्षेत्र)
	(35)	इन्दिरा कला-संगीत विश्वविद्यालय (खैरागढ़)
1957	(36)	विक्रम विश्वविद्यालय (उज्जैन)
	(37)	गोरखपुर विश्वविद्यालय
	(38)	जबलपुर विश्वविद्यालय
1958	(39)	वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (वाराणसी)
	(40)	मराठवाड़ा विश्वविद्यालय (औरंगाबाद)
1960	(41)	उत्तर प्रदेश कृषि-विश्वविद्यालय (नैनीताल)*
	(42)	बर्दवान विश्वविद्यालय
	(43)	कल्याणी विश्वविद्यालय
	(44)	भागलपुर विश्वविद्यालय
	(45)	रांची विश्वविद्यालय

*इसका नाम अब गोबिन्दवल्लभ पंत कृषि एंव प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (गोविन्दवल्लभ पंत यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर एन्ड टेकनालोजी) रख दिया गया है।

1	2	3
1961	(46)	के० एस० दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय
1962	(47)	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (लुधियाना)
	(48)	पंजाबी विश्वविद्यालय (पटियाला)
	(49)	उड़ीसा कृषि एंव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (भुवनेश्वर)
	(50)	उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय (सिलीगुड़ी)
	(51)	रवीन्द्र भारती (कलकत्ता)
	(52)	मगध विश्वविद्यालय (गया)
	(53)	जोधपुर विश्वविद्यालय
	(54)	उदयपुर विश्वविद्यालय
	(55)	शिवाजी विश्वविद्यालय (कोल्हापुर)
1964	(56)	इंदौर विश्वविद्यालय
	(57)	जीवाजी विश्वविद्यालय (ग्वालियर)
	(58)	रविशंकर विश्वविद्यालय (रायपुर)
	(59)	कृषि-विज्ञान विश्वविद्यालय (बंगलौर)
	(60)	आंध्र प्रदेश कृषि-विश्वविद्यालय (हैदराबाद)
	(61)	बंगलौर विश्वविद्यालय
	(62)	जवाहरलाल नेहरू कृषि-विश्वविद्यालय (जबलपुर)
1965	(63)	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय
	(64)	कानपुर विश्वविद्यालय
	(65)	मेरठ विश्वविद्यालय
	(66)	मदुरै विश्वविद्यालय
	(67)	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय (राजकोट)
	(68)	दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय (सूरत)
1967	(69)	बरहामपुर विश्वविद्यालय
	(70)	संबलपुर विश्वविद्यालय
1968	(71)	गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय (जामनगर)
	(72)	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (नई दिल्ली)
	(73)	महात्मा फूले कृषि-विद्यापीठ (राहुड़ी, जि० अहमदनगर)

परिशिष्ट-I (क्रमशः)

1	2	3
	(74)	कालीकट विश्वविद्यालय
	(75)	अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय (रीवां)
	(76)	असम कृषि-विश्वविद्यालय (जोरहाट)
1969	(77)	गुरुनानक विश्वविद्यालय (अमृतसर)
	(78)	जम्मू विश्वविद्यालय (जम्मू)
	(79)	पंजाबराव कृषि-विद्यापीठ (आकोला)
1970	(80)	हरियाणा कृषि-विश्वविद्यालय (हिसार)
	(81)	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (शिमला)
	(82)	भोपाल विश्वविद्यालय
	(83)	राजेन्द्र कृषि-विश्वविद्यालय (ठोली, जि० मुजफ्फरपुर)
1971	(84)	तमिलनाडु कृषि-विश्वविद्यालय (कोयंबटूर)
	(85)	कोचीन विश्वविद्यालय
1972	(86)	केरल कृषि-विश्वविद्यालय (त्रिचूर)
	(87)	गुजरात कृषि-विश्वविद्यालय (अहमदनगर)
	(88)	कोंकण कृषि-विद्यापीठ (डापोली)
	(89)	मराठवाड़ा कृषि-विद्यापीठ (परभनी)
	(90)	मिथिला विश्वविद्यालय (दरभंगा)

नोट :—जिस वर्ष किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अधिनियम अंगीकार किया गया उसी वर्ष के आधार पर उनके नाम यहां क्रमानुसार दिए गए हैं। यह 31-3-73 तक की स्थिति है।

परिशिष्ट-I (क्रमशः)

मान्यता-प्राप्ति का वर्ष*	क्रमांक	विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्थाएं
1	2	3
1958	(1)	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ़ साइन्स (बंगलौर)
	(2)	भारतीय कृषि-अनुसंधान-संस्थान (नई दिल्ली)
1962	(3)	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय (हरिद्वार)
	(4)	जामिया मिलिया इसलामिया (नई दिल्ली)
1963	(5)	गुजरात विद्यापीठ (अहमदाबाद)
	(6)	काशी विद्यापीठ (वाराणसी)
1964	(7)	टाटा इंस्टीट्यूट आफ़ सोशल साइंसिज़ (बम्बई)
	(8)	बिड़ला इंस्टीट्यूट आफ़ टेक्नालोजी एण्ड साइन्स (पिलानी)
1967	(9)	इंडियन स्कूल आफ़ माइन्स (धनबाद)

*विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-अधिनियम, की धारा 3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्था के रूप में मान्यता का वर्ष ।

परिशिष्ट-II

पाठ्यक्रमों के अनुसार कालेजों का वितरण

(1968-69 से 1972-73 तक)

पाठ्यक्रम	कालेजों की संख्या				
	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73
कला, विज्ञान और वाणिज्य	2,219	2,361	2,587	2,798	3,000
इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी	105	106	107	108	109
आयुर्विज्ञान, फार्मेसी, आयुर्वेद, परिचर्या एवं दंत-चिकित्सा	157	167	176	186	210
विधि	77	85	91	95	106
कृषि	53	54	57	57	53
पशु चिकित्सा-विज्ञान	21	23	23	23	23
शिक्षा	224	235	258	269	284
प्राच्यविद्या	179	188	226	272	275
अन्य (शारीरिक शिक्षा, संगीत तथा ललित कलायें)	77	78	79	88	93
जोड़	3,112	3,297	3,604	3,896	4,153

परिशिष्ट-III

छात्रों की भरती में वृद्धि

(1960-61 से 1972-73 तक)

वर्ष	कुल भरती*	पिछले वर्ष की अपेक्षा वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4
1960-61	10,34,934	37,797	3.8
1961-62	11,55,380	1,20,446	11.6
1962-63	12,72,666	1,17,286	10.2
1963-64	13,84,697	1,12,031	8.8
1964-65	15,28,227	1,43,530	10.4
1965-66	17,28,773	2,00,546	13.1
1966-67	19,49,012	2,20,239	12.7
1967-68	22,18,972	2,69,960	13.9
1968-69	24,73,264	2,54,292	11.5
1969-70	27,92,630	3,19,366	12.9
1970-71	30,01,292	2,08,662	7.5
1971-72	32,62,314	2,61,022	8.7
1972-73 (अनुमानिक)	35,44,000	2,81,686	8.6

*बोर्ड आफ़ हाई स्कूल एण्ड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इंटर-मीडिएट कक्षाओं की छात्र-संख्या भी इसमें शामिल है ।

परिशिष्ट-IV

छात्रों की भरती : स्तरवार

(1970-71 से 1972-73 तक)

स्तर	1970-71		1971-72		1972-73 अनुमानिक	
	भरती*	कुल का%	भरती	कल का%	भरती	कुल का%
1	2	3	4	5	6	7
प्री-यूनिवर्सिटी	5,60,809	18.7	3,98,104	12.2	4,25,280	12.0
इंटरमीडिएट	4,74,869	15.8	7,82,646	24.0	8,86,000	25.0
प्री-प्रोफेशनल	11,974	0.4	16,523	0.5	18,720	0.5
स्नातक	17,46,090	58.2	18,35,077	56.2	19,56,288	55.2
स्नातकोत्तर	1,61,182	5.4	1,80,343	5.5	1,98,464	5.6
अनुसंधान	13,311	0.4	14,995	0.5	16,720	0.5
डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र	33,057	1.1	34,626	1.1	42,528	1.2
जोड़	30,01,292	100.0	32,62,314	100.0	35,44,000	100.0

*बोर्ड आफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इंटरमीडिएट कक्षाओं के छात्रों की संख्या भी इनमें शामिल हैं।

परिशिष्ट-V

स्तरवार भरती* : विश्वविद्यालयों और संबद्ध कालेजों में

(1972-73)

स्तर	विश्वविद्यालय विभाग/ विश्वविद्यालय कालेज	संबद्ध कालेज	जोड़	संबद्ध कालेजों में प्रतिशत अनुमान		
				1972-73	1971-72	1970-71
1	2	3	4	5	6	7
प्री-यूनिवर्सिटी	12,660	4,12,620	4,25,280	97.0	97.3	95.6
इंटरमीडिएट	33,814	4,02,186	4,36,000	92.2	92.0	99.9
प्री-प्रोफेशनल	660	18,060	18,720	96.5	96.1	91.4
स्नातक	1,73,808	17,82,480	19,56,288	91.1	90.6	89.2
स्नातकोत्तर	1,00,224	98,240	1,98,464	49.5	49.3	47.7
अनुसंधान	14,900	1,820	16,720	10.9	11.1	11.8
डिप्लोमा/सर्टि-फिकेट	17,648	24,880	42,528	58.5	57.9	56.5
जोड़	3,53,714	27,40,286	30,94,000	88.6	88.3	87.6

*अनुमानित भरती : इसमें बोर्ड आफ़ हाई स्कूल एण्ड इंटरमीडिएट एजुकेशन, उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट कक्षाओं की छात्र-संख्या शामिल नहीं ।

परिशिष्ट-VI

छात्रों की भरती : संकायवार

(1970-71 से 1972-73 तक)

संकाय	1970-71		1971-72		1972-73	
	भरती*	कुल का प्रतिशत अनुपात	भरती*	कुल का प्रतिशत अनुपात	भरती*	कुल का प्रतिशत अनुपात
1	2	3	4	5	6	7
कलायें (प्राच्य विद्याओं समेत)	13,29,626	44.3	14,73,979	45.2	16,33,784	46.1
विज्ञान	9,48,009	31.6	9,88,089	30.3	10,27,776	29.0
वाणिज्य	3,44,108	11.5	3,96,009	12.1	4,53,504	12.8
शिक्षा	56,922	1.9	63,658	2.0	70,880	2.0
इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी	90,034	3.0	85,543	2.6	81,512	2.3
आयुर्विज्ञान	97,601	3.2	1,02,446	3.1	1,06,320	3.0
कृषि	43,352	1.4	42,184	1.3	42,028	1.2
पशुचिकित्सा	6,222	0.2	6.086	0.2	7,088	0.2
विधि	70,618	2.4	84,443	2.6	99,232	2.8
अन्य	14,800	0.5	19,877	0.6	21,876	0.6
जोड़ :	30,01,292	100.0	32,62,314	100.0	35,44,000	100.0

* इसमें उत्तर प्रदेश के बोर्ड आफ़ हाई स्कूल एण्ड इंटरमीडिएट एजुकेशन की इंटरमीडिएट कक्षाओं में छात्र भरती भी शामिल हैं।

परिशिष्ट-VII

विश्वविद्यायल विभागों/विश्वविद्यालय-कालेजों में अध्यापकों की संख्या और वितरण

(1968-69 से 1972-73 तक)

वर्ष	प्रोफेसर	रीडर	प्राध्यापक*	अनुशिक्षक/ निदर्शक	जोड़
1	2	3	4	5	6
1968-69	1,872 (9.3)	2,834 (14.9)	12,991 (68.2)	1,361 (7.1)	19,058 (100.0)
1969-70	1,903 (9.6)	2,944 (14.9)	13,449 (68.1)	1,461 (7.4)	19,757 (100.0)
1970-71	2,139 (9.9)	3,324 (15.4)	14,389 (66.5)	1,767 (8.2)	21,619 (100.0)
1971-72	2,273 (10.0)	3,616 (15.8)	15,296 (67.0)	1,657 (7.2)	22,842 (100.0)
1972-73 (अनुमानित)	2,402 (10.1)	3,828 (16.0)	16,020 (67.0)	1,650 (6.9)	23,900 (100.0)

नोट :—कोष्ठक में दिए हुए आंकड़े वर्ष-विशेष में कुल अध्यापक-वर्ग के संदर्भ में पद-विशेष के प्रतिशत अनुपात को व्यक्त करते हैं।

*इसमें सहायक प्रोफेसर और सहायक प्राध्यापक भी शामिल हैं।

परिशिष्ट-VIII

संबद्ध कालेजों में अध्यापकों का पदनामवार वितरण

(1968-69 से 1972-73 तक)

वर्ष	वरिष्ठ प्राध्यापक*	प्राध्यापक**	अनुशिक्षक/ निदेशक	जोड़
1968-69	12,167	67,320	12,398	91,885
	(13.2)	(73.3)	(13.5)	(100.0)
1969-70	12,838	73,360	13,097	99,295
	(12.9)	(73.9)	(13.2)	(100.0)
1970-71	13,185	80,468	13,604	1,07,257
	(12.3)	(75.0)	(12.7)	(100.0)
1971-72	14,395	88,617	13,350	1,16,362
	(12.4)	(76.1)	(11.5)	(100.0)
1972-73	15,750	96,768	13,482	1,26,000
(अनुमानित)	(12.5)	(76.8)	(10.7)	(100.0)

नोट : कोष्ठक में दिए हुए आंकड़े वर्ग-विशेष में कुल अध्यापक-र्षव के संदर्भ में पद-विशेष के प्रतिशत अनुपात को व्यक्त करते हैं।

*इनमें प्रिंसीपल भी शामिल हैं।

**इनमें सहायक प्राध्यापक भी शामिल हैं।

परिशिष्ट-IX

विश्वविद्यालय को मिलने वाली सहायता का स्वरूप

1972

क्रम-संख्या	योजना/परियोजना	सहायता का स्वरूप: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का योगदान	राज्य-सरकार या विश्वविद्यालय का योगदान
1	2	3	4
1.	स्नातकोत्तर अध्ययन (स्नातकोत्तर अध्ययन के विश्वविद्यालय-विभाग और विश्वविद्यालय केंद्र)		
	(क) जो विश्वविद्यालय-विभाग उच्चतर अध्ययन के केंद्र हैं।	100%	
	(ख) चुने हुए विभागों के लिए विशेष सहायता का कार्यक्रम।	100%	
	(ग) अनुसंधान/स्नातकोत्तर-सुविधाएं (अनावर्ती और आवर्ती)	100%	
	(घ) स्नातकोत्तर/पूर्व स्नातक सुविधाएं परंतु अधिकतर स्नातकोत्तर सुविधाएं		
	(i) अनावर्ती	$66\frac{2}{3}$%	$33\frac{1}{3}$%
	(ii) आवर्ती	50%*	50%
2.	इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी (विश्वविद्यालय विभाग/संस्थाएं)		
	(क) पूर्व स्नातक तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का विकास/विस्तार (अनावर्ती और आवर्ती)	50%	50%
	(ख) स्नातकोत्तर/अनुसंधान-सुविधाएं	100%	
3.	पुस्तकालय		
	(क) भवन-निर्माण	$66\frac{2}{3}$%	$33\frac{1}{3}$%
	(ख) पुस्तकें	100%	

* प्रोफेसरों और रीडरों के वेतन पर जो व्यय होता है उसका शत-प्रतिशत भार आयोग उठाता है)

परिशिष्ट IX (क्रमश:)

1	2	3	4
4.	ग्रीष्म-सस्थान, गोष्ठियां, परिसंवाद, पुनश्चर्या अभिविन्यास पाठ्यक्रम, वर्कशाप, आदि ।	100%	
5.	मूल विज्ञानों में कालेज-अध्यापकों और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए अनुसंधान सहभागिता-कार्यक्रम	100% (1700 रु० तक)	
6.	व्यावसायिक/विद्युत् (शैक्षिक सभाओं संघों के सम्मेलन	$66\frac{2}{3}$% (राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए अधिक से अधिक 3000 रु० और प्रादेशिक सम्मेलन के लिए अधिक से अधिक 2000 रु०)	$33\frac{1}{3}$%
7.	सेवानिवृत्त अध्यापकों की सेवाओं का उपयोग	6000 रु० वार्षिक और 1000 रु० प्रति वर्ष आनुवंशिक व्यय के रूप में	
8.	अध्यापकों के द्वारा शोध-कार्य तथा अन्य विद्वत्तापूर्ण कृतित्व (उपकरण, क्षेत्रीय कार्य, साहित्य आदि)	100% (एक परियोजना के लिए 5,000 रु० तक)	
9.	लब्ध प्रतिष्ठ अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियाँ	100%	
10.	स्टाफ-क्वार्टर	50%	50%
11.	अध्यापकों के लिए आवास (दो अध्यापकावास – 24-24 अध्यापकों के लिए अनुमानित व्यय—3 लाख रु०)	दोनों आवासों के लिए 75% अथवा पहले अवास के लिए 100% (3 लाख रु० तक) और दूसरे के लिए 50% (1.5 लाख रु० तक)	
12.	छात्रावास		
	(क) छात्रों के लिए	50%	50%
	(ख) छात्राओं के लिए	75%	25%
13.	स्वास्थ्य-केंद्र		
	(क) अनावर्ती (भवन-निर्माण और उपकरण) (1,50,000 रु० तक)	75%	25%
	(ख) आवर्ती (कर्मचारियों का वेतन) (30,000 रु० प्रति वर्ष तक)	50%	50%

परिशिष्ट IX (क्रमशः)

1	2	3	4
14.	छात्रों के लिए अध्ययन घर	1,24,000 रु० तक (1,25,0(0 रु० के अनुमानित व्यय वाले भवन के लिए 1,00,000 रु० तथा पुस्तकों और फर्नीचर के लिए 24,000रु०)	
15.	अतिथि गृह	$66\frac{2}{3}\%$ (अधिक से अधिक 1,00,000 रु० तक)	$33\frac{1}{3}\%$
16.	छात्र-सहायत-कोष	उतनी धनराशि जितनी विश्वविद्यालय इस कोष के लिए अपने साधनों में जुटा सकें— परंतु अधिक से अधिक 15,000 रु० प्रतिवर्ष	
17.	अध्यापकों की विद्वत्तापूर्ण कृतियों, शोध-ग्रंथों तथा अनुसंधान-परियोजनाओं की रिपोर्टों आदि के प्रकाशन के लिए प्रकाशन-अनुदान	31.3.1974 तक के लिए नियत धनराशि 100% आधार पर	
18.	वयस्क/अनुवर्ती शिक्षा के कार्यक्रम	75% पर 31.3.74 तक की अवधि के लिए अधिक से अधिक 3 लाख रु०	25%
	(क) विश्वविद्यालयों में पुरातत्व-कक्षों की स्थापना	100%	
19.	विश्वविद्यालय-प्रेसों की स्थापना सुधार (इसमें केवल मशीने और उपकरण शामिल हैं)	$66\frac{2}{3}\%$ अधिकतम सीमा— 1,21,000 रु०	$33\frac{1}{3}\%$
20.	वाटरकूलर	50% प्रति कूलर 2,500 रु० तक (अधिक से अधिक कूलरो के लिए)	
21.	अधिवृतियां और छात्रवृत्तियाँ		
	(क) मानविकी और सामाजिक विज्ञानों में छोटी अनुसंधान-अधिवृत्तियां जो विश्वविद्यालयों को हस्तांतरित कर दी गई हैं (300 रु० प्रति-माह)	100%	

परिशिष्ट IX (क्रमश:)

1	2	3	4
(ख)	मानविकी और सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान-अधिवृत्तियां		
	(i) छोटी अनुसंधान अधिवृत्तियां (300 रु० प्रतिमाह)	100%	
	(ii) बड़ी अनुसंधान अधिवृत्तियां (500 रु० प्रतिमाह)	100%	
(ग)	इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में अधिवृत्तियां		
	(i) अनुसंधान-अधिवृत्तियां (400/500 रु० मासिक)	100%	
	(ii) अवर अधिवृत्तियां (250 रु० मासिक)	100%	
(घ)	अरबी/फारसी के अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां		
	(i) स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए (1000 रु० प्रतिवर्ष)	100%	
	(ii) आनर्स के लिए 1,200 रु० प्रतिवर्ष)	100%	
(ङ)	संस्कृत/पालि/प्राकृत में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां (18,00 रु० प्रतिवर्ष)	100%	
(च)	उत्तर-पूर्वी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ		
	(i) अवसर अनुसंधान-अधिवृत्तियां (300 रु० प्रतिमाह	100%	
	(ii) स्नातकोत्तन छात्रवृत्तियां (18,00 रु० वार्षिक)	100%	
(छ)	अनुप्रयुक्त भूविज्ञान तथा भूभौतिकी में छात्रवृत्तियां (150 रु० मासिक)	100%	

परिशिष्ट IX (क्रमशः)

1	2	3	4
22.	सामुदायिक विकास, सहकारिता और पंचायत राज के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान (अनुसंधान-परियोजनाएं, संगोष्ठियां, पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएं अधिवृत्तियां, प्रकाशन, आदि)	100%	
23.	अभ्यागत छात्रों की योजना*	100% (अधिकतम सीमा 5000 रु०)	
24.	राष्ट्रीय भाषा माला	100%	
25.	राष्ट्रीय एसोशिएट (विश्वविद्यालयों और कालेजों के नवयुवा-अनुसंधाताओं के लिए)	100%	
26.	अनियत अनुदान		
	(क) अध्यापकों के विनिमय के लिए	100%	
	(ख) विश्वविद्यालय-अध्यापकों के लिए विस्तार-कार्य	100%	
	(ग) विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए अध्यापकों को यात्रा-अनुदान	50%	50%
	(घ) (i) भारत में अनुसंधान-केंद्रों, शैक्षणिक सम्मेलनों/संगोष्ठियों में आने-जाने के लिए अध्येताओं/अध्यापकों/तकनीशियनों को यात्रा-अनुदान	100% (विश्वविद्यालय-नियमों के अनुसार)	
	(ii) अनुसंधाताओं को, अन्य अनुसंधान-केंद्रों में अनुसंधान के लिए, यात्रा-अनुदान	100% (विश्वविद्यालय-नियमों के अनुसार)	
	(ङ) विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग-एकक	विश्वविद्यालय में संबद्ध कालेजों की संख्या के अनुसार 10,000 से लेकर 15,000 रु० तक)	

* इसमें संबद्ध कालेजों के छात्र भी शामिल हैं।

परिशिष्ट IX (क्रमशः)

1	2	3	4
	(च) कंप्यूटर पर काम कराने के लिए कंप्यूटर-सहायता	100%	
	(छ) अध्यापन-सामग्री और आवश्यक साधन जुटाने, तैयार करना और बनाना	100%	
27.	प्रशिक्षित अनुशिक्षकों की नियुक्ति	75%	25%
28.	छात्र-सुविधाओं का उन्नयन (विश्व-विद्यालय के लिए 20,000 रु० विश्व-विद्यालय मानी जाने वाली संस्था के लिए 10,000 रु०)	100%	
29.	खेल के मैदानों की संवार-सुधार तथा सहायक उपकरणों की खरीद, आदि)	15,000	25%
30.	जिमनाज़ियम का निर्माण	75% (2.5 लाख रु० का)	25%
31.	विकास-अधिकारी की नियुक्ति (अधिक से अधिक 700-1250 रु० के वेतनमान में)	100%	
32.	रोज़गार सूचना तथा परामर्श-ब्यूरो की स्थापना		
	(i) अनवर्ती (टाइपराइटर तथा डूप्लीकेटिंग मशीन)	100% (4,500 रु० तक)	
	(ii) आवर्ती		
	(क) ब्यूरो के मुख्याधिकारी का मानदेय	100% 2400 रु० वार्षिक तक	
	(ख) वेतन		
	तकनीकी सहायक	6,000 रु० प्रति वर्ष तक	
	पुस्तकालय-क्लर्क	3,000 रु० प्रति वर्ष तक	
	आनुवंशिक व्यय	2,000 रु० प्रति वर्ष तक	
	जोड़	13,400 रु० प्रति वर्ष तक	

परिशिष्ट (क्रमशः)

1	2	3	4
33.	अध्ययन-केंद्र	100%	
	अनावर्ती :	रु०	
	किताबें	20,000 रु०	
	स्टैक	10,000 रु०	
	आवर्ती :		
	कर्मचारी	10,000 रु०	
	आनुषंगिक (जिसमें बिजली का खर्चा भी शामिल है)	3,000 रु०	
34.	कालेज-विज्ञान-उन्नयन-कार्यक्रम : चुने हुए विश्वविद्यालय-विभागों में भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञानों तथा गणित में विश्वविद्यालय-नेतृत्व-परियोजनाएं	100%	
35.	विश्वविद्यालयों/कालेजों में काम करने वाले अनुसंधाताओं। अनुसंधान-अध्येताओं को अपने अनुसंधान-कार्य के लिए अथवा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए विदेश यात्रा के वास्ते वित्तीय सहायता	100%	

परिशिष्ट-X

कालेजों को मिलने वाली सहायता का स्वरूप

1972

क्रम संख्या	योजना/परियोजना	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का योगदान	कालेज/विश्वविद्यालय राज्य-सरकार का योगदान
1	2	3	4
1.	स्नातकोत्तर अध्ययन		
	आयोग के अनुदान की अधिकतम सीमा यों निर्धारित की गई हैं :		
	(क) मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों के अधीन विभाग : प्रति कालेज—1,50,000 रु० परन्तु प्रति विभाग अधिक स अधिक 50,000 रु०		
	(ख) विज्ञान-विषय :—		
	(i) भौतिकी और रसायन विभाग : डेढ़-डेढ़ लाख रु०		
	(ii) वनस्पति, प्राणिविज्ञान, भूविज्ञान, जीवरसायन तथा गृहविज्ञान विभाग : एक-एक लाख रु०		
	(iii) गणित (सांख्यिकी समेत), मानवविज्ञान, भूगोल आदि—पचहत्तर-पचहत्तर हजार रु०		
	(क) अनावर्ती :		
	(i) भवन-निर्माण	50%	50%
	(ii) किताबें और उपकरण	75%	25%
	(ख) आवर्ती :		
	अतिरिक्त अध्यापक	50%	50%

परिशिष्ट X (क्रमशः)

1	2	3	4
	2. पुस्तकालय और प्रयोगशाला-सुविधायें :		
	(क) भवन-निर्माण (जिसमें फर्नीचर और फिटिंग भी शामिल हैं)	66⅔%	33⅓%
	(ख) किताबें और प्रयोगशाला-उपकरण	75%	25%
	(ग) विज्ञान-विभागों के लिए वर्कशाप (भवन निर्माण और उपकरण)	75%	25%
	3. पढ़ाने के लिए और जगह का—यानी व्याख्यान-कक्ष और कक्षाओं का प्रबंध	66⅔%	33⅓%
	4. छात्रावास :		
	(क) छात्रों के लिए	50%	50%
	(ख) छात्राओं के लिए	75%	25%
	5. अध्यापक-वर्ग के लिए क्वार्टर :	50%	50%
	6. (क) अध्यापकावास	66⅔%	33⅓%
	(ख) अध्यापकों के लिए रहने के फ्लैट*	80%	20%
	7. अनावासी छात्र-केन्द्र	35,000 रु० तक (जिस कालेज में छात्रों की संख्या 1000 या अधिक हो उसके लिए, अथवा बड़े अनावासी छात्र केन्द्र या दो ऐसे केन्द्र छोटे केन्द्रों के लिए 70,000 रु०)	
	8. ट्यूबवेल और ओवरहैड टंकियां	50%	50%
	9. साइकिल शेड	50%	50%
	10. अर्धसूक्ष्मविश्लेषण-उपकरण (रसायन-विभाग के लिए)	100% (5000 रु० तक)	
	11. चाक बोर्ड	100%	

नोट : क्रमसंख्या 2 से 11 की सब या किसी भी योजना के लिए आयोग के प्रति कालेज अनुदान की अधिक से अधिक सीमा 3 लाख रु० हैं।

* अगर कालेज कम से कम दस वर्ष पुराना है और उसमें 40 अध्यापक हों तो उसे अतिरिक्त अनुदान मिल सकता है।

परिशिष्ट X (क्रमशः)

1	2	3	4
12.	सेवानिवृत्त अध्यापकों की सेवाओं का उपयोग	6,000 रु० वार्षिक और 1000 रु० आनुषंगिक वार्षिक व्यय	
13.	अनुसंधान / उच्चतर अध्ययन के लिए अध्यापकों को सहायता	100%—एक परियोजना के लिए एक वर्ष में 5000 रु० तक	
14.	लब्धप्रतिष्ठ अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय अधिवृत्तियां	100%	
15.	छात्र-सहायता-कोष	100%	
	छात्र-संख्या	अनुदान रु०	
	250 या कम	750	
	251 से 500 तक	1,000	
	501 से 750 तक	1,750	
	751 से 1000 तक	2,250	
	1001 से 1250 तक	2,750	
	1251 से 1500 तक	3,250	
	1501 से 2000 तक	3,750	
	2001 से 2500 तक	4,250	
	2501 और उससे ऊपर	5,000	
16.	छात्र-कल्याण-कार्यक्रम	100%	नीचे लिखे मुताबिक
	छात्र-संख्या	अनुदान रु०	
	500 से कम	5,000	
	500 से 999 तक	8,000	
	1000 से 1499 तक	10,000	
	1500 तक और उसके ऊपर	12,000	
	सहायता का उपयोग इन बातों के लिए किया जा सकता है :		
	(i) रसोई (उपकरण समेत), सामूहिक भोजन-कक्ष (फर्नीचर समेत), तथा छात्र कक्ष की मौजूदा सुविधाएँ बढ़ाने के लिए		

परिशिष्ट X (क्रमशः)

1	2	3	4
	(ii) छात्रों की मनोरंजन-सुविधाओं के लिए— जैसे रेडियो, रिकार्ड प्लेयर, घर के अंदर के खेलों आदि के लिए		
	(iii) कैंटीन-सुविधायें बढ़ाने के लिए		
	(iv) स्वच्छता की सुविधायें बढ़ाने के लिए इस योजना के अंतर्गत कोई नया निर्माण-कार्य शुरू न किया जाये		
	(v) वाटरकूलर (केवल एक) 3000 रु० और वास्तविक व्यय का 50% में से जो भी कम पड़े वही आयोग का हिस्सा होगा		
	17. पुस्तकों के लिए अनुदान'		
	i. जिस कालेज में छात्रों की संख्या 500 से कम हो	4,500 रु०	
	ii. जिस कालेजों में छात्रों की संख्या 500 से 900 तक हो	5,500 रु०	
	iii. जिस कालेज में छात्रों की संख्या 1000 या इससे ऊपर हो	6,500 रु०	
	18. शताब्दी-अनुदान (स्थायी किस्म की परियोजना)	100% अधिकतम सीमा 1 लाख रु०	
	19. विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए अध्यापकों को आर्थिक सहायता	भारत में प्रथम श्रेणी के किराये और हवाई जहाज (इकोनामी क्लास) के किराये का 50%—बशर्ते कि बाकी का कालेज/विश्वविद्यालय/राज्य सरकार दे।	
	20. अध्यापक प्रशिक्षण-कालेज		
	जिन कालेजों में केवल बी०एड० पाठ्यक्रम है	2.00 लाख रु०	
	जिन कालेजों में बी०एड और एम०एड० दोनों पाठ्यक्रम हैं	3 00 लाख रु०	

' यह प्रतिमान अभी वर्ष 1970-72 के लिए हैं। 1972-74 के लिए पुस्तकों के लिए अनुदान की नीति अभी विचाराधीन है।

परिशिष्ट X (क्रमशः)

1	2	3	4
	जिन कालेजों में बी०एड० और अथवा एम०एड० पाठ्यक्रम योजनायें हैं —		
(i)	पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं का विस्तार (फर्नीचर और फिटिंग समेत)	66⅔%	33⅓%
(ii)	किताबें और प्रयोगशाला-उपकरण की खरीद	75%	25%
(iii)	छात्रावास :		
	(क) छात्रों के लिए	50%	50%
	(ख) छात्राओं के लिए	75%	25%
(vi)	अध्यापकों के लिए रहने के क्वार्टर	50%	50%
(v)	अनावासी छात्र केन्द्र 35,000 रु० तक		
(vi)	अध्यापकावास	66%	33⅓%
(vii)	अतिरिक्त अध्यापक	50%	50%
(viii)	भवन-निर्माण और मेज-कुर्सियां आदि (कक्षाएं/व्याख्यान-कक्ष)	50%	50%
	एम०एड० पाठ्यक्रम वाले कालेजों के लिए		
(ix)	पढ़ाने के साधन तथा पाठ्यसामग्री की तयारी, व्यवसायी स्कूलों में प्रयोग तथा सहकारिता के कार्य, ग्रीष्म-स्कूल, प्रकाशन, शोध-सामग्री, अभ्यागत-अधिवृत्तियां तथा शैक्षिक किस्म के ऐसे ही कार्यक्रम	100%	
	(नोट : भवन निर्माण-कार्यक्रम के लिए आमतौर से 1,00,000 रु० से अधिक नहीं दिया जाएगा)		
(x)	चाक बोर्ड	100%	
(xi)	ट्यूबवेल और ओवरहैड टंकियां	50%	50%
(xii)	साइकिल स्टैंड	50%	50%

परिशिष्ट X (क्रमश.)

1	2	3	4
21.	खेल के मैदानों की संवार-सुधार और कालेज में सहायक साधनों आदि की खरीद (10,000 रु०)	75%	25%
22.	जिमनाजिम का निर्माण		
	जहां छात्रों की संख्या 1500 या उससे अधिक हो (1,50,000रु०)	75%	25%
	छोटे कालेज के लिए (75,000 रु०)	75%	25%
23.	जीविका-परामर्श-एकक की स्थापना	100% (कार्यकारी अध्यापक को 1200 रु० प्रति वर्ष तक का मानदेय)	
24.	स्वास्थ्य-केन्द्रों की स्थापना		
	(i) अनावर्ती (भवन निर्माण, और उपकरण) (75,000 रु० तक)	75%	25%
	(ii) आवर्ती (कर्मचारियों का वेतन) (20,000 रु० तक)	50%	50%
25.	किताब-कोषों की स्थापना	75%	25%
	छात्र-संख्या		नियत
	500 या उसके ऊपर 1000 तक		15,000 रु०
	1000 या उसके ऊपर 1500 तक		20,000 रु०
	1500 या उसके ऊपर 2000 तक		25,000 रु०
	2000 या उसके ऊपर		30,000 रु०
26.	प्रयोगशाला का विकास/वैज्ञानिक उपस्कर या उपकरण की खरीद	100% (अधिकतम सीमाओं का उल्लेख नीचे दिया गया है)	
	(i) भौतिक विज्ञानों या जीवविज्ञानों में बी०एस०सी० के पाठ्यक्रम चलाने वाले कालेज के लिए	15,000 रु०	
	(ii) भौतिक विज्ञानों या जीवविज्ञानों में बी०एस०सी० का पाठ्यक्रम चलाने वाले कालेज के लिए	20,000 रु०	

(परिशिष्ट X (क्रमशः)

1	2	3	4
		100%	
(iii)	निम्नलिखित विषयों में बी०ए०/बी०एस०सी० पाठ्यक्रम चलाने वाले कालेज के लिए		
	(क) भूगोल	5,000 रु०	
	(ख) मनोविज्ञान	5,000 रु०	
	(ग) गृहविज्ञान	5,000 रु०	
	(घ) सांख्यिकी	5,000 रु०	
	(ङ) भूविज्ञान	5,000 रु०	
(iv)	निम्नलिखित विषयों में एम०ए०/एम एस०सी० पाठ्यक्रम चलाने वाले कालेज के लिए—		
	(क) भौतिकी	15,000 रु०	
	(ख) रसायन	15,000 रु०	
	(ग) वनस्पतिविज्ञान	10,000 रु०	
	(घ) प्राणिविज्ञान	10,000 रु०	
	(ङ) जीवविज्ञान	10,000 रु०	
	(च) भूविज्ञान	10,000 रु०	
	(छ) गृहविज्ञान	10,000 रु०	
	(ज) भूगोल	10,000 रु०	
	(झ) मनोविज्ञान	10,000 रु०	
	(ञ) सांख्यिकी	10,000 रु०	
27.	कालेज-विज्ञान-उन्नयन-कार्यक्रम चुने हुए कालेजों में विज्ञान-विभागों का (केवल पूर्व स्नातक स्तर पर) एकीकृत विकास	100%	
28.	भारतीय लेखकों द्वारा विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों विनिबंधों का लेखन (हर अध्येता को 500 रु० माहवार और 2000 रु० प्रतिवर्ष का आनुषांगिक अनुमान	100%	
29.	ग्रीष्म-संस्थान, संगोष्ठियां, परिसंवाद, पुनश्चर्या अभिविन्यास पाठ्यक्रम, वर्कशाप	100%	

परिशिष्ट X (क्रमशः)

1	2	3	4
30.	मूलविज्ञानों में कालेज-अध्यापकों और स्नाकोत्तर छात्रों के लिए अनुसंधान-सहभाग-कार्यक्रम	100% (1,700 रु० तक)	
31.	व्यावसायिक/विद्वत्/शैक्षिक सभाओं/संस्थाओं के सम्मेलन	66⅔% (राष्ट्रीय/अखिल भारतीय स्तर के सम्मेलन के लिए अधिक से अधिक 3 हजार रु० और प्रादेशिक स्तर के सम्मेलन के लिए 2 हजार रु०)	
32.	अधिवृत्तियां और छात्रवृत्तियां :		
	(क) मानविकी तथा विज्ञानों में छोटा शोध-अधिवृत्तियां—विश्वविद्यालय को हस्तांरित (300 रु० प्रतिमाह)	100%	
	(ख) मानविकी और विज्ञानों में शोध-अधिवृत्तियां	100%	
	(i) छोटी अधिवृत्तियाँ (300 रु० माहवार)	100%	
	(ii) बड़ी अधिवृत्तियां (500 रु० माहवार)	100%	
	(ग) इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में शोध-अधिवृत्तियां		
	(i) शोध-अधिवृत्तियां (400 रु० माहवार)	100%	
	(ii) डाक्टरी उपाधि पाने के बाद की शोध अधिवृत्ति (500 रु० माहवार)	100%	
	(घ) अरबी फारसी के अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां		
	(i) स्नातकोत्तर के लिए (1,800 रु० प्रतिवर्ष)	100%	
	(ii) आनर्स के लिए (1,200 रु० प्रतिवर्ष)	100%	

परिशिष्ट X (क्रमशः)

1	2	3	4
(ङ)	संस्कृत/पालि/प्राकृत में स्नातकोत्तर/अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां (1,800 रु० प्रतिवर्ष)	100%	
(च)	उत्तरपूर्वी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां :		
	(i) अवर शोध-अधिवृत्तियां (300 रु० माहवार)	100%	
	(ii) स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां (1,000 रु० प्रतिवर्ष)	100%	
(च)	अनुप्रयुक्त भूविज्ञान छात्रवृत्तियां (150 रु० माहवार)	100%	

परिशिष्ट-XI

1969-70 से 1972-73 तक विश्वविद्यालयों को योजनागत और योजनेत्तर अनुदान

योजनेत्तर

क्रम संख्या	नाम	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	जोड़
1.	अलीगढ़	1,97,50,000.00	2,17,15,500.00	2,31,47,826.18	2,42,25,400.00	8,28,38,726.18
2.	बनारस	2,59,75,000.00	2,86,02,300.00	2,99,93,060.00	3,09,60,900.00	11,55,31,260.00
3.	दिल्ली	1,20,00,000.00	1,27,66,706.19	1,37,82,421.00	1,57,53,912.00	5,43,03,039.19
4.	जवाहर लाल नेहरू	—	14,93,200.00	20,10,344.00	18,75,650.00	53,79,194.00
5.	विश्वभारती	54,00,000.00	65,86,000.00	69,55,100.00	72,05,000.00	2,61,46,100.00
	जोड़ :	6,31,25,000.00	7,11,63,706.19	7,58,88,751.18	8,00,20,862.00	29,01,98,319.37

योजनागत

क्रम संख्या	नाम	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	जोड़
क.	**केन्द्रीय विश्वविद्यालय**					
1.	अलीगढ़	1,06,61,779.23	79,28,604.36	3,42,82,361.00	1,20,90,950.00	6,49,63,694.59
2.	बनारस	1,00,49,529.54	77,78,264.83	2,24,68,401.67	2,13,09,075.77	6,16,05,271.81
3.	दिल्ली	47,65,705.96	40,97,594.26	2,19,86,208.95	1,10,39,951.31	4,18,89,460.48
4.	जवाहर लाल नेहरू	—	52,73,771.12	1,10,42,586.78	1,61,16,459.64	3,24,32,817.54
5.	विश्वभारती	14,33,954.14	23,93,930.94	88,75,382.61	13,23,308.00	1,40,26,575.69
	जोड़ :	2,69,10,968.87	2,74,72,165.51	9,86,54,941.01	6,18,79,744.72	21,49,17,820.11

ख. **विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्थायें**

1.	बिड़ला इंस्टीट्यूट ग्राफ टेकनोलाजी एण्ड साइंस	10,67,129.42	10,72,739.52	13,92,215.15	11,97,166.00	47,29,250.09
2.	गुजरात विद्यापीठ	3,05,798.17	3,89,788.59	4,10,134.18	7,31,476.00	18,37,196.94
3.	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय	20,000.00	1,26,517.59	1,13,210.06	3,70,110.00	6,29,837.65
4.	भारतीय कृषि-अनुसंधान-संस्थान	10,278.73	5,596.77	14,600.00	16,161.00	46,636.50
5.	भारतीय विज्ञान संस्थान	73,37,922.31	44,27,526.49	46,10,192.74	95,17,349.67	2,58,92,991.21
6	इंडियन स्कूल ग्राफ माइन्स	43,949.54	1,19,296.29	1,11,607.65	3,34,773.00	6,09,626.48
7.	जामिया मिलिया इसलामिया	4,25,200.17	3,25,138.00	6,00,638.50	5,59,775.00	19,10,751.67
8.	काशी विद्यापीठ	1,58,522.30	1,37,777.70	4,10,461.00	5,85,707.00	12,92,468.00
9.	टाटा इंस्टिट्यूट ग्राफ सोशल साइंसिज	2,15,770.00	2,43,363.00	1,92,380.56	3,86,272.00	10,37,785.56
10.	इंडियन स्कूल ग्रॉफ इंटरनेशनल स्टडीज	6,72,340.94	75,218.69	—	—	7,47,559.63
	जोड़ :	1,02,56,911.58	69,22,962.64	78,55,439.84	1,36,98,789.67	3,87,34,103.73

परिशिष्ट XI (क्रमशः)

क्रम संख्या	नाम	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	जोड़
ग.	**राज्य विश्वविद्यालय**					
1.	आगरा	4,03,181.51	4,20,639.10	1,97.751.07	3,86,872.00	14,08,443.68
2.	इलाहाबाद	16,44,227.53	15,54,857.15	13,96,837.24	18,51,905.00	64,47,826.92
3.	आंध्र	35,58,299.85	20,30,694.94	51,33,605.77	35,24,033.00	1,42,46,633.56
4.	आंध्र प्रदेश कृषि	—	—	3,000.00	1,000.00	4,000.00
5.	असम कृषि	—	—	—	—	—
6.	अन्नामलई	17,66,885.69	17,28,906,61	23,92,342.00	22,15,706.00	81,03,841.00
7.	अवधेश प्रताप सिंह	4,000.00	—	7,997.79	33,000.00	44,997.79
8.	बंगलौर	16.27,458.63	7,93,134.55	34,83,358.57	14,55,962.00	73,59,913.75
9.	बरहामपुर	5,15,399.90	11,20,785.58	11.13,419.00	10,11,152.00	37,60,756.48
10.	भागलपुर	6,96.913.10	4,14,188.88	19,66,675.00	16,46,980 00	47,24,756.98
11.	भूपाल	—	9,000.00	51,500.00	1,32,302.00	1,92,802.00
12.	बिहार	7,49,643.98	11,13,666.80	16,54,500.00	22,93,241.00	58,11,051.78
13.	बम्बई	53,26,156.02	55,13,137.15	63,93,173.17	55,54,043.00	2,27,86,509.34
14.	बर्दवान	10,73,592.17	8,54,382.27	19,64,328.91	19,19,202.00	58,11,505.35
15.	कलकत्ता	23,49,529.36	24,50,049.65	39,28,841 66	39,67,417.00	1,26,95,837.67

16.	कालीकट	1,68,000.00	1,58,791.64	10,00,963.13	26,00,533.00	39,28,287.77
17.	कोचीन	—	—	58,800.00	3,59,519.00	4,18,319.00
18.	डिब्रूगढ़	13,12,153.38	11,77,799.06	12,28,002.92	13,03,247.00	50,21,202.36
19.	गोहाटी	9,71,275.22	4,91,918.44	13,53,095.14	22,00,036.00	50,16,324.80
20.	गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	3,600.00	5,654.84	58,174.78	55,252.00	1,22,681.62
21.	गोरखपुर	7,18,744.04	8,06,955.87	13,10,930.15	11,94,708.00	40,31,338.06
22.	गुजरात	10,37,436.05	11,57,408.42	15,60,664.73	33,26,643.00	70,82,152.20
23.	गुजरात कृषि	—	—	—	—	—
24.	गुजरात आयुर्वेद	—	—	—	—	—
25.	गुरू नानक	50,000.00	53,380.65	1,09,740.70	17,85,393.00	19,98,514.35
26.	हरियाणा कृषि	—	500.00	3,143.66	8,555.00	12,198.66
27.	हिमाचल प्रदेश	—	—	45,000.00	22,20,550.00	22,65,550.00
28.	इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय	—	500.00	5,500.00	23,000.00	29,000.00
29.	इन्दौर	6,94,209.27	10,59,910.65	12,47,556.65	12,22,280.00	42,23,956.57
30.	जबलपुर	6,73,001.99	6,32,412.99	8,91,270.29	6,25,382.00	28,22,067.27
31.	जादवपुर	39,07,964.63	18,61,650.25	15,01,687.24	19,55,015.00	92,26,317.12
32.	जम्मू	8,16,487.10	8,32,350.13	4,01,966.59	10,90,012.00	31,40,815.82
33.	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय	—	250.00	250.00	—	500.00
34.	जीवाजी	8,98,250.64	5,37,628.27	7,63,661.94	17,08,318.00	39,07,858.85
35.	जोधपुर	6,64,126.49	11,07,319.39	21,40,417.10	22,62,415.00	61,74,277.98

परिशिष्ट XI (क्रमशः)

क्रम संख्या	नाम	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	जोड़
36.	कल्याणी	6,56,011.77	6,48,488.25	2,18,552.53	4,00,776.00	19,23,828.55
37.	के० एस० दरभंगा	11,493.34	15,303.85	15,600.09	7,500,00	49,897.19
38.	कानपुर	1,09,100.00	1,35,410.48	1,37,150.00	1,07,233.00	4,88,893.48
39.	कर्नाटक	11,75,603.71	11,19,863.35	13,37,114.03	18,51,966.00	54,84,547.09
40.	काश्मीर	3,05,831.17	8,94,435.13	15,65,041.51	18,29,406.00	45,94,713.81
41.	केरल	12,74,660.66	15,35,520.57	19,67,613.72	17,20,445.00	64,98,239.95
42.	जम्मू तथा काश्मीर	7,66,907.93	—	—	—	7,66,907.93
43.	कुरुक्षेत्र	6,33,923.13	17,71,320.93	8,12,740.24	17,73,769.00	49,91,753.30
44.	केरल कृषि	—	—	—	—	—
45.	कोंकण कृषि विद्यापीठ	—	—	—	—	—
46.	लखनऊ	7,52,927.37	7,16,554.45	12,28,151.56	21,34,182.00	48,31,815.38
47.	मद्रास	43,21,088.20	33,91,155.87	41,98,724.58	41,36,461.00	1,60 47,429.65
48.	मगध	11,12,311.86	9,55,477,84	10,73,050.40	9,42,001.00	40,82,841.10
49.	एम० एस० बड़ौदा विश्वविद्यालय	34,89,467.82	28,95,158.57	27,59,482.12	34,97,816.00	1,26,41,924.51
50.	महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ	—	—	—	—	—
51.	मदुरै	7,86,492.41	11,18,850.03	19,77,884.45	27,89,351.00	66,72,577.89
52.	मराठवाड़ा	9,39,299.90	11,49,382,17	10,43,144.23	13,45,536.00	44,77,362.30
53.	मराठवाड़ा कृषि	—	—	—	—	—

54.	मेरठ	9,97,208.80	20,74,875.73	13,34,334.91	10,24,831.00	54,31,250.44
55.	मिथिला	—	—	—	—	—
56.	मैसूर	30,60,303.73	28,24,583.00	28,36,542.80	24,20,458.00	1,11,41,887.53
57.	नागपुर	24,76,316.59	18,58,525.21	9,72,981.74	20,16,058.00	73,23,881.54
58.	उत्तर बंगाल	1,69,906.89	43,854.72	2,19,516.00	5,28,516.00	9,61,793.61
59.	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	—	6,633.42	20,756.12	12,750.00	40,139.54
60.	उसमानिया	33,30,734.54	40,89,597.65	33,80,886.83	79,52,115.00	1,87,53,334.02
61.	पंजाब कृषि	2,539.00	500.00	3,000.00	25,883.00	31,922.00
62.	पंजाब	26,10,371.94	33,37,533.87	40,21,281.31	39,03,299.00	1,38,72,486.12
63.	पटना	16,48,953.62	22,51,097.53	12,54,735.24	19,25,286.00	70,80,072.39
64.	पूना	25,11,320.24	30,09,185.11	35,52,733.49	32,23,475.00	1,22,96,713.84
65.	पंजाबी	8,48,309.05	4,54,351.20	2,35,490,06	14,52,247.00	29,90,397.31
66.	पंजाबराव कृषि विद्यापीठ	—	—	1,000.00	865.00	1,865.00
67.	रवीन्द्र भारती	1,57,562.00	3,12,881.73	2,05,155.36	4,53,499.00	11,29,098.09
68.	राजस्थान	15,08,974.82	14,55,537.55	13,88,670.82	22,26,060.00	65,79,243.19
69.	राजेन्द्र कृषि	—	—	—	—	—
70.	रांची	6,76,129.14	9,08,263.19	7,56,203.12	10,03,469.00	33,44,064.45
71.	रविशंकर	11,15,993.72	5,13,204.46	13,20,308.35	13,16,450.00	42,65,956.53
72.	रूड़की	30,48,643.99	36,83,087.92	33,92,508.51	35,67,962.12	1,36,92,202.54
73.	संबलपुर	2,12,000.00	14,62,877.84	17,62,016.90	13,85,012.00	48,21,906.74
74.	सरदार पटेल	10,65,756.56	6,95,644.10	9,17,621.78	21,26,182.00	48,05,204.44

परिशिष्ट XI (क्रमशः)

क्रम-संख्या	नाम	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	जोड़
75.	सागर	12,93,327.12	14,91,860.31	15,59,808.50	12,76,819.00	56,21,814.93
76.	सौराष्ट्र	5,86,500.00	13,76,692.31	5,98,126.00	9,11,412.00	34,72,730.31
77.	शिवाजी	9,85,360.29	7,15,789.44	9,37,303.95	10,62,400.00	37,00,853.68
78.	एस० एन० डी० टी०	6,33,707.55	11,11,897.18	9,16,762.33	17,65,969.00	44,28,336.06
79.	दक्षिण गुजरात	1,77,327.88	3,36,389.77	3,88,000.00	12,01,875.00	21,03,592.65
80.	श्री वेंकटेश्वर	16,59,605.79	21,15,318.65	18,51,258.22	21,57,105.00	77,83,287.66
81.	तमिल नाडु कृषि	—	—	—	14,044.00	14,044.00
82.	उदयपुर	8,64,129.37	11,16,009.02	7,14,982.86	8,81,203.00	35,76,324.25
83.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय	6,960.00	6,000.00	—	8,353.00	21,313.00
84.	उत्कल	18,08,463.84	16,34,251.41	20,60,760.08	20,79,997.00	75,83,472.33
85.	वाराणसेय संस्कृति विश्व-विद्यालय	2,93,629.48	73,169.09	1,75,437.63	1,41,514.00	6,83,750.20
86.	विक्रम	7,63,411.06	7,54,016.71	11,39,048.04	10,54,610.00	37,11,085.81
	जोड़	8,24,79,102.83	8,39,48,422.89	9,96,19,636.22	12,15,89,833.12	38,76,36,995.06
	कुल जोड़ (क+ख+ग)	11,96,46,983.28	11,83,43,551.04	20,61,30,017.07	19,71,68,367.51	64,12,88,918 90

परिशिष्ट-XII

अंगभूत / संबद्ध कालेजों को अनुदान (1972-73)

शीर्ष	प्रयोजन	धनराशि
1.	छात्रावासों का निर्माण	70,98,737.00
2.	प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय-सुविधाएं	2,61,74,526.27
3.	स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	57,09,072.00
4.	विज्ञानों में स्नातकोत्तर अध्ययन का विकास	19,78,248.00
5.	मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों में स्नातकोत्तर अध्ययन का विकास	5,02,038.26
6.	पुस्तकें तथा पत्र-पत्रिकायें	11,84,656.48
7. (i)	छात्र-सहायता-कोष	42,57,933.00
(ii)	अनावासी छात्र-केन्द्र	18,22,318.00
(iii)	शौकिया कामों के वर्कशाप	7,320.00
(iv)	वाटरकूलर	5,849.00
(v)	कालेजों में छात्र-कल्याण-कार्यक्रम	12,00,365.41
(vi)	स्वास्थ्य-केन्द्र	1,15,000.00
(vii)	किताब-कोषों की स्थापना	23,67,744.43
(viii)	विशेष प्रयोजन के लिए छात्रों को यात्रा-अनुदान	—
(ix)	शारीरिक शिक्षा	—
8. (i)	दिल्ली विश्वविद्यालय के अंगभूत / संबंद्ध कालेजों को विशेष प्रयोजनों के लिए अनुदान	48,55,253:49
(ii)	दिल्ली विश्वविद्यालय के (नये) अंगभूत / संबद्ध कालेजों को अनुरक्षण अनुदान	1,80,73,935.00 1,59,900.00
9.	शतवार्षिकी अनुदान	1,60,000.00
10.	चांदमारी क्षेत्रों का निर्माण	2,221.76

परिशिष्ट XII (क्रमशः)

शीर्ष परियोजन	धनराशि
11. छात्रवृत्तियां और अधिवृत्तियां आदि	
(i) अनुसंधान-अधिवृत्तियां	
(क) मानविकी	53,803.65
(ख) विज्ञान	95,189.37
(ii) सेवानिवृत्त अध्यापकों की सेवाओं का उपयोग	5,86,249.23
(iii) अनुसंधान-कार्य के लिए अध्यापकों को आर्थिक सहायता	
(क) मानविकी	2,43,725.00
(ख) विज्ञान	2,82,582.46
(iv) अरबी-फारसी में छात्रवृत्तियां	19,106.45
(v) पार्वत्य क्षेत्रीय छात्रवृत्तियां	7,700.00
(vi) संस्कृत-पालि-प्राकृत के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां	19,800.00
12. वेतनमानों का संशोधन	82,577.50
13. चाक-बोर्डों का सुधार	1,39,714.95
14. 1. कालेज-अध्यापकों / अनुसंधाताओं / अध्येताओं को देश के भीतर यात्रा के लिए अनुदान	—
2. कलेज-अध्यापकों / अनुसंधाताओं/अध्येताओं को विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए यात्रा-अनुदान	98,917.96 + 41,388.00
15. विविध योजनायें	87,263.95
16. प्रशिक्षण-कालेज	22,80,206.94
17. विनिमय-कार्यक्रम	529.74
18. राष्ट्रीय सेवा-योजना	41,762.86
19. अर्धसूक्ष्म-विश्लेषण-उपकरण की खरीद जो अब डी 2 में शामिल कर दी गई है	—
20. कालेज-विज्ञान-उन्नयन-कार्यक्रम	48,25,000.00

परिशिष्ट XII (क्रमशः)

शीर्ष	परियोजना	धनराशि
21.	विभागों को विशेष सहायता	
	1. विज्ञान	—
	2. मानविकी	2,05,500.00
22.	छात्रों के लिए रोजगार-सूचना, जीविका परामर्श तथा शैक्षणिक मार्ग दर्शन की व्यवस्था का सुधार	—
23.	नई योजनायें	—
24.	(i) संगोष्ठियां, परिसंवाद, वर्कशाप तथा सम्मेलन आदि	60,653.04
	(ii) ग्रीष्म-संस्थान	2,16,860.36
	(iii) अनुसंधान-सहभागिता-कार्यक्रम	—
25.	सामुदायिक विकास, सहकारिता तथा पंचायतीराज के विषय में उच्चतर अध्ययन	1,964.82
26.	ओवरहेड टंकियां	72,584.29
27.	साइकिल शेड	1,59,664.00
28.	राष्ट्रीय अधिवृत्तियां	—
29.	उपकरण की खरीद के लिए डालर-ऋण-योजना	6,11,667.62
		8,59,09,529.59

विश्वविद्यालयों में छात्रों की भरती

1962-63 से 1972-73 तक

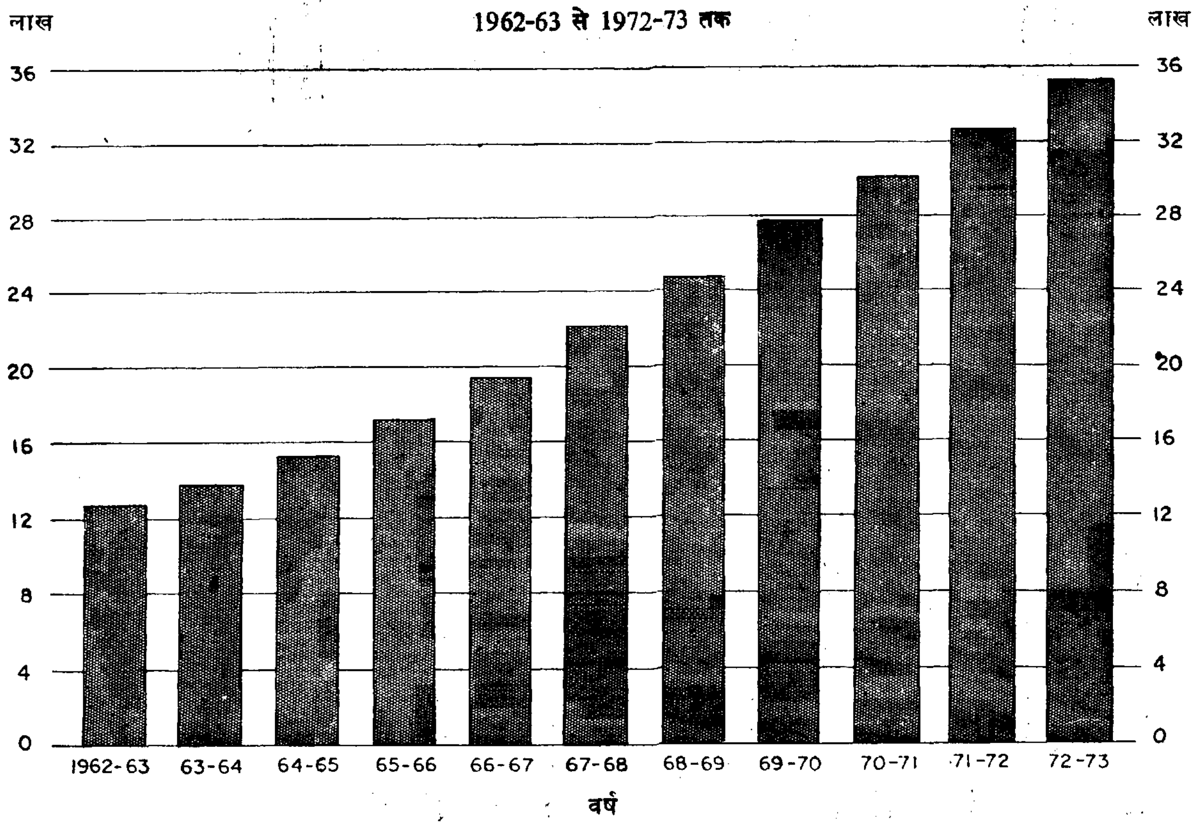

संकायवार भरती

1970-71 से 1972-73 तक

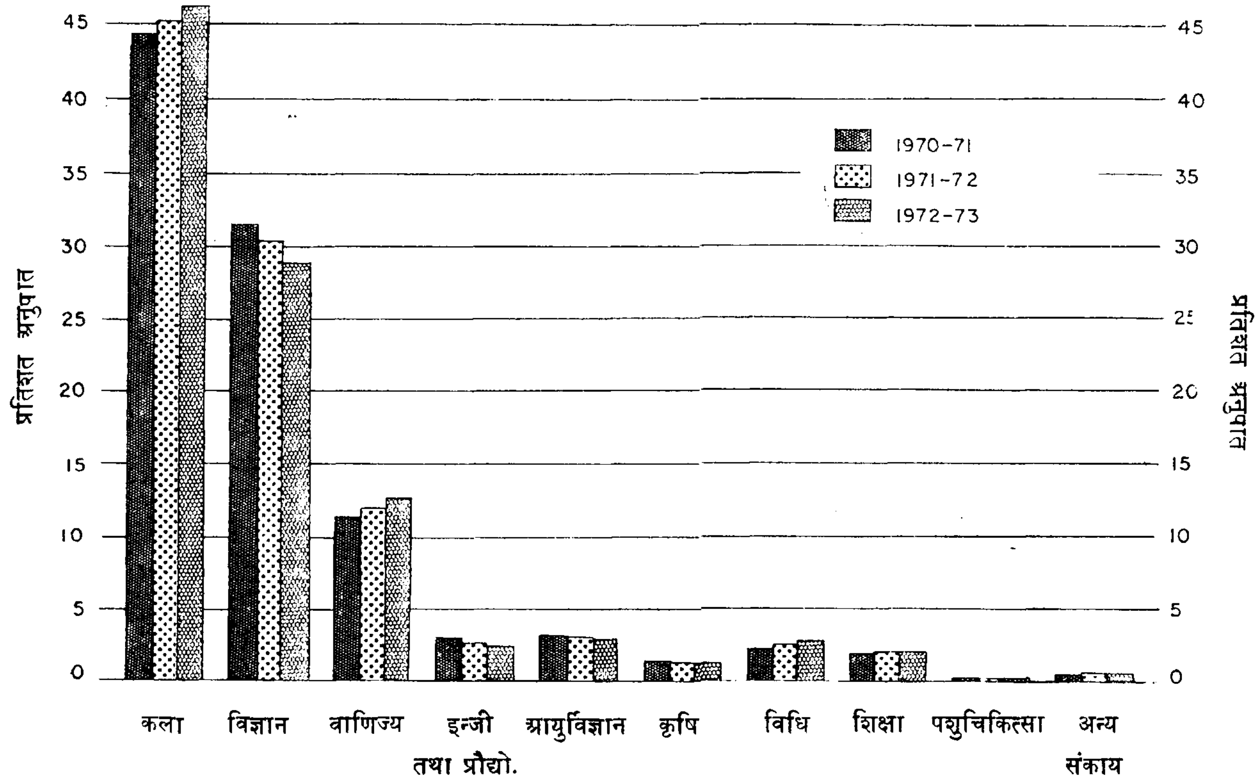

स्तरवार भरती

1970-71 से 1972-73 तक

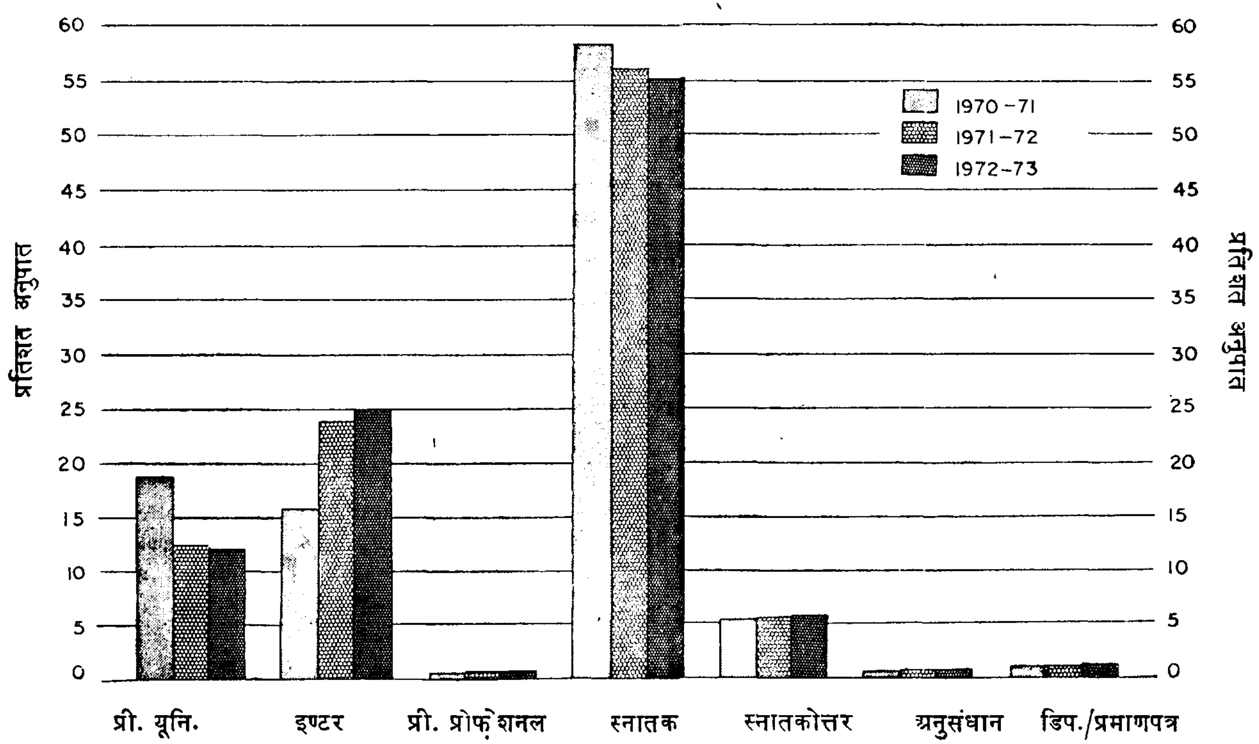

स्नातकोत्तर भरती

1962-63 से 1972-73 तक

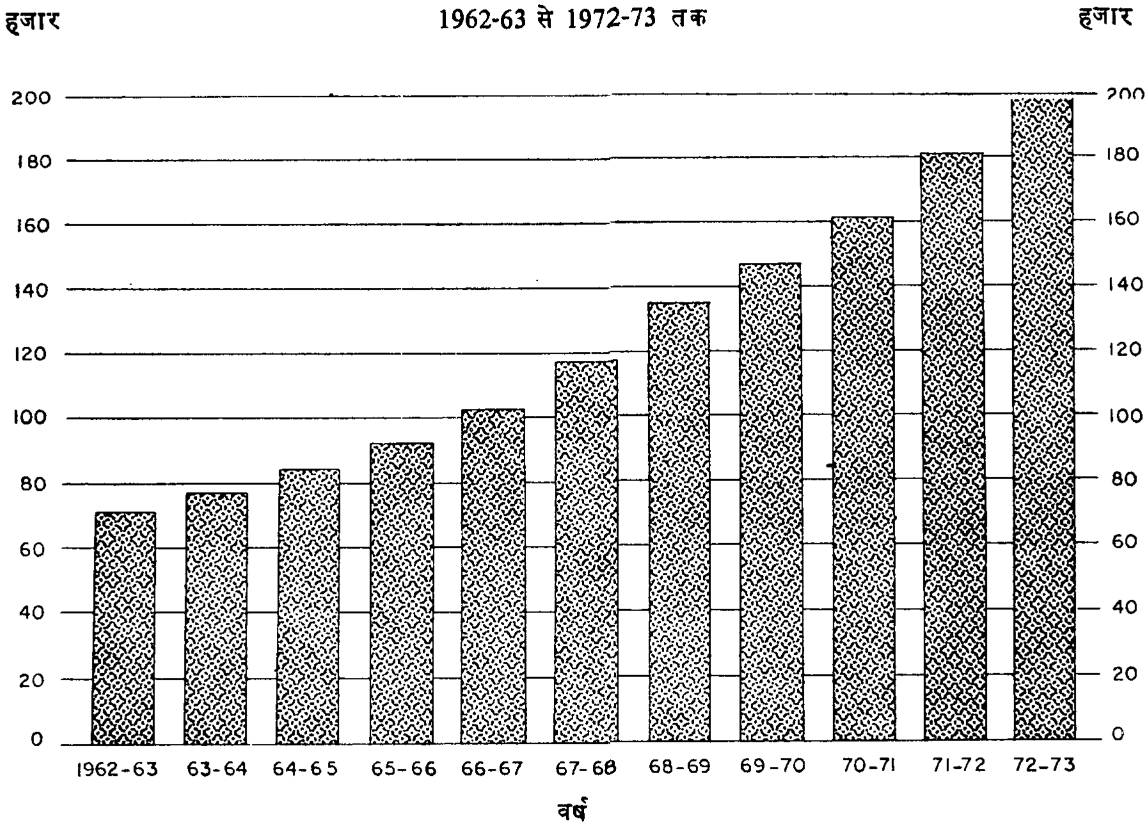

पदनामवार अध्यापकों का वितरण

1972-73

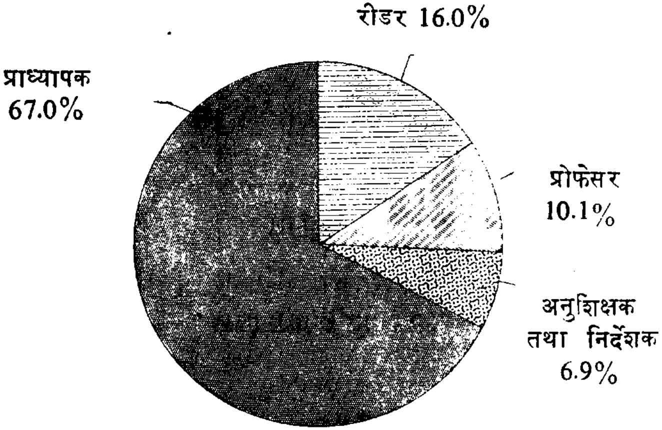

विश्वविद्यालय-विभाग।

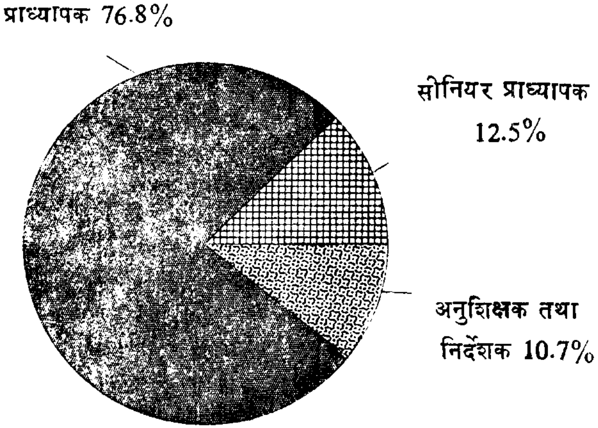

संबद्ध कालेज

अध्यापकों का संकायवार वितरण

1972-73

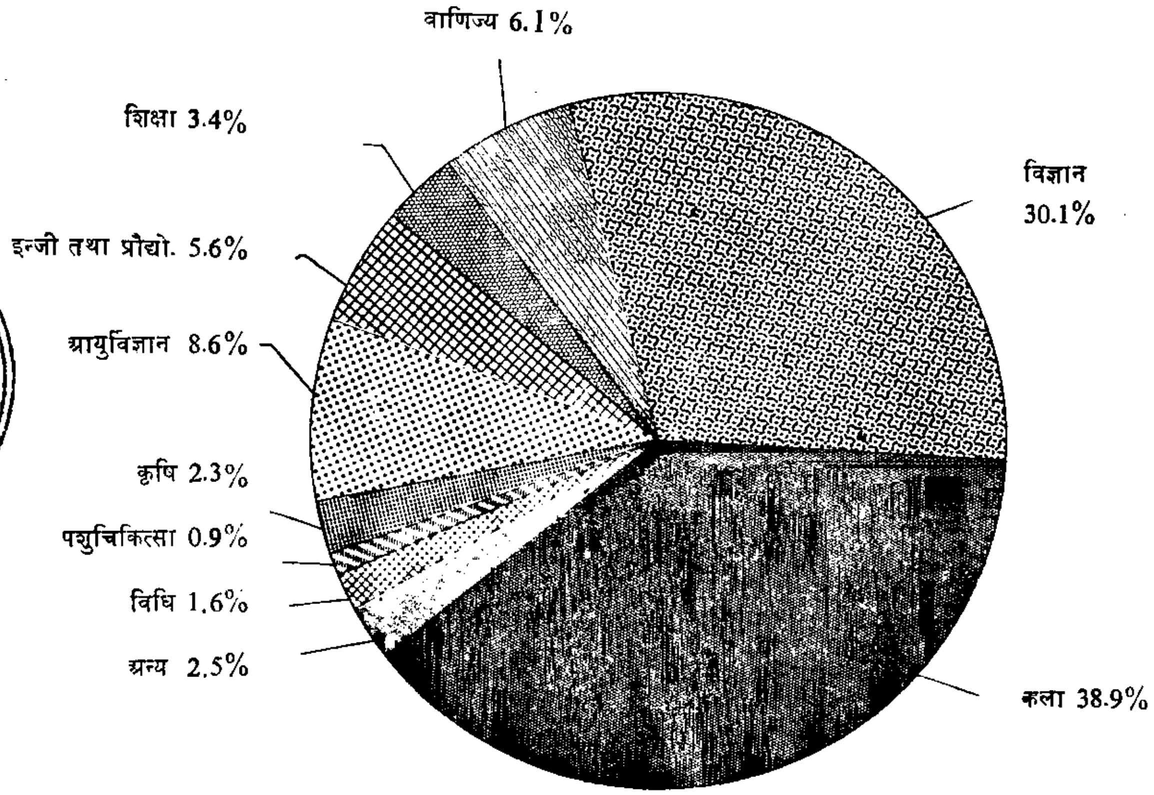

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurbindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. D-6253
Date 9/7/91

NIEPA DC
D06253